पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाएं

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

आमुख

बिजली सेवा पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा के दक्षिण भाग के दस जिलों में बिजली वितरण की सेवा दे रहा है, जिसका पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किन्तु यह सेवा प्रदेश के विकास का आधार होने के कारण नितांत आवश्यक भी है। अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को समझते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की नीति है कि स्वच्छ विकास मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ते प्रदूषण को रोकने का हर सम्भव प्रयास किया जाए।

बिजली वितरण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नये सब–स्टेशनों का निर्माण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना, नई वितरण लाईनें बिछाना आदि कार्य किए जाते हैं। इन विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रभाव पड़ना सम्भव है। इसके अतिरिक्त दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारकों, संरचनाओं आदि के भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण हेतु वचनबद्ध भी है। इसलिए निगम ने अपनी पर्यावरण तथा सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

निगम के योजना एवं प्रारूप अनुभाग द्वारा अंग्रेजी भाषा में तैयार पर्यावरण तथा सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाओं का हिंदी संस्करण इसके उद्देश्य को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है और यह विश्व बैंक प्राधिकरण को भी प्रेषित करना आवश्यक है।

इस पर्यावरण नीति का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कर श्री डी.पी.ढुल, चीफ कम्यूनिकेशनज ऑफिसर और हिंदी अनुवादक दलजीत सिंह और अभिषेक कुमार ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

सभी योजना तैयार करने वाले अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे कर्मचारियों को विशेष रूप से चाहिए कि इस पर्यावरण नीति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में इसके नियमों और विनियमों की अनुपालन करें। यदि विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

(मोहम्मद शाईन)
प्रबन्ध निदेशक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

- कार्यकारी सारांश
- द.ह.बि.वि.निगम की संक्षिप्त रुपरेखा
- नीति कूनन और विनियामक ढांचा
- सामाजिक ढांचे की पात्रता
- पर्यावरण और सामाजिक प्रबन्धन की प्रक्रियाएं
- संस्थागत ढांचा

अध्याय–1 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (द.ह.बि.वि.नि.) 14–27

11वीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत योजनात्मक गतिविधियां

1. 33 के.वी. सब–स्टेशनों, नई 33 के.वी. लाईनों और एच.टी. कैपिसटरों का निर्माण एवं संर्वधन।
2. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 के.वी. फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन, नये वितरक ट्रांसफार्मरों को एल.टी. लाईनों से जोड़ना, उपभोक्ता तथा वितरक ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग कर एरियल बन्चड केबल प्रदान करना।
3. ग्रामीण घरेलू भार को ग्रामीण कृषि भार से अलग करना।
4. गांवों/शहरों तथा 11 के.वी. फीडरों को एच.वी.डी.एस. प्रदान करना।
5. क्षेत्र भार डिस्पैच केन्द्र/विभिन्न सब–स्टेशनों पर डी.ए.एस. प्रदान करना ।
6. फीडर मीटरिंग, प्रीपैड मीटरिंग।
7. मांग पक्ष प्रबन्धन

- उच्च दक्षता सीएफएल प्रकाश कार्यक्रम ।
- उच्च दक्षता सड़क प्रकाश कार्यक्रम।
- उच्च दक्षता लिफ्ट नहर सिंचाई कार्यक्रम।
- मोटर दक्षता कार्यक्रम।
- सिंचाई दक्षता कार्यक्रम।
- बिजली सुधार कार्यक्रम।
- आमरफॉस कोर ट्रांसफार्मर कार्यक्रम ।
- सौर ऊर्जा प्रगति कार्यक्रम।
- उपभोक्ता दक्षता जागरुकता कार्यक्रम।
- ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यक्रम।

8. नाबार्ड
9. ए.पी.डी.आर.पी.
10. स्वचालित वितरण प्रणाली–अग्रिम मीटरिंग।

11. 33/433 के.वी. प्रणाली प्रदान करना।

12. उपभोक्ता सेवा केन्द्र।

13. ए.टी. एण्ड सी. घाटों को कम करने के माप और उनसे प्राप्त निष्कर्ष।

14. सी.डी.एम.(स्वच्छ विकास प्रणाली) और डी.एस.एम. (मांग पक्ष प्रबन्धन)
सीएफएल परियोजना
डी.एस.एम. (मांग पक्ष प्रबन्धन)।

अध्याय–2 पर्यावरण तथा सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं। 28–32

अध्याय–3 नीति, कानून और विनियामक ढांचा। 33–52

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की पर्यावरण आवश्कताओं को राज्य स्तर पर शामिल करना।

हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997 एवं बिजली अधिनियम, 2003

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

पंक्तिबद्ध पथ

सही रास्ता

वन प्रस्ताव का सूत्रीकरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

हरियाणा सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा।

बैटरी (प्रबन्धन एवं रखरखाव) नियमावली, 2001

हानिकारक कचरे (प्रबन्धन एवं रखरखाव) संशोधित नियमावली, 2003

ओजोन निःशेषनीय पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबधित कानून।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आवश्यकताएं

निधि शाखाओं की पर्यावरण की आवश्यकता

निधि शाखाओं की आवश्यकता–सामाजिक

भूमि अर्जन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नवास नीति, 2007

राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नवास नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

भूमि अधिग्रहण बेदखली के लिए हरियाणा सरकार की पुर्नवास नीति।

अध्याय 4 सामाजिक अधिकार ढांचा 53–59

अध्याय 5 पर्यावरण और सामाजिक प्रबन्धन प्रक्रियाएं 60–69

परियोजना की परिकल्पना

योजित परियोजना

संचालन और रख–रखाव

परियोजना समीक्षा

परियोजना मंजूरी

अध्याय 6 संस्थागत ढ़ांचा। **70–143**

संगठनात्मक व्यवस्था

द.ह.बि.वि.निगम ने विभिन्न स्तर पर संगठन संरचना और दायित्व।

अध्यक्ष

प्रबन्ध निदेशक

अन्य निदेशक

मुख्य अभियन्ता (परिचालन), द.ह.बि.वि.निगम, हिसार।

मुख्य अभियन्ता (परिचालन), द.ह.बि.वि.निगम, दिल्ली।

मुख्यमहाप्रबन्धक /पी.डी.एण्ड.सी.।

मुख्यमहाप्रबन्धक/एम.एम.।

मुख्यलेखा अधिकारी।

मुख्यलेखा परीक्षक।

वित्तीय सलाहकार/मुख्यालय।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखा अधिकारी/एम.एम.।

महाप्रबन्धक/प्रशासन।

कम्पनी सचिव।

मुख्य संचार अधिकारी।

कानून शाखा।

चिकित्सा शाखा।

सतर्कता एवं सुरक्षा शाखाएं।

उपमहाप्रबन्धक/आई.टी.

उपमहाप्रबन्धक/मॉनिटरिंग।

सारणी

सारणी–1 सब–स्टेशनों की संख्या

सारणी–2 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त क्षमता कार्यक्रम

सारणी–3 ए.टी. एण्ड. सी. घाटों (2011–12 तक) को कम करने का लक्ष्य

सारणी–4 ए.टी.एण्ड.सी.घाटे को कम करने की उपलब्धि

सारणी–5 कन्डक्टरों एवं वृक्षों के मध्य निकासी पंक्ति

सारणी–6 न्यूनतम निकासी

सारणी–7 निचले कन्डक्टरों की भूमि के ऊपर से निकासी

सारणी–8 अधिकतम लटक आधार पर ईमारतों से निर्धारित ऊर्ध्वाधर निकासी

सारणी–9 अधिकतम दबाव तथा हवा दबाव के कारण ईमारतों से क्षितिज निर्धारित निकासी

सारणी–10 अधिकतम लटक आधार पर इमारतों सेः– मीटरों तथा एक दूसरे रेखन के मध्य निर्धारित न्यूतनम निकासी

सारणी–11 द.ह.बि.वि.निगम का सामाजिक अधिकारी ढांचा

सारणी–12 33 के.वी. एवं उपरोक्त विद्युत सब–स्टेशन तथा सम्बन्ध लाईन हेतु परियोजनाचक्र।

अनुलग्नक

अनुलग्नंक –1 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948

अनुलग्नक –2 सब–स्टेशनों/लाईनों के निर्माण के लिए पर्यावरण चित्रपट का रुपरेखा का चयन करना

अनुलग्नक –3 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत प्रक्रिया का सरलीकरण

अनुलग्नक –4 वन प्रस्ताव रुपरेखा को सूत्रबंध करना

अनुलग्नक –5 पर्यावरण मूल्याकंन अधि सूचना, 1994 की निर्दिष्ठ परियोजना श्रेणियों के रुप में अनुसूची–1 में सूचीबद्ध

अनुलग्नक –6 परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

अनुलग्नक –7 बैटरी के पुनः चक्र के लिए वापिस फार्म भरना

अनुलग्नक –8 खराब तेल को पुनः इस्तेमाल और शोधन हेतु विनिर्देश

अनुलग्नक –9 प्रयोग किए हुए तेल के निपटान हेतु आवेदन

अनुलग्नक –10 रख–रखाव कर्मचारियों के लिए करने और न करने योग्य हिदायत

अनुलग्नक –11पर्यावरण प्रबन्धन योजना

अनुलग्नक –12 ई.एण्ड.एस.प्रबन्धन और मूल्याकंन प्रक्रिया के लिए निर्धारित उत्तरदायित्व ढांचा

अनुलग्नक –13 द.ह.बि.वि.निगम का पदसोपान

कार्यकारी सांराश

0.1 हरियाणा 1 नवम्बर 1966 को भारत का एक नया राज्य बना। इसकी राजधानी चण्ड़ीगढ़ है, तब से हरियाणा ने भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनने के लिए शानदार प्रगति की है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के निकट है, और विकसित दूरसंचार और परिवहन व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख शक्ति है।

0.2 हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक छोटा सा राज्य है इसमें कुल 6759 गांव तथा 81 शहर व कस्बे हैं। राज्य को प्रशासनिक प्रयोजन हेतु चार मण्डलों अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव तथा हिसार में विभाजित किया गया है। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर–पश्चिम में 27^{0}39′ से 30^{0}55′ उत्तर अंक्षाश और 74^{0}28′ से 77^{0}36′ पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। इसके पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश (यू.पी.), पश्चिमी सीमा पर उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियां तथा दक्षिणी सीमा पर दिल्ली,राजस्थान तथा अरावली की पहाड़ियां स्थित है। हरियाणा की समुद्र तक से ऊंचाई 700 फीट से 900 फीट के मध्य है, 1553 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर वन है।

0.3 भारत के उत्तरी मैदानों के राज्यों की तरह हरियाणा की जलवायु भी समान है। यहां गर्मियों में अत्यधिक गर्मी (उच्चतम 50^{0} सेल्सियस तक) तथा सर्दियों में अधिक सर्दी (1^{0} सेल्सियस तक) । मई और जून सबसे गर्म महीने तथा दिसम्बर और जनवरी अत्यधिक ठण्डे महीने रहते हैं। यहां वर्षा में विविधता है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा तथ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सूखा रहता है लगभग 80 प्रतिशत वर्षा मानसून–सत्र (जुलाई–सितम्बर) में होती है, तथा कई बार इस कारण क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।

0.4 द.ह.बि.वि.नि, जिसका नाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। तत्कालीक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से बना है तथा यह हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए कार्य कर रहा है। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 33 के.वी. स्तर के 147 सब–स्टेशनों, जो 1937.05 किलोमीटर लम्बाई की 33 के.वी. लाईनों तथा 1571.1 एम.वी.ए. क्षमता के 262 विद्युत ट्रांसफार्मरों से जुड़े हुए हैं तथा 37745.85 किलोमीटर की 11 के.वी. लाईन 52729.14 किलोमीटर की एल.टी. लाईन के साथ 5880144.5 के.वी.ए. क्षमता के 92536 वितरक ट्रांसफार्मरों के साथ जुड़ी है जो वितरण कम्पनी के भार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

0.5 हरियाणा में पहले बिजली मांग की औसत वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत थी। अब यह बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई जबकि कुछ क्षेत्रों जैसे गुडगांव तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में इस दर में 20 से 25 प्रतिशत के उच्च स्तर को छू लिया है। उपभोक्ताओं की अपेक्षा उनकी भुगतान क्षमता, आकांक्षाओं तथा उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु उपलब्ध विद्युत उपकरण को देखते हुए यह वृद्धि दर पिछले कुछ वर्षो की अपेक्षा अधिक हो गई है।

0.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा भार वृद्धि तथा इसके समाधान हेतु दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 3413.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से व्यापक वितरण विस्तार कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

0.7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने (अधीन) नए सब–स्टेशनों का निर्माण अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, नई वितरण लाईनों का बिछाना, मौजूदा सब–स्टेशनों की लाईनों के अर्न्तसम्बन्ध का कार्य करेगा।

0.8 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम विकासात्मक गतिविधियों के साथ एक स्वच्छ पर्यावरण, पारिस्थितिक और स्थायी विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं यहां पर सभी वितरण परियोजनाएं सुनिश्चित दिशानिर्देश के साथ योजित की जाती हैं। पर्यावरण तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के प्रतिकूल प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा अर्थ व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करती। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारकों, संरचनाओं को भावी पीढ़ी के संरक्षण हेतु वचनबद्ध हैं।

0.9 तत्कालीक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने 1997 में बिजली क्षेत्र में बहुपक्षीय अनुदान एजेंसियों के संचालन निर्देशों के अनुरुप पहली सामाजिक नीति और प्रक्रिया विकसित की थी।

0.10 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी कार्पोरेट परम्पराओं को छोड़कर न्यूनतम तथा उन्नमूलन के साथ अब अपनी कार्पोरेट पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति विकसित कर ली है तथा इसकी पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बढ़ती प्रक्रियाओं (ई.एस.पी.पी.) को स्पष्ट करती है। ई.एस.पी.पी. रुपरेखा के अर्न्तगत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का इसकी वितरण परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण प्रतिबद्धता स्पष्ट है तथा इनसे निपटने के लिए प्रबन्धन प्रक्रियाएं तथा कानून सामान है। संगठात्मक तथा परियोजना दोनों स्तरों पर पहचान, मूल्याकंन तथा सामाजिक प्रबन्धन सम्बन्धित ई.एस.एस.पी. ढांचे में सम्मिलित है।

0.11 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को विश्वास है कि ई.एस.एस.पी. एक ऊर्जावान व सदा रहने वाला दस्तावेज है जोकि राज्य के शासन में सामाजिक तथा पर्यावरणीय उन्नति में बदलाव करेगा तथा द.ह.बि.वि.नि.की परियोजनाओं तथा क्षेत्र कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों में सुधार करेगा। यह सामूहिक कार्यान्वयन में मानवीय पहलू को प्रदान करने में विश्वास रखता है जबकि मुख्य धारा तथा उच्च स्तर की पर्यावरण तथा सामाजिक लाभ हेतु निगम सामाजिक दायित्व के लिए पारम्परिक लाभ से दूर रहेगा। सतत् प्रकाश उचित प्रक्रिया हेतु द.ह.बि.वि.नि. फर्म प्रतिमानों हेतु प्रतिबद्ध है।

0.12 ई.एस.पी.पी. दस्तावेज सात अध्यायों में निहित है जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का संक्षिप्त विवरण

0.13 हरियाणा राज्य में बिजली क्षेत्र में सरकार के अधीन चार निगम एच.पी.जी.सी.एल., एच.वी.पी.एन. एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल, तथा डी.एच.बी.वी.एन. है जो राज्य में विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण तथा वितरण कार्य के लिए उत्तरदायी है। पहले ये सभी गतिविधियां तत्कालीक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाती थी।

0.14 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति

0.15 डी.एच.बी.वी.एन. संगठनात्मक तथा परियोजना स्तरों पर पहचान, मूल्याकंन तथा पर्यावरणीय व सामाजिक संबधों के लिए पर्यावरणीय तथा सामाजिक सरोकारों को परिहार न्यूनतम करने के साथ प्रबन्ध प्रणाली में सुधार तथा राज्य की कला तकनीकियों के सिद्वान्तों पर गम्भीरता से आधारित है।

0.16 डी.एच.बी.वी.एन. की पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैः–

(ए) पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जैसे वन, राष्ट्रीय पार्क तथा जीव आरक्षित क्षेत्र में संचालन न करना।

(बी) पर्यावरणीय प्रभाव क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव की पहचान करना तथा नवीन/व्यवहारिक इंजिनियरिंग समाधान के साथ इन्हें कम करना।

(सी) कुशल तथा सुरक्षित प्रौद्योगिकी प्रथाओं के लिए आवेदन ;

(डी) अपनी सभी गतिविधियों तथा संचालन में प्रदूषण न करना ;

(ई) सभी गतिविधियों में ऊर्जा घाटे को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।

(एफ) सामाजिक संवेदनशील क्षेत्र जैसे मानव धरोहर तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र के विघटन से बचना।

(जी) जहां भी हानि हुई या नुकसान उठाना पड़ा वहां प्रभावित व्यक्तियों या जीवन स्तर उठाने के लिए कार्य करना।

(एच) वितरण लाईनों तथा सब–स्टेशनों के प्रस्तावित मार्गों के अन्तिम करण से पूर्व स्थानीय जनता से विचार–विमर्श किया जाएगा।

(आई) डी.एच.बी.वी.एन. के ढांचे तथा आर.एण्ड आर. में हुए अधिग्रहण के लिए हुए घाटे के आधार पर मुआवजा सुनिश्चित करना।

(जे) आार्थिक रुप से व्यवहारिक विकल्प परियोजनाओं प्रारुपों द्वारा अनैच्छिक पुनर्वास से परहेज या कम किया जाएगा।

(के) सभी प्रभावित व्यक्तियों जिनमे भूमिहीन भी शामिल हैं को पूर्व परियोजना स्तरों पर जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

(एल) निम्न स्तर पर जीवन यापन तथा असुरक्षित वर्गों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(एम) पुनर्वास कार्य योजना (आर.ए.पी.) प्रभावित परिवारों के परामर्श तथा उन्हें समय पर सहायता प्रदान करने के विश्वास के साथ किया जाएगा।

(एन) यदि किसी व्यक्ति की शेष भूमि संचालन में आती है और कृषि योग्य नहीं है तो भी उसी अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, यदि ए.एफ की इच्छा होगी। यह दृष्टिकोण आंशिक रुप से प्रभावितों के लिए भी समान है।

(ओ) मुआवजा देने से पूर्व किसी भी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा तथा नीतिगत ढांचे के अनुरुप ही प्रभावित जनता की सहायता की जाएगी।

नीति कानून और विनियामक ढांचा

0.17 डी.एच.बी.वी.एन. भारतीय कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित दायित्वों एवं दिशा–निर्देशों व फंडिग एजेंसियों के अन्तर्गत अपनी वितरण गतिविधियों को चलाती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन 1994 की सारणी–1 में विद्युत वितरण परियोजनाएं शमिल नहीं है तथा सीमित पर्यावरणीय विश्लेषण तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ई.एम.पी.) की आवश्यकता है।

0.18 हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 तथा बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार डी.एच.बी.वी.एन. किसी भी स्थान पर वितरण खंभों के प्रतिस्थापन हेतु अधिकृत है। विद्युत क्षेत्र में उद्योगों के अनुकूल विकास के लिए बिजली अधिनियम, 2003 की रुपरेखा तैयार की गई है। हालाकि डी.एच.बी.वी.एन की परियोजनाओं की गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हैं। विद्युत अधिनियम बिजली वितरण के संबधित पर्यावरणीय कार्यान्वयन की गतिविधियों के परिणामों से संबध नहीं रखता है। कुछ क्षेत्रों में योजित बिजली वितरण योजनाएं बिजली की उच्च अधिकार क्षेत्रों के प्रति उत्तरदायी है।

0.19 डी.एच.बी.वी.एन. के वितरण कार्यों के लिए पर्यावरण आवश्यकताओं का होना आवश्यक है जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियन, 1986, भारतीय बिजली कानून–1956, हानिकारक कचरा (प्रबन्धन तथा व्यवस्था) कानून–2003, प्राकृतिक स्रोत से संबधित संरक्षण कानून, वनों का डब्ल्यू.बी. ओ.पी. 4.36 फडिंग एजेसियों के लिए पर्यावरण आवश्यकता, शारीरिक सांस्कृतिक स्रोतों पर डब्ल्यू.बी. ओ.पी. 4.11, प्राकृतिक धरोहरों पर डब्ल्यू. बी. ओ.पी. 4.04 शामिल हैं।

0.20 डी.एच.बी.वी.एन. के वितरण कार्यों के लिए पर्यावरण आवश्यकताओं का होना आवश्यक है जिनमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894, बेदखल भूमि अधिग्रहण तथा फडिंग एजेंसियों की जरुरत जैसे, डब्ल्यू.बी.ओ.पी. 4.12 अस्वैच्छिक पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति, स्थानीय लोगों की डब्ल्यू.बी.ओ.पी. 4.10, ई.एस.पी.पी. की रुपरेखा के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 का भी ध्यान रखा गया है।

समाजिक अधिकार की रुपरेखा

0.21 समाजिक नियमों की रुपरेखा संवैधानिक निर्देशों से व्युत्पन्न आर. एवं आर. नीति, राज्य आर.एवं आर नीति तथा प्रांसगिक नीतियों से ली गई है।

0.22 डी.एच.बी.वी.एन. स्पष्ट करता है कि इसकी परियोजना के परिणामस्वरुप न ही लोगों का अविस्थापन हुआ है तथा न ही होगा। इस संबन्ध में कोई अविस्थापन होता है तो इसकी प्रबन्ध

प्रक्रियाओं के आधार पर अधिकार रुपरेखा पर होगा। डी.एच.बी.वी.एन. का उद्देश्य है कि यह निश्चित किया जाता है कि वास्तविक पुनर्वास तथा ए.एफ. श्रेणियों से संबधित अधिग्रहित क्षेत्र का मुआवजा मिलेगा जैसे भूमि की हानि (आवासीय भूमि, कृषि भूमि, काश्तकारों, पट्टेदारों, अनाधिकृत/धक्का बस्तियां) ढांचागत हानि (योग्य स्वामित्व, काश्तकारों, पट्टेदारों, धक्का बस्तियां, पुश छप्परों, कार्यशाली छप्परों आदि) जीव जन्तुओं की हानि, खड़ी फसलों/वृक्षों की हानि सांझी भूमिखंड स्रोतों (सी.पी.आर.) के रास्तों तथा सुविधाओं की हानि, स्थानीय समुदायों पंचायत भूमि तथा असुरक्षित लोगों के अतिरिक्त लाभों की हानि।

पर्यावरण एवं सामजिक प्रबन्धन प्रक्रियाएं

0.23 बिजली वितरण प्रणाली तथा वितरण लाईनों में सही रास्ता, स्विचयार्डस, सब–स्टेशन शामिल हैं। वितरण लाईन के मुख्य ढांचे में लाईन, कन्डक्टरस, सहायक टावर्स आदि शामिल हैं। मुख्य ढांचे के लिए वितरण लाईनों की वोल्टेज क्षमता का प्रभावी आकार आवश्यक है। सही रास्ते में जिस वितरण लाईन का निर्माण होता है उसकी चौड़ाई 7 मीटर (11 के.वी.) से 15 मीटर (33 के.वी. लाईन के लिए) होती है।

0.24 बिजली वितरण प्रणाली के दौरान मुख्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव भूमि हानि, ढांचागत हानि, जैव हानि, खड़ी फसलों/वृक्षों की हानि, सांझी भूमि स्रोतों तथा संबधित हानि (सी.पी.आर) स्थानीय समुदायों की हानि, माननीय धरोहर तथा स्वैच्छिक पुनर्वास की हानि, पी.सी.बी.एस. में बिजली उपकरणों के कारण पर्यावरण हानि तथा सांस्कृतिक/ऐतिहासिक धरोहर के क्षेत्र में तथा ई.एम.एफ. के प्रभाव शामिल होने के कारण दूरसंचार में बाधा होना है। इसके अतिरिक्त बिजली वितरण प्रणाली के दौरान गौण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते है। जैसे विद्युतीय हानियां, सब–स्टेशनों में शोर की समस्या, कार्यस्थलों पर रासायनिक प्रदूषण, आग का खतरा तथा भूमि/गीली भूमि आदि संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा।

0.25 उपरोक्त समस्या परियोजना के कारण या परियोजना की योजना के कारण, विद्युत वितरण प्रणाली के निर्माण तथा परिचालन एवं रखरखाव के कारण भी हो सकती है।

0.26 द.ह.बि.वि.नि. की पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबन्धन प्रक्रिया में परियोजना धारण, परियोजना की योजना, परियोजना मंजूरी, विस्तृत प्रारुप तथा निविदा, परिचालन व रखरखाव तथा वार्षिक समीक्षा है।

0.27 योजना स्तर के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में रास्तों के चुनाव के निहित लचीलेपन के कारकों के कारण, मानव धरोहर के खतरों तथा उपयोगी भूमि पर प्रभाव, विमान खतरे आदि अलग कर दिए जाते हैं या कई बार सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर दिया जाता है।

0.28 निर्माण के दौरान सब–स्टेशनों के स्थानों की उचित श्रेणी/खंभो की स्थिति, विद्युत खतरों को दूर करने की नीति, उचित भण्डारण तथा तेल कचरे के तरल को खत्म करना, कच्चे पदार्थों के हवा में फैलने/रिसने तथा मिट्टी/पानी सतह को दूषित करने से रोकना है।

0.29 इसी प्रकार परिचालन व रखरखाव स्तर के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू की उचित सफाई तथा रखरखाव (जैसे वृक्षों की कतरन तथा काटना); ट्रांसफार्मर आदि से शोर कम करना (जैसे समय–समय पर कोर बोल्ट्स, कोर प्लेटस, आन्तरिक ढीले आवेश आदि को जांचना) ट्रांसफार्मरों के जोड़ से तेल रिसाव का निरीक्षण करना, स्विच गियरस/ट्रांसफार्मरों में भरे तेल के ज्वलनशील खतरों के कारण आग से सावधानी से पर्यावरण प्रभावों को कम या समाप्त किया जा सकता है।

0.30 वितरण कार्यों में पर्यावरणीय तथा सामजिक प्रभावों की पहचान हो गई है। जबकि परियोजना की योजना के दौरान, निर्माण परिचालन तथा रखरखाव, माप को कम करने के लिए सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों के निर्देश अपना रही है।

0.31 पर्यावरणीय तथा सामाजिक खतरों का मूल्याकंन द.ह.बि.वि.नि. की पर्यावरणीय तथा सामाजिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। जोखिम मूल्याकंन प्रक्रिया में इसकी वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान जोखिम तथा भविष्य में सम्भावित खतरों की पहचान होती है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है इसमें लागत–लाभ विश्लेषण शामिल है। द.ह.बि.वि.नि. द्वारा इन जोखिमों गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों को प्राथमिकता पर मूल्याकंन हेतु पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबन्धन प्रक्रियाएं विकसित की हैं। प्राथमिकता आधार पर पर्यावरण तथा सामाजिक प्रबन्धन विकल्प चुने जाते हैं।

0.32 द.ह.बि.वि.नि. द्वारा तैयार प्रत्येक वितरण कार्य पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन व आधार लाईन सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रबन्ध योजना व पुनर्वास कार्य योजना पर आधारित है।

<u>संस्थागत ढांचा</u>

0.33 इस अध्याय में द.ह.बि.वि.नि. की ई.एस.पी.पी. के निश्चित प्रभावी कार्यान्वयन को बनाए गए संस्थागत प्रबन्धों का विस्तार किया गया है।

मुख्यालय पर ई.आर.एण्ड.आर समिति, मण्डलीय स्तर पर पर्यावरण व सामाजिक देखरेख समिति (ई.एस.एम.सी.) तथा निम्न स्तर पर पर्यावरण तथा सामाजिक कार्यान्वयन इकाई (ई.एस.आई.यू.) का भी गठन किया गया है। ई.एस.पी.पी. के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा विकास अभिन्न अंग है। एन.पी.टी.आई./पी.जी.सी.आई.एल. से प्रारम्भ में कार्यकारी/गैर कार्यकारी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ई.एस.पी.पी. दस्तावेज को समझने के लिए सक्षम हो तथा इसके सही समय पर कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा सके। इसलिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

<u>जन–जागरुकता</u>

0.34 ज्यादातर वितरण परियोजनाएं पर्यावरणीय तथ सामाजिक प्रभाव के कारण नहीं बनती जिसके कारण जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जहां तक सम्भव हो जनता को सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव से जागरुक कराने के लिए द.ह.बि.वि.नि. की दृढ़ प्रतिबद्धता है। हालांकि यह किया जा रहा है। पहले कदम के रुप में बिजली (आपूर्ति) अधिनियम–1948 की धारा–29 के अर्न्तगत परियोजना की जन–अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित

कर जनता से दो महीने के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की जाती है। ई.एस.पी.पी. दस्तावेज के अन्तिमकरण से पहले जनता से समाचार पत्र सूचना के लिए सलाह ली जाती है तथा ई.एस.पी. पी. प्रारुप सर्कल मुख्यालय तथा निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जनता द्वारा पेश टिप्पणी/सुझाव ई.एस.पी.पी. में शमिल कर लिए गए हैं।

अध्याय : 1 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (द.ह.बि.वि.नि.)

1.1 हरियाणा राज्य में बिजली क्षेत्र में बिजली उत्पादन वितरण तथा सम्प्रेषण के लिए उत्तरदायी चार निगम एच.पी.जी.सी.एल.,एच.वी.पी.एन.एल.,यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल अस्तित्व में है। पहले ये सभी गतिविधियां तत्कालिक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाती थी।

1.2 राज्य बिजली क्षेत्र की पुनःसंरचना 14 अगस्त, 1998 को हुई। 14/08/1998 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (एच.एस.ई.बी.) को दो निगमों हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) तथा हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) को पुनः संगठित किया गया। एच.पी.जी.सी.एल. को राज्य के बिजली उत्पादित स्टेशनों पर स्वामी बनाया जो संचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। एच.वी.पी.एन.एल. को बिजली प्रसारण तथा वितरण कार्य सौपें गए। इसी तरह 16/08/1998 को बिजली क्षेत्र में राज्य सरकार की मदद व सलाह तथा विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हित के विभिन्न उपाय जैसे बिजली उपभोक्ता, बिजली अस्तित्व तथा उत्पादन कर्मियों आदि के लिए एक स्वतंत्र संस्था हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का गठन किया गया।

1.3 1 जुलाई, 1999 को एच.वी.पी.एन.एल. को पुनः संगठित कर दो और निगम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) बनाए गए जो अपने अधिकार क्षेत्र में वितरण व बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगीं। यू.एच.बी.वी.एन.एल. पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर तथा जीन्द जिलों के लिए उत्तरदायी है जबकि डी.एच.बी.वी.एन.एल. हिसार, फतेहबाद, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी तथा नारनौल जिलों की बिजली आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। ये वितरण कम्पनियां इस समय विभिन्न श्रेणियों के लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रही हैं।

1.4 एच.पी.जी.सी.एल. बिजली उत्पादन, बुल्क आपूर्ति तथा सावधि बिजली खरीद को देखती है। बिजली व्यापार सौदे को 9/06/2005 से एच.वी.पी.एन.एल. से एच.पी.जी.सी.एल. को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा एच.पी.जी.सी.एल. व्यापार सौदे को भी देखती है। 15/04/2008 से व्यापार कार्य को यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. को दे दिया गया जिसके बाद हरियाणा पावर प्रोक्यूरमेंट सेल (एच.पी.पी.सी.) अस्तित्व में आई। राज्य में उपलब्ध कुल प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता 4368.01 मैगावाट है। 20/08/2007 को उच्चतम दैनिक बिजली आपूर्ति 1002.43 लाख यूनिट थी तथा 21/08/2007 को 4826 मैगावाट अधिकतम मांग रिकॉर्ड की गई।

1.5 वर्तमान में डी.एच.बी.वी.एन. के अर्न्तगत 33 के.वी. के 147 सब–स्टेशन जो 1937.05 किलोमीटर की 33 के.वी. लाईन से जुड़े हैं। 1571.1 एम.वी.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं जो 37745.85 किलोमीटर की 11 के.वी. लाईन से जुड़े हैं तथा 52729.14 किलोमीटर एल.टी.लाईन से जुड़े 5880144.5 के.वी.ए. क्षमता के 92536 वितरक ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित हैं। जो वितरण कम्पनी की भार आवश्यकताओं का प्रबन्ध करते हैं।

1.6 वर्तमान में एच.वी.पी.एन.एल. के अर्न्तगत 66 के.वी. से 220 के.वी. वोल्टेज रेटिंग के 7844 किलोमीटर की प्रसारण लाईन के 256 ग्रिड सब–स्टेशन हैं। इनकी संख्या 6 हैं। पी.जी.सी.आई. एल. के 400 के.वी. के दो सब–स्टेशन तथा बी.बी.एम.बी के 8 सब–स्टेशन हरियाणा में स्थित हैं जो वितरण कम्पनियों की भार आवश्यकताओं का वितरण करता है। ग्रिड सब–स्टेशन का संक्षेप निम्नलिखित है।

सारिणी–1 सब–स्टेशनों की संख्या

क्रमांक संख्या	सब–स्टेशन का नाम	31/03/2008 तक सब–स्टेशनों की संख्या
1.	400 के.वी.सब–स्टेशन	6 (पी.जी.सी.आई.एल.)+2 (बी.बी.एम.बी.)=8
2.	220 के.वी.सब–स्टेशन	32+8=40
3.	132 के.वी.सब–स्टेशन	120
4.	66 के.वी. सब–स्टेशन	104

➢ भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के हरियाणा क्षेत्र में 220 के.वी. के आठ सब–स्टेशन शामिल हैं।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 14 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बिजली क्षेत्र में व्यापक क्षमता बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है।

सारणी–2, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बढ़ोतरी क्षमता कार्यक्रम

स्थापित क्षमता के स्रोत	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
राज्य स्वामित्व परियोजनाओं	1587.40	1587.40	1587.40	1587.40	1587.40
केन्द्रीय क्षेत्र का सांझा	1514.40	1514.40	1514.40	1514.40	1514.40
बी.बी.एम.बी. और आई.पी.–सांझी परियोजनाएं	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50
डी.सी.आर.टी.पी. यमुनानगर	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
विशाल संयंत्र हिसार टी.पी.एस. (600X2) स्थिति			1100.00	1100.00	1100.00
झज्जर प्रकरण–II– (1150 ±15 प्रतिशत)*				1150.00	1150.00
अरावली एस.टी.पी.एस.झज्जर (500*3){हरियाणाः दिल्ली–50:50}				750.00	750.00
आई.पी.पी.एस./सी.पी.एस.यू. के साथ पी.पी. के माध्यम से अतिरिक्त उपलब्धता	111.70	233.70	876.70	1126.70	1930.70
यमुना नगर विस्तार				300.00	300.00
फरीदाबाद गैस				432.00	432.00
कुल क्षमता (मैगावाट)	4751.00	4873.00	6616.00	9498.00	10302.0
कुल उपलब्ध क्षमता (80प्रशितत पी.एल.एफ.में)	3800.80	3898.40	5292.80	7598.40	8241.60

भार वृद्धि, बढ़ाई गई क्षमता और उपलब्ध क्षमता (मैगावाट)

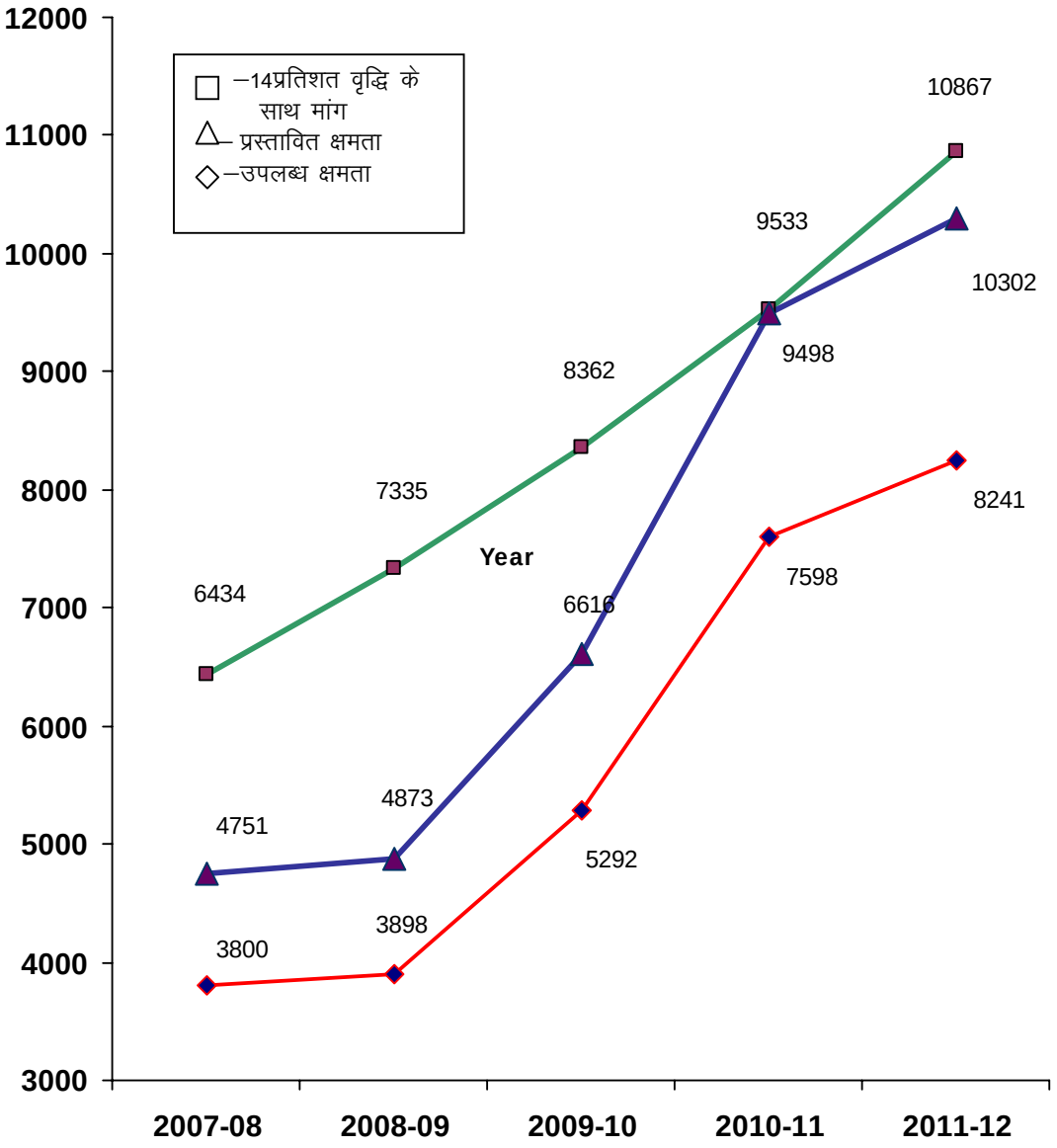

साल

1.7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने विद्युत क्षमता के शून्यीकरण को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक वितरण विस्तार कार्यक्रम बनाया है जो निम्नलिखित है।

वितरण (द.ह.बि.वि.नि.)

नई 33 के.वी. लाईनों एवं एच. टी. कैपिसटरों, नए 33 के.वी. सब–स्टेशन, 33 के.वी. सब–स्टेशन का संर्वधन	49.46	272.20	321.66
आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत 11 के. वी. फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन कर नए वितरक ट्रासंफार्मरों को एल.टी. लाईनों से जोड़ना, जिला प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 11 के.वी. फीडरों तथा एल.टी. लाईनों को बढ़ाकर एरियल बन्चड केबल प्रदान करना	171.67	671.43	843.10
ग्रामीण कृषि भार से ग्रामीण घरेलू भार का पृथक्करण	32.20	256.23	288.43
एच.वी.डी.एस./एल.वी.डी.एस. प्रदान करना	102.61	372.14	474.75
क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र प्रदान करना	15.45	62.80	78.25
उपभोक्ता मीटरिंग, डी.टी.मीटरिंग, फीडर मीटरिंग, प्रीपेड़ मीटरिंग	42.38	205.82	248.20
मांग पक्ष प्रबन्धन गतिविधियां	130.38	650.62	781.00
नाबार्ड	2.00	0.00	2.00
ए.पी.डी.आर.पी.	10.36	0.00	10.36
11 के.वी. स्वचालन वितरण प्रणाली	23.62	136.57	160.19
आगामी मीटरिंग, स्वचालन वितरण प्रणाली	22.15	174.82	196.97
33/0.433 के.वी. प्रणाली प्रदान करना	3.69	5.00	8.69
कुल वितरण	**605.97**	**2807.63**	**3413.60**

11वीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत योजनात्मक गतिविधियां

1.8 द.ह.बि.वि.नि. द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में वितरण तन्त्र को मजबूत बनाने के लिए की जा रही योजनात्मक गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

1. नई 33 के.वी. लाईनों और एच.टी. कैपिसटरों, नए 33 के.वी. सब–स्टेशनों, 33 के.वी. सब–स्टेशनों के संवर्धन का सृजन करना।

1.9 भार वृद्धि की आवश्यकता के साथ नए अतिरिक्त सब–स्टेशनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जिससे अंतिम छोर तक वोल्टेज पहुंचने तथा तकनीकी घाटो में कमी में सुधार होगा।

1.10 पंचवर्षीय योजना में नए 33 के.वी. के 125 सब–स्टेशनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है, 2007–08 के दौरान 37 सब–स्टेशन प्रस्तावित हैं। जिनमें से 15 को पूरा कर लिया गया है तथा शेष 22 का कार्य प्रगति पर है, इसके अलावा 2008–09 में 33 के.वी. स्तर के 59 सब–स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

1.11 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त विषय संख्या एक के अर्न्तगत 33 के.वी. सब–स्टेशनों को आपूर्ति हेतु 1000 किलोमीटर लम्बी लाईन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

1.12 वर्तमान में 33 के.वी स्तर के 60 सब–स्टेशनों के निर्माण का प्रावधान इस योजना में किया गया है।

1.13 इस गतिविधि पर 321.66 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

2. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अर्न्तगत 11 के.वी. फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन कर नए वितरक ट्रांसफार्मरों को एल.टी.लाईन से जोड़ना,जिला प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 11 के.वी. फीडरों तथा एल.टी. लाईनों को बढ़ाकर एरियल बन्चड केबल प्रदान करना।

1.14 उच्च तकनीकी हानियां और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में बाधा अतिभारित फीडरों के परिणामस्वरुप प्रभावित है। अतिभारित फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन करने से तकनीकी हानियों में कमी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज/आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 400 फीडरों के द्विभाजन/त्रिभाजन का प्रस्ताव है।

1.15 द.ह.बि.वि.नि. की औसत भार वृद्धि 8 प्रतिशत तथा कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक भी है। पानी का स्तर गिरने से ए.पी. उपभोक्ताओं द्वारा मोटरों की क्षमता बढ़ाई गई है, उन्हें अतिरिक्त उपभोक्ता प्रणाली में जोड़ा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 हजार अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों को एच.टी.,एल.टी. लाईनों से जोड़ कर प्रदान करना प्रस्तावित है।

1.16 इस गतिविधि पर निवेश के रूप में 843.1 करोड़ रूपये खर्च होने की सभावना है।

3 ग्रामीण कृषि भार से ग्रामीण घरेलू भार का पृथक्करण।

1.17 11 के.वी. स्तर के 554 फीडरों को कृषि भार से ग्रामीण घरेलू भार को विभाजित करने की आवश्यकता है। जिनमें से 96 फीडरों को दिनांक 31/03/2008 तक पूरा कर दिया गया है, शेष 458 फीडरों का कार्य प्रगति पर है।

1.18 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 288.43 करोड़ रुपए का निवेश इस गतिविधि पर खर्च की संभावना है।

4 <u>गांवों/कस्बों और 11 के.वी. फीडरों पर एच.वी.डी.एस. प्रदान करना।</u>

1.19 एक सूची शहरी और मिश्रित फीडरों से हुई उच्च हानि के लिए बीस लाख रुपये प्रति वर्ष वापिस भुगतान हेतु तैयार की गई थी तथा लाईन लॉसिस की 16 प्रतिशत बचत का संभावित लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना के दौरान 474. 75 करोड़ रुपये निवेश करके सभी फीडरों को एच.वी.डी.एस. प्रदान करने का प्रस्ताव है। 3019 गांवों और कालोनियों को एच.वी.डी.एस. प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। जिसमें से 182 दिनांक 31/03/2008 को पूरे किए जा चुके हैं।

5 <u>क्षेत्र के विभिन्न सब–स्टेशनों पर डी.एस.एस./ भार प्रेषण केन्द्र प्रदान करना।</u>

1.20 द.ह.बि.वि.नि. ने 33 के.वी. स्तर के 143 सब–स्टेशनों का 31/03/2008 तक निर्माण करने का प्रावधान रखा है तथा वर्ष 2008–09 के दौरान 59 सब–स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव बनाया है।

1.21 प्रत्येक सब–स्टेशन की आवश्यकता के मुताबिक सभी तीन फेसों के भार, बिजली कारक, ऊर्जा खपत तथा फीडर की स्थिति के दिन के समय के प्रति क्रियाशील अंश के अनुबोधक आंकड़े निकट निगरानी कर प्राप्त किए। बेहतर दक्षता के लिए यह प्रणाली में आवश्यक है। इसलिए द. ह.बि.वि.नि. की न्याय व्यवस्था में सभी 33 के.वी. स्तर के 220 सब–स्टेशनों में आंकड़े अधिग्रहण प्रणाली प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसपर वर्ष 2008–09 के दौरान अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये है। इस प्रावधान को बिजली नियामक आयोग (इनर्फासमैंट) की देख–रेख में मदद मिलेगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंकडे अधिग्रहण प्रणाली प्रदान हेतु सभी सब–स्टेशनों और क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्रों पर 78.25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

6. <u>फीडर मीटरिंग, प्रीपेड मीटर</u>

1.22 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान द.ह.बि.वि.नि. ने विद्युत मीटरों और फीडर मीटरों के साथ इलैक्ट्रोनिक मीटरों को बदलने की योजना बनाई है। प्रीपेड मीटरिंग को अपनाने का इरादा है। प्रदर्शन हेतु कुछ प्रीपेड मीटरों को स्थापित कर अध्ययन किया जा रहा है। इस कार्य पर 248. 20 करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावित हो चुके है।

7 <u>मांग पक्ष प्रबन्धन</u>

<u>उच्च दक्षता सी.एफ.एल. प्रकाश कार्यक्रम</u>

1.23 द.ह.बि.वि.नि. ने अपने क्षेत्र के परिचालनों के अर्न्तगत सी.एफ.एल को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एक कार्यक्रम शुरु किया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दस लाख सी.एफ.एल. लैंपों का वितरण किया और सिरसा सर्कल को भारत का पहला सी.एफ.एल. सर्कल होने का दावा किया।

1.24 बिक्री संर्वधन नमूना 2007–08 में अपनाया। जिसमें लगातार तीन हजार गांवों को सी.एफ.एल. में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस रणनीति में शहरी क्षेत्रों को भी शमिल किया गया।

1.25 हरियाणा सरकार के अनुपालन में सभी सरकारी कार्यालयों को प्रकाश व्यवस्था करने के लिए सी.एफ.एल./टी–5 ट्यूब लाइटों में स्थानान्तरित किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 22/52/05–5पी.दिनांक 29/07/2006 को सरकारी इमारतों/सहायता प्राप्त संस्थाओं/बोर्डो/निगमों इत्यादि में काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट लैंप के उपयोग को अनिवार्य कर संख्या डी–38/2005 दिनांक 14/12/2005 को बिक्री परिपत्र जारी किया गया।

1.26 निगम भी सी.एफ.एल. से कार्बन क्रेडिट अनुभव प्राप्त करने और कुशल प्रकाश हासिल करने के लिए सलाहकार नियुक्त करना चाहता है।

<u>उच्च दक्षता सड़क प्रकाश कार्यक्रम</u>

1.27 निगम द्वारा उच्च दक्षता सड़क प्रकाश कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रयोगिका आधार पर इन प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा हैः–

1 स्वचालित ''बटन चालू–बटन बंद'' नियंत्रण मशीन को नियमित करने के लिए दिन के समय के दौरान चलने से बचने के लिए फोटो सेंसर का उपयोग किया जाता है।

2 देर रात घंटे के दौरान वैकल्पिक स्ट्रीट लाईट का स्वचालित सरक्यूटरी लाईट का प्रयोग करें। भार में कमी करने के लिए क्षेत्र के आधे भाग में स्ट्रीट लाईट प्रयोग करेंगे।

1.28 द.ह.बि.वि.नि. ने उपरोक्त प्रोद्यौगिकियों स्ट्रीट लाईटिगं के उपभोक्ता वर्ग को प्रयोगिका परियोजना की प्रतिक्रिया के आधार पर आवेदन देने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

<u>उच्च दक्षता लिफ्ट नहर सिंचाई कार्यक्रम</u>

1.29 वर्तमान में द.ह.बि.वि.नि. की लिफ्ट नहर सिंचाई प्रणाली 25 से 30 साल पुराने पंपो और कम दक्षता वाली मोटरों पर निर्भर है।

1.30 उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए द.ह.बि.वि.नि. की (ऊर्जा सर्विसिज कम्पनीज) ई.एस. सी.ओ. को रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर नियुक्त करने की सलाह है।

1.31 परामर्शदाताओं द्वारा रिपोर्ट के अनुसार द.ह.बि.वि.नि. ऊर्जा दक्षता लिफ्ट नहर सिंचाई कार्यक्रम की रुपरेखा की योजना पर कार्रवाई के लिए तैयार है।

<u>मोटर दक्षता कार्यक्रम</u>

1.32 यह कार्यक्रम औद्योगिक उपभोक्ताओं, संचालकों व मोटरों को केन्द्रीभूत करने को लक्षित है।

1.33 हाल ही में मोटर के डिजाईनों में विकास की उपलब्धि से दक्षता में (4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत का) महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है। विभिन्न गति ड्राइव (वी.एस.डी.) का प्रयोग कर मोटर की गति को नियमित किया जा सकेगा।

1.34 उच्च दक्षता मोटरों को (एच.ई.एम.) औसत 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़ाकर मानक मोटरों से ज्यादा ऊर्जा बचत की जा सकती है। जो मोटर के आकार व संचालन के घंटो पर निर्भर है। उच्च प्रारम्भिक लागत, प्रमुख बाधा का संयोजन और बचत का सत्र क्या वास्तव में प्राप्त किया

जा सकता है ? इसी प्रकार वी.एस.डी.एस. के साथ मुख्य बाधा है कि क्या प्रारम्भिक पूंजी व्यय का औचित्य भविष्य में बचत स्तर को प्रकट कर सकता है। वैसे, द.ह.बि.वि.नि. ने वी.एस.डी.एस. निर्माताओं के साथ गठबंधन कर अनुदान दरों पर उपभोक्ताओं के लिए उच्च दक्षता वाली कुशल मोटरों को अनुदान दरों पर प्रदान करने के लिए योजना बनाई हैं।

<u>सिंचाई दक्षता निर्धारित पम्प कार्यक्रम</u>

1.35 सिंचाई के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में कृषि उपभोक्ता बिजली पर निर्भर हैं। दक्षता पम्प प्रणाली के तहत सभी कृषि उपभोक्ताओं का ऊर्जा दक्ष पम्प सेटों का उपयोग करना अत्यन्त महत्व रखता है। बी.ई.ई. ने समर्सीबल पम्प सेटों के लिए स्टार रेटिड प्रक्रिया को अन्तरिम रुप दे दिया है और रेटिंग जल्द उपलब्ध होने पर निगम अपने दक्ष पम्पिगं कार्यक्रम का आरम्भ करेगा।

1.36 हरियाणा में लगभग 4.50 लाख सिंचाई पम्प (आई.पी.) सेट हैं। ये आई.पी. सेट प्रतिवर्ष 640 करोड़ से भी ज्यादा बिजली यूनिटों की खपत करते हैं। एक सिंचाई पम्प सेट पर लगभग 14 हजार यूनिटों का भार है। एच.ई.एस.एल. के द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से 80 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई पम्प सेट स्थानीय ब्रांड के पाए गए जिन्हें स्थानीय पम्प सेट डीलरों से स्थापित करवाया गया है। ऊर्जा दक्ष सिंचाई पम्प सेटों का उपयोग करने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से भी कम हैं।

1.37 निगम द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान जीतो–जीतो अभियान चलाया गया है। निगम की 'अपना ट्रांसफार्मर जीतो' एच.वी.डी.एस. प्रणाली के तहत कृषि कनैक्शन वाला जो भी किसान (निगम द्वारा निर्धारित लोड) एच.वी.डी.एस. प्रणाली के अर्न्तगत उदाहरण के लिए, यदि किसान निगम से ऊर्जा दक्ष मोटर (पांच साल की वांरटी के साथ) खरीदने पर निगम बदले में उसे एक स्वतंत्र वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.आर.) प्रदान करेगा जिसके कनैक्शन का सारा खर्च निगम का होगा।

1.38 निगम उन सभी किसानों को एच.टी. लाईन से स्वतंत्र ट्रांसफार्मर निशुल्क प्रदान करेगा, जो दक्ष पम्पिगं उपकरणों के विषय की निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर प्रस्तुत करेगा।

<u>शक्ति कारक सुधार कार्यक्रम</u>

1.39 द.ह.बि.वि.नि. का यह कार्यक्रम बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर केन्द्रित है। हालांकि, यह व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जा सकता है।

1.40 बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उपभोक्ताओं के भार पक्षों को ध्यान में रखते हुए कैपिस्टर बैंको की स्थापना की गई है।

1.41 वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को किलोवाट घंटों के हिसाब से बिल भेजा जा रहा है। ऊपर उल्लेखित कार्यक्रम जीतो–जीतो प्रणाली में उपभोक्ताओं की स्थिति में सुधार कर उपभोक्ताओं को अनावश्यक जुर्माने से बचाकर राहत प्रदान करेगा।

<u>अमारफॉस कोर ट्रांसफार्मर कार्यक्रम</u>

1.42 ए.एम.डी.टी. (अमारफॉस कोर वितरण ट्रांसफार्मर) के किनारों में ग्लास

मिश्र धातु का उपयोग होता है। ठोस अवस्था में गैर क्रिस्टलीयन सूक्ष्म आकृति होने पर (अमारफॉस) है। इस सूक्ष्म आकृति के परिणामस्वरुप अमारफॉस मिश्र धातुओं का चुम्बकीय प्रदर्शन, कठोरता, ताकत, हानि सहनशीलता और जंग प्रतिरोध जैसे गुणों का अद्वितीय संयोजन प्रदर्शित करता है। यह दक्षता को बढ़ाने और लोहे की हानि को कम करने के लिए है।

1.43 परम्परागत कोर ट्रांसफार्मरों के समूचे जीवन चक्र की तुलना में कुल परिचालन लागत से कम मूल्य में बेहतर संचालन दक्षता और परिणाम वाले अमारफॉस कोर प्रकार के सभी नए ट्रांसफार्मरों को द.ह.बि.वि.नि. द्वारा खरीदा जा रहा है।

1.44 द.ह.बि.वि.नि. भी अमारफॉस कोर वितरण ट्रांसफार्मरों को उद्योगों और अन्य स्थानों पर अनुप्रयोगों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

<u>सौर ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम</u>

1.45 द.ह.बि.वि.नि. अपने अधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में सौर जल ताप प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। मीडिया की मदद से नियमित रुप से विभिन्न जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के एस.डब्ल्यू.एच.एस. बिक्री पर रियायती दरों का प्रस्ताव है।

1.46 हरियाणा सरकार के राजपत्र के निर्देशों की अनुपालना में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सौर जल ताप प्रणाली का उपयोग अनिवार्य है।

1.47 आदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। सोलर जल हीटर का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल में छूट देकर हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन की पेशकश की है।

1.48 एच.ई.आर.सी. ने भी गैर परम्परागत ऊर्जा स्थापित करने के लिए दिशा–निर्देश दिए है जबकि गैर–परम्परागत ऊर्जा की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके गैर–परम्परागत ऊर्जा की खरीद करने के लिए फरीदबाद एवं हिसार में स्वयं के दो कार्यालय चला रहा है।

1.49 एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए (टेरी से प्राप्त परामर्श के आधार पर) का निवेश द.ह.बि.वि.नि. का प्रस्ताव है। तदनुसार, निगम वैकल्पिक ऊर्जा प्रोद्यौगिकी दिखाने और गैर परम्परागत ऊर्जा की खरीद के लिए एच.ई.आर.सी. निवेश की पूर्ति हेतु प्रत्येक चालू वर्ष के दौरान 50 किलोवाट के दो सौर ऊर्जा संयंत्रो की स्थापना का इरादा रखता है। इसलिए सौर ऊर्जा के अर्न्तगत कुल पांच करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।

<u>उपभोक्ता दक्षता जागरुकता कार्यक्रम</u>

1.50 द.ह.बि.वि.नि. विभिन्न सर्कल कार्यालयों में डी.एस.एम. केन्द्र स्थापित करने की दिशा में योजना बना रहा है। ई.एस.सी.ओ.एस. निर्माताओं द्वारा उपकरणों का संरक्षण कराया जाएगा और सौर ऊर्जा दक्षता से संबधित सभी सूचनाओं और प्रोद्यौगिकियों का प्रदर्शन एक ही दुकान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

1.51 द.ह.बि.वि.नि. हिसार में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। ऊर्जा दक्षता के मुद्दो पर सार्वजनिक शिक्षा, ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के बारे में एक गैर तकनीकी वातावरण के अनुकूल जानकारी देना इसका उद्देश्य है। हिसार में ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए 650X230 वर्ग फुट के एक भू–खंड की पहचान की गई है।

1.52 पार्क में जिन विषयो व अवधारणाओं का प्रदर्शन किया जाएगा वह निम्नलिखित हैं'–

1 कार्य नमूने, वास्वविक संचालन उपकरणों, चार्ट और पोस्टर का उल्लेख ही नहीं बल्कि ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरणीय ऊर्जा के लाभ व सिद्वान्तों की व्याख्या।

2 बुनियादी सुविधाओं और सिद्वान्तों को सीखने हेतु बच्चों के लिए हस्त प्रयोगात्मक सेट।

3 सौर ऊर्जा फुव्वारें, उद्यान रोशनी और सौर वाहन इत्यादि।

4 हरे रंग की इमारत पर ऊर्जा दक्ष आन्तरिक प्रदर्शन।

5 निर्माताओं के अपने उत्पादों को बचेने व प्रदर्शित करने के लिए समर्पित कोने।

ऊर्जा लेखा परीक्षा

1.53 कार्यक्रम का लक्ष्य वाणिज्यिक क्षेत्र (कार्यालय भवनों, होटलों, शॅपिगं मालों) के विशिष्ट उपभोक्ता हैं हालांकि, आवासीय और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी पेशकश की जा सकती है।

1.54 यह कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता की लागत में सुधार के अवसरों के उद्देश्य से है और इसमें सभी उपयोगकर्त्ता शामिल हैं।

1.55 यह एक पायलट लेखापरीक्षा कार्यक्रम विशिष्ठ उपभोक्ता अनुभाग में चयनित इमारतों को लक्षित कर रहा है। इसमें होटल/मोटल, शॅपिगं माल और सरकारी इमारतें शामिल हैं। लेखापरीक्षा की सिफारिशों से वित्त पोषण का एक तंत्र स्थापित करना और ऊर्जा दक्षता पर लागत के प्रभावी अवसरों की पहचान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

1.56 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गतिविधियों पर 781.0 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है।

8 नाबार्ड

1.57 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 के दौरान दो करोड़ रुपये के प्रावधान से इन कार्यों को योजना के अर्न्तगत पूरा कर लिया गया है।

9 ए.पी.डी.आर.पी.

1.58 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ए.पी.डी.आर.पी. के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए 10.36 करोड़ रुपये प्रदान किए गए तथा कार्य प्रगति पर है।

10 11 के.वी. स्वचालन वितरण प्रणाली

1.59 द.ह.बि.वि.नि. गुड़गांव तथा फरीदाबाद शहरी क्षेत्र में अपनी पूरी वितरण प्रणाली के स्वचालन की योजना बनाई गई है। तदनुसार, यह परियोजना दक्षिण हरियाणा वितरण उन्नयन परियोजना' शीर्षक पर शुरु की गई है। परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित उद्देश्य है :–

क) बिजली की आपूर्ति में सुधार करने की विश्वसनीयता।

ख) इस क्षेत्र के 11 के.वी. नेटवर्क संचालन, पर्यवेक्षी नियंत्रण, स्वचालन वितरण नेटवर्क की निगरानी तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति क्रम से सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण और संचार उपकरण प्रदान किए गए।

ग) उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति के निर्धारित घंटों में हुई कमी का कारण बिजली की मांग का बढ़ना है।

1.60 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गतिविधियों पर 160.19 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है।

11 <u>स्वचालन वितरण प्रणाली–आगामी मीटरिंग</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 में शहरी औद्योगिक उपभोक्ताओं को आगामी उच्च प्रौद्योगिकी मीटरिगं उच्च मूल्य पर प्रदान करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है। इस संबंध में प्रीपेड मीटरिंगं कनैक्शन/डिस्कनैक्शन सुविधाओं को अनुरुपता से लागू करना और स्वचालित मीटर रीडिंग (ए.एम.आर) सुविधाओं के साथ मीटर की स्थापना करना शामिल है। इस गतिविधि के तहत, गुड़गांव, हिसार और फरीदाबाद जिलों में घरेलू व गैर–घरेलू लगभग 1,50,000 मीटरों की स्थापना की योजना का कार्यान्यवन किया। इसके अतिरिक्त निगम का कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए आगामी मीटर ए.एम.आर और उन्नत संचार सुविधाओं के साथ वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

1.62 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गतिविधियों पर 196.97 करोड़ रुपये निवेश की योजना को प्रस्तावित किया गया है।

12 <u>33/.433 के.वी. प्रणाली प्रदान करना।</u>

1.63 सी.ई.ए. ने 33/433 स्तर परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए और इसको निगम कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का इरादा रखता है। 33 के.वी.स्तर को एल.टी. (.433 के.वी.) भार केन्द्र के नजदीक प्रत्यक्ष रुपानान्तरण शामिल होगा। इससे 33 के.वी. स्तर कम करके सब–ट्रांसमिशन और निरंतर होने वाले घाटे को कम कर प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा।

1.64 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गतिविधियों पर 8.69 करोड़ रुपये निवेश की योजना को प्रस्तावित किया गया है।

13 <u>उपभोक्ता सेवा केन्द्र</u>

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत सभी जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिससे उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटरिगं नए कनैक्शन सम्बन्धी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिला मुख्यालयों फरीदाबाद में चार, गुड़गांव में दो और नूह, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़,हिसार और फतेहबाद प्रत्येक में एक कुल 13 उपभोक्ता सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। हिसार में स्थापित उपभोक्ता सेवा केन्द्र प्रक्रिया स्थिर पूर्णतया चालू हो गया है। अब

फरीदाबाद गुड़गांव, भिवानी, सिरसा में उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शेष स्थानों पर उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का कार्य बाद में शुरु किया जाएगा।

1.66 एक नीति के रुप में सभी उपमण्डलों को पूर्ण कम्पयूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, प्रथम चरण में, सभी 37 शहरी उपमण्डलों के लिए 17 कम्पयूटरीकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्रों में पुर्नगठित किया जा रहा है। पहला कम्पयूटरीकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्र, उपमण्डल हिसार में पूरा हो चुका है और 6 कम्पयूटरीकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का उपमण्डल गुड़गांव में 15 मई, 2008 तक परिचालन किया जाना है।

1.67 11वीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत 3413.60 करोड़ रुपए के कुल निवेश की योजना प्रदान की गई है।

14 <u>ए.टी.एण्ड.सी हानियों को कम करने और नुकसान से बाहर आने के उपायः–</u>

1.68 बिजली उपयोगिता की वित्तीय स्थिति बिजली की आपूर्ति के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। उदाहरणतः प्रणाली में न्यूनतम वितरण नुकसान के साथ मूल्याकंन कर बिलिंग वसूली पर निर्भर करता है।

1.69 विद्युत उपयोगिता की वित्तिय स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए ए.टी.एण्ड.सी. हानियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था (समुचित प्रसारण और वाणिज्यिक घाटे)

1.70 ए.टी.एण्ड.सी. हानियों को कम करने और नियमित निगरानी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ए.टी.एण्ड.सी. हानियों के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक का निर्धारित लक्ष्य नीचे दिया गया है।

<u>सारणी–3 ए.टी.एण्ड सी. हानियों में कमी का लक्ष्य (2011–12 तक)</u>

ए.टी.एण्ड सी. हानियों में कमी का लक्ष्य (2011–12 तक)	
वित्तीय वर्ष	ए.टी. एण्ड सी. हानियों के लिए निर्धारित लक्ष्य
2007–08	30 प्रतिशत
2008–09	28 प्रतिशत
2009–10	24 प्रतिशत
2010–11	20 प्रतिशत
2011–12	16 प्रतिशत

1.71 द.ह.बि.वि.नि. द्वारा ए.टी.एण्ड.सी. हानियों को कम करने के लिए उठाएगए कदम निम्नलिखित है :–

क) गांवों में एच.वी.डी.एस. प्रणाली प्रदान करके (प्रति मण्डल दस गांव)।

ख) घरेलू व अन्य उपभोक्ताओं के मीटरों को बदलकर परिसर से बाहर खंभे पर बाक्स के अन्दर लगाकर ।

ग) बिजली की चोरी में कटौती।

घ) एच.टी. औद्योगिक श्रेणी के मीटरों और मीटरिगं उपकरणों को दरवाजे के पास लगाकर।

ड) मीटरों की व्यापक सील।

च) कुंडी कनैक्शनो का नियमितीकरण।

छ) अतिभारित प्रणाली पर वितरक ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अतिभारित एवं लम्बे फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन किया जा रहा है। ग्रामीण घरेलू भार एवं कृषि भार को भी अलग–अलग कर दिया गया है।

ज) वितरण प्रणाली पर पुराने कन्डक्टरों को बदलकर उचित प्रकार के कन्डक्टरों का प्रतिस्थापन कर दिया गया है।

झ) वितरक ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाए जा रहे हैं जैसे डी.टी. मीटरिंग।

ञ) संवेदनशील क्षेत्रों में अनावृत कन्डक्टरों के स्थान पर एल.टी. एरियल बन्चड केबल लगाई गई है।

ट) टी.डी.सी.ओ.एस./पी.डी.सी.ओ.एस. समय पर किया जाता है।

ठ) ग्रामीण क्षेत्रों में संचयन दक्षता सुधार, बिल संचयन तथा घर–घर ऊर्जा भार संचयन के लिए एच.ई.एस.एल. (एन.जी.ओ.एस.) को अधिकृत कर दिया गया है।

1.72 वित्तीय वर्ष 2007–08 से मार्च 2008 तक ए.टी.एण्ड.सी. हानियों को कम करने की उपलब्धियों का निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है :–

सारणी–4 ए.टी.एण्ड.सी. हानियों को कम करने की उपलब्धि।

वित्त वर्ष 2006–07 में ए.टी.एण्ड.सी. हानियां	वित्त वर्ष 2007–08 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वित्त वर्ष 2007–08 से (मार्च 2008 तक) प्राप्त लक्ष्य
32.49 प्रतिशत	30.00 प्रतिशत	25.47 प्रतिशत

1.73 उपरोक्त से स्पष्ट है कि वित्तिय वर्ष 2006–07 के अंत तक ए.टी.एण्ड.सी.हानियां 32.49 प्रतिशत थी। वित्तिय वर्ष 2007–08 के अंत तक ए.टी.एण्ड.सी.हानियां 30 प्रतिशत निर्धारित की गई। 2007–08 के दौरान मार्च 2008 तक ए.टी.एण्ड.सी.हानियां 25.47 प्रतिशत थी। ए.टी.एण्ड.सी. हानिया 4.53 प्रतिशत कम हो गई हैं।

15 सी.डी.एम. (स्वच्छ विकास प्रणाली) तथा डी.एस.एम. (मांग पक्ष प्रबन्धन)

सी.डी.एम. (स्वच्छ विकास प्रणाली)

1.74 विद्युत क्षेत्र सी.डी.एम. परियोजनाओं को लागू करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने लिए राष्ट्रीय टैरिफ नीति पर बल दिया गया है।

1.75 क्योटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत सी.डी.एम. परियोजना, में द.ह.बि.वि.नि. के अर्न्तगत उपभोक्ताओं के लिए काम्पेक्ट फ्लोरोसैंट लैंपस (सी.एफ.एल. परियोजना) की शुरुआत की।

1.76 उपयुर्क्त निर्णय के अनुसरण हेतु निम्नलिखित कार्रवाही की गई :–

सी.एफ.एल. परियोजना

1.77 द.ह.बि.वि.नि. के अधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत सभी सर्कलों में सी.डी.एम. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्योटो–प्रोटोकॉल के अर्न्तगत सात फर्मों के साथ एम.ओ.यू.एस. हस्ताक्षरित किए गए। जहां फर्म इन्केन्डेसैंट लैंपों के स्थान पर सी.एफ.एल. बदलने के लिए जिम्मेदार होगी तथा सी.डी. एम. के अर्न्तगत सी.ई.आर.एस. द्वारा प्राप्त लाभों के लिए सक्षम होगा तथा जहां द.ह.बि.वि.नि. को अधिकतम मांग में कमी होने से लाभ होगा।

डी.एस.एम. (मांग पक्ष प्रबन्धन)

1.78 डी.एस.एम. के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित हैं :–

एच.वी.डी.एस. परियोजना

1.79 द.ह.बि.वि.नि. ने वर्तमान उच्च हानि एल.टी. नेटवर्क को निम्न हानि एच.टी. नेटवर्क में परिवर्तित करने हेतु पहले ही निवेश कर दिया है। यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत सी. डी.एम. परियोजना की रपट तैयार कर ऊर्जा की बचत के लिए आवश्यक कार्रवाही करके लाभ प्राप्त किए गए हैं।

1.80 इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को एच.वी.डी.एस. अपनाने के लिए निगम द्वारा बी.ई.ई. 4स्टार रेटिड के 15 वॉट या इससे ऊपर के सी.एफ.एल. बल्बों का निःशुल्क वितरण करने का प्रस्ताव है। एच.वी.डी.एस. योजना के कार्यान्वयन हेतु अधीक्षक अभियन्ताओं 'परिचालन' को आवश्यकता अनुसार सी.एफ.एल. देने के लिए कहा गया है।

सौर जल ताप प्रयोक्ताओं को बिजली बिल में छूट देकर घरेलू क्षेत्र में सौर जल ताप प्रणाली को बढ़ावा देना :–

1.81 जल ताप प्रयोक्ताओं के घरेलू बिलों मे छूट प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए। सौर जल ताप के प्रयोग हेतु निरन्तर अभियान चलाए जा रहें हैं।

कृषि क्षेत्र में आई.एस.आई. चिन्ह वाले मोटर पम्प सेटों, विद्युत कैपिस्टर,फुट/रिफलेक्स प्रतिबिम्ब वॉल्वस का उपयोग अनिवार्य है।

1.82 कृषि क्षेत्र में नए ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए निर्देश दिया गया है कि आई.एस.आई चिन्ह वाले पम्प सेटों विद्युत कैपिस्टर,फुट/रिफलेक्स प्रतिबिम्ब वॉल्वस का उपयोग अनिवार्य है। मांग नोटिस निर्देशों के अनुसार नए ए.पी. कनैक्शन को जारी करते समय उपरोक्त पहलुओं पर लागू किया जाए।

कृषि ऊर्जा दक्षता परियोजना

1.83 इस परियोजना के अर्न्तगत वर्तमान में चल रही कृषि मोटरों को बदलने का प्रस्ताव है। जिनकी परिचालन दक्षता दक्ष मोटरों की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम है और इनकी आपूर्ति प्रणाली तथा दक्षता स्तर सभी तरह से 50 प्रतिशत है। जिससे ऊर्जा संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कम होगा तथा यू.एन.ई.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत सी.डी.एम. परियोजना की रपट तैयार कर ऊर्जा की बचत के लिए आवश्यक कार्यवाही कर लाभ प्राप्त किए गए हैं।

अध्याय–।।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति

1

2.1 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) एक संगठन है जो निर्धारित प्रक्रिया तथा लक्ष्य के साथ कार्य करता है। इसका पर्यावरण तथा सुरक्षा से स्थाई सम्बन्ध है तथा आई.एस.ओ. 9001, आईएस.ओ. 14000 तथा ओ.एस.एच.एस. 18000 के मानकों को क्रम में रखने का प्रयास करती है।

द.ह.बि.वि.नि.लि.पहचान करने, निर्धारण करने, तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध तथा सामाजिक सम्बन्धों का दोनो संगठन तथा परियोजना स्तरों पर बचाव के निम्नलिखित मूल सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को कम तथा शान्त करने, के साथ प्रबन्ध प्रणालियों का सुधार तथा राज्य की कला तथा सिद्ध की हुई तकनीकों को प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध है।

द.ह.बि.वि.नि.लि. की पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति का विवरण।

द.ह.बि.वि.नि.लि. यह भी विश्वास दिलाता है :–

2.2 सभी स्टॉकहोल्डर जिनमें समुदाय, व्यक्ति, कर्मचारी, सरकारी निकाय परियोजना से लाभान्वित होने वाले तथा प्रभावित जनसंख्या शामिल है के साथ व्यवहार में पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित है। उनका द.ह.बि.वि.नि.लि. के कार्य में शामिल होना जनता परामर्श प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रासंगिक सूचना लगभग परियोजना के लागू होने के प्रतयेक चरण में फैलाई जाती है।

2.3 निगम की जिम्मेवारी का ऊंचा मानक केवल इसके कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि इसके उपभोक्ताओं तथा सिविल समाज, सामाजिक जिम्मेवारी विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यों द्वारा स्थापना के आस–पास रहने वाले समाज के जीवन को गुणात्मक, समूह तथा सामाजिक आर्थिक विकास, अधिकतम महत्वपूर्ण रूप से इसमें हिस्सेदारी द्वारा समुन्नत करती है।

2.4 प्रगतिशील नीतियों के द्वारा जैसे सिविल के लिए कम भूमि तथा राईट ऑफ वे की चौड़ाई कम करके वनस्पति/पशुधन, भूमि तथा पर्यावरण पर इकोलॉजिकल प्रभाव कम किया जाये।

(ए) पर्यावरण तथा सामाजिक नीति के नियम।

ए) विभिन्न वर्तमान केन्द्रीय, राज्य नियमों तथा नीतियों में उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर द.ह.बि.वि.नि.लि. ने अपने भविष्य के सभी प्रसार निवेश प्रोग्रामों में प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक नीति का निर्माण किया है। द.ह.बि.वि.नि.लि. के पर्यावरण तथा सामाजिक नीति की प्रधान कुंजी निम्नानुसार है :–

(ए) पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन, राष्ट्रीय पार्क तथा आरक्षित जीव मण्डल में इसका परिचालन न करें।

(बी) स्थिति स्थान, भूमि प्रदेश तथा सुक्ष्मग्राही क्षेत्रों की पर्यावरणीय कठिनाईयों पर विचार करना तथा उन पर प्रभाव की पहचान करना तथा इनको नई पद्धतियों/विज्ञान के वास्तविक उपचारों द्वारा शान्त करना।

(सी) कार्यकुशल तथा सुरक्षित उद्योग विद्या पद्धति लागू करना।

(डी) अपने सारे कार्य कलापों तथा परिचालनों में प्रदूषण को कम करना।

(ई) विद्युत हानियों को कम करना तथा सभी कार्यकलापों में विद्युत कार्यकुशलता को उन्नत करना।

(एफ) सामाजिक सूक्ष्मग्राही क्षेत्रों में मानव स्वभाव के सम्बन्ध में तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों में किसी किस्म के भ्रष्टाचार से बचना।

(जी) जहां कहीं नुकसान से लोग पीड़ित हो उन प्रभावित व्यक्तियों को सुधार के लिए सहायता की जायेगी या कम से कम उनके जीवन स्तर मानकों की पुनः प्राप्ति होगी।

(एच) उपकेन्द्रों तथा सम्प्रेषण लाईन के प्रस्तावित रूटों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों से परामर्श किया जायेगा।

(आई) द.ह.बि.वि.नि.लि. के कार्य ढांचे में लोस्ट (काम आई) अचल सम्पि ा के लिए मुआवजा तथा हकदार व्यक्ति को क्षतिपूर्ति (आर एण्ड आर) देनदारी सुनिश्चित करना।

(जे) सभी जीवन्त परियोजना डिजाईनों के विकल्पों की तलाश करके अनैच्छिक कार्य स्थिरीकरण से बचा जायेगा या कम किया जायेगा।

(के) सभी विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्तियों जो भूमि के मालिक नहीं है उन सहित परियोजना से पहले के जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी।

(एल) प्रान्तीय प्रदेश में बसे व्यक्तियों तथा बाहर के ग्रुपों में बसे जो हानि पहुंचाने वाले हैं उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(एम) प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श से पुनः स्थापना कार्यवाही योजना तैयार की जाएगी तथा उनकी स्वीकृति सुनिश्चित करके हकदार व्यक्तियों की समय पर सहायता दी जाएगी।

(एन) यदि किसी व्यक्ति की शेष भूमि कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसकी सम्पूर्ण जमीन अधिग्रहण की जाएगी तथा तदानुसार मुआवजा दिया जाएगा यदि प्रभावित परिवार ऐसा चाहता है। आंशिक ढ़ांचा प्रभावित करने के लिए वही पद्धति अपनाई जाएगी।

(ओ) कार्य ढ़ांचा नीति के अनुसार व्यक्तियों को मुआवजा तथा सहायता देने से पहले भूमि के किसी हिस्से पर वास्तविक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। जहां तक सम्भव है द.ह.बि.वि.नि.लि. अपनी निर्माण गतिविधियों को फसल को क्षति न पहुंचाने की स्थिति में कार्यरूप देता है यदि खड़ी फसल में क्षति होने का मामला हो, द.ह.बि.वि.नि.लि. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

2.6 द.ह.बि.वि.नि.लि. की पर्यावरण तथा सामाजिक मामलों को प्रस्तुत करने के लिए विचार करता है तथा तदानुसार यथाक्रम शान्त करने के वैकल्पिक उपाय लागू करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढ़ांचे के निर्माण करने की योजना बनाता है। उचित उपाय के साधन कम से कम

तकलीफ, बचाव के सिद्धान्तों के मार्गदर्शन में तथा भूमि के नियम के अनुसार निरन्तर समीक्षाओं की शर्त के अनुसार नीति तथा क्रियाविधि होगी।

वितरण परियोजनाओं में पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दे।

2.7 उपकेन्द्र तथा वितरण लाईनों के निर्माण तथा परिचालन में पर्यावरणीय तथा सामजिक मामलें शामिल हैं, वे एक दूसरे के प्रकृति के प्रभाव तथा अवधि से भिन्न हैं। पर्यावरणीय तथा सामाजिक मामलों में से कुछ जो इसकी परियोजनाओं में उठाये जा सकते हैं वे न बचने योग्य है तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. उनको जो इसके कागजों में मोटे अक्षरों में दर्शाये गये हैं, प्रबन्ध प्रक्रियाओं में दर्शाना चाहता है।

2.8 द.ह.बि.वि.नि.लि. के पास वितरण लाईनों तथा उपकेन्द्रों का विशाल प्रसार कार्य है जो हरियाणा में फैला हुआ है तथा राज्य कार्यरत वितरण कम्पनियों की आवश्यकता पूरी करता है। द.ह.बि.वि. नि.लि. ने इसकी परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय तथा सामाजिक आदर्श मामलों की पहचान की है जो निम्नानुसार है :

पर्यावरणीय मुद्दे

1. **राईट–ऑफ वे (सही रास्ते) से वृक्षों को हटाना।**

राईट–ऑफ वे में से वृक्षों की कम से कम कटाई की जाती है। वन विभाग से स्थाई रूप से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

2. **भूमि की वनस्पतियों को मशीनरी चलने के लिए साफ करना।**

मशीनों को सावधानीपूर्वक उपयोग में लाया जाता है ताकि वनस्पति के लिए भूमि को कम से कम क्षति हो। किसी भी ऐसी न्यूनतम क्षति के लिए देय क्षतिपूर्ति भी की जाती है :–

3. **उपकेन्द्रों के लिए वनस्पति की भूमि की स्वीकृति लेना।**

मशीनों को सावधानीपूर्वक उपयोग में लाया जाता है ताकि वनस्पति के लिए भूमि को कम से कम क्षति हो। किसी भी ऐसी न्यूनतम क्षति के लिए देय क्षतिपूर्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त हमेशा बंजर भूमि या कृषि के लिए अयोग्य भूमि खरीदने के प्रयत्न किए जाते हैं।

4. **उपयोग किया हुआ ट्रांसफार्मर तेल।**

उपयोग किए गए ट्रांसफार्मर तेल को निर्धारित शर्तों के अनुसार सावधानीपूर्वक निपटान किया जाता है ताकि इसका प्रभाव पर्यावरण पर न पड़े और प्रदूषण न फैले। इसकी नीलामी केवल उसी फर्म को की जाती है जो सम्बन्धित विभाग/विनियामक अंग द्वारा वैध लाईसैंस प्राप्त किए हुए है।

5. **उपयोग हुई बैट्रियों तथा कपैसिटर बैंक का निपटान।**

उपयोग हुई बैट्रियों तथा कपैसिटर बैंक का निपटान नियमों में दिए गये प्रावधानों के अनुसार निपटाए (नीलाम किए) जाते हैं। इनको केवल उन्हीं फर्म को नीलाम किया जाता है जो सम्बन्धित विभाग नियामक निकाय से वैध लाईसैंस रखती हों।

6. विद्युत ट्रांसफार्मरों की विशेषताओं को पी.सी.बी. पर बाहर दिखाया गया है और पी.सी.बी. के साथ कोई विद्युत उपकरण उपयोग नहीं किए जाते हैं।

<u>सामाजिक मुद्देः</u>

2.9 उपकेन्द्र स्थलों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से सम्बन्धित वितरण परियोजनाओं के साथ सामाजिक मुद्दे सहायक होते हैं। पुटिंग टावरों के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की जाती है (यद्यपि द.ह.बि.वि.नि.लि. के द्वारा पुटिंग टावरों के साथ–साथ उपकेन्द्रों को स्थापित करने की गतिविधियां लचीली है। रेलवे लाईनों पर टावरों तथा अन्य क्रोसिंग की सुरक्षा के लिए द.ह.बि. वि.नि.लि. अपनी हाऊस क्षमता का निर्माण करता है। लाईनों तथा उपकेन्द्रों के मामले में निम्नलिखित प्रतिकूल घटक हैं :–

<u>वितरण लाईनें</u>

वितरण टावरों की स्थापना तथा स्टीरिंग व निर्माण के दौरान अस्थाई वितरण

- फसलों की हानि
- वितरण लाईनों के नीचे अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों को उगाने पर प्रतिबंध
- उपकेन्द्र
- भूमि की हानि
- मकानों/ढ़ांचों/वृक्षों/फसलों की हानि
- निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण हुई हानि
- राजस्व भूमि के अधिग्रहण के कारण आम सम्पि स्रोतों की हानि

2.10 द.ह.बि.वि.नि.लि. की वितरण परियोजनाओं के लिए भूमि तथा अन्य परिसम्पियों का अधिग्रहण न्यूनतम होगा लेकिन ए.एफ. आर्थिक वृद्धि व विकास की उच्च दर तथा एस.ई. जेड के आने के कारण व निजी विकासक र्ाओं को ध्यान में रखते हुए, भूमि अधिग्रहण का प्रभाव बढ़ सकता है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए द.ह.बि.वि.नि.लि. ने अपनी नीति एवं प्रक्रिया बनाई है। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने भूमि अधिग्रहण तथा सम्पि से हानि और प्रभावित व्यक्तियों से सम्बन्धित सभी मामलों को निपटाने के लिए उचित कार्यकुशल व पारदर्शी विधि अपनाई है। इ.एस.पी.पी. के निर्माण को सुविधा मिली है। जब भी परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण, संरचनाओं तथा अन्य परिसम्पियों की आवश्यकता होती है, तो द.ह.बि.वि.नि.लि. नीति प्रावधानों की अनुपालना करेगा, जो साथ–साथ भारतीय बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948, भारतीय बिजली नियम, 1956 तथा भारतीय बिजली अधिनियम 2003 समेत, राष्ट्रीय तथा हरियाणा की नीतियों व विनियमों के साथ तर्क संगत ढ़ंग से बनाए जाते हैं। द.ह. बि.वि.नि.लि. वि ीय स्रोतों का ध्यान किए बिना, अपने निवेश कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों (ए.पी.) नकारात्मक प्रभावों तथा परिसम्पियों की हानि सहित, भूमि अधिग्रहण व

अनैच्छिक प्रतिस्थापन से सम्बन्धित सभी विषयों को साफ, कुशल तथा पारदर्शी ढ़ंग से निपटने को सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है। इस संदर्भ में, द.ह.बि.वि.नि.लि. ने प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणीय सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाओं (इ.एस.पी. व पी.) को बनाने तथा तैयार करने का निर्णय लिया है। ई.एम.पी.एण्ड आर.ए.पी. का मुख्य उद्देश्य समस्त नीति तथा प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क की व्यवस्था करना है जो इसके वितरण निवेश कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रतिकूल सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए कार्यों का संचालन करेगा।

अध्याय–।।।

नीति, विधि तथा विनियामक फ्रेमवर्क

राज्य स्तर पर शामिल द.ह.बि.वि.नि.लि. के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय आवश्कयता :

हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 तथा बिजली अधिनिमय, 2003 :

3.1 उपरोक्त बताए गए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार द.ह.बि.वि.नि.लि. किसी भी प्रकार की भूमि में सम्प्रेषण टावरों को स्थापित करने की शक्ति रखता है। बिजली अधिनियम, 2003 उद्योग के प्रति सहायक मानकों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क की रचना करने की तलाश करता है। बिजली अधिनियम विद्युत सम्प्रेषण से सम्बन्धित गतिविधियों की पर्यावरणीय आपदाओं के साथ स्पष्टतया से कार्यवाही नहीं करता। यद्यपि द.ह.बि.वि.नि.लि. अपनी परियोजना की गतिविधियों को पर्यावरणीय बचाव के एक भाग के रूप में जोड़ता है। विद्युत सम्प्रेषण योजनाएं इस प्रकार से योजनाबद्ध की जाती है कि विशेष क्षेत्र की विद्युत जिम्मेवारी पूर्वक उपयोग की जाए।

3.2 बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 व हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997 तथा बिजली अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक–। में सम्बन्धित धाराओं अर्थात आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 42, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 67,68 व 164 के अनुसार है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 :

3.3 यह अधिनियम गैर–वनीय उद्देश्यों हेतु वन–भूमियों के परिवर्तन को नियंत्रित करने तथा वनों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करता है। जब सम्प्रेषण परियोजनाएं वन भूमियों के अन्दर आती हैं, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकारियों से पूर्व स्वीकृति की मांग की जाती है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी गैर–वनीय उद्देश्यों के लिए अपने उपयोग को अधिकृत अथवा किसी भी वन भूमि को अनारक्षित नहीं कर सकती।

3.4 वन स्वीकृति के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन संक्षेप में नीचे किया गया है।

सीधे मार्ग/मार्ग सिंचाई

3.5 वितरण लाईनों के लिए प्रारंभिक मार्ग का चयन भारतीय मानचित्रों के सर्वेक्षण तथा वन एटलस जैसे उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। मार्ग सिंचाई के दौरान, वन क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय पार्क व सेंक्च्यूरीज) को बचाने के लिए अथवा इसको न्यूनतम रखकर सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं। जब यह भौगोलिक भू–भाग/मैदान के कारण अपरिहार्य बन जाता है अथवा जब इसको बचाने में बहुत ऊंची लागत आती है, तो वन क्षेत्र की आवश्यकता को कम करने के लिए भिन्न–भिन्न वैकल्पिक विकल्पों पर विचार किया जाता है। मार्ग को अन्तिम रूप देने के लिए जी.आई.एम./जी.पी.एस. जैसे

आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। सर्वो ाम मार्ग के चयन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया विचार में लाई जाती है :

(ए) प्रस्तावित सम्प्रेषण लाईनों के मार्ग में किसी प्रकार की मानव बस्ती नहीं आती हो,

(बी) सम्प्रेषण लाईन के मार्ग द्वारा कोई ऐतिहासिक मह ाा अथवा सांस्कृतिक स्मारक प्रभावित न हो।

(सी) सम्प्रेषण लाईन का प्रस्तावित मार्ग किसी समुदाय के जीवन को कोई खतरा/डर पैदा न करें।

(डी) सम्प्रेषण लाईन का प्रस्तावित मार्ग किसी आम जनता की उपयोगी सेंवाओं जैसे कि खेल के मैदान, स्कूलों तथा अन्य भवनों को प्रभावित न करें।

(ई) लाईन का मार्ग किसी सैंक्चयूरीज, राष्ट्रीय पार्क, जीव मण्डल आरक्षणों व आर्थिक संवेदनशील, अंचलों में से न गुजरे।

(एफ) लाईन का मार्ग प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र का अतिक्रमण न करे।

3.6 इसको प्राप्त करने के लिए वितरण लाईनों के मार्ग के चयन का उ ारदायितव राजस्व विभाग तथा राज्य वन विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी परामर्श पर लिया जाता है। संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरणीय को बचाने के लिए वैकल्पिक समझौते किए हैं। रास्ता चयन के लिए वैकल्पिक विश्लेषण के लिए एक नमूना फार्मेट अनुबन्ध–।। पर है।

<u>सही रास्ता (राइट ऑफ वे)</u>

3.7 लाईन के सही रास्ते (आर.ओ.डब्ल्यू) की चौड़ाई लाईन की वोल्टेज पर निर्भर करती है। कंडक्टरों तथा वृक्षों के बची न्यूनतम निकासियों तथा वन भूमि पर वितरण लाईनों के लिए सही रास्ते की अधिकतम चौड़ाई नीचे दी गई एम.ओ.ई.एफ. मार्गदर्शनों द्वारा आई. एस. 5613 में विशेष रूप से उल्लेखित मार्ग के चयन के अनुसार की जानी है :–

तालिका 5 कंडक्टरों तथा वृक्षों के मध्य सही रास्ते की निकासी

वितरण वोल्टेज (के. वी) में	अधिकतम आर.ओ. डब्ल्यू.	ग्राऊंड क्लीयरेनस (मीटरों में)	निम्न के मध्य में न्यूनतम क्लीयरेनस (मीटरों में)			
			कंडक्टर		निकटवर्ती वस्तु	
			क्षैतिज	लम्बवत	क्षैतिज	लम्बवत
11 के.वी.	7	6.1	1.5	1.5	1.83	3.66
33 के.वी.	15	6.1	1.5	1.5	1.83	3.66

3.8 एम.ओ.ई.एफ. मार्ग दर्शन अनुबन्ध–।।। पर उपलब्ध है। प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन स्टरिंग उपकरण लेने के लिए 3 मीटर के अन्तर को अनुमति दी जाती है। इस प्रकार की स्टरिपस पर पेड़ गिर जाते हैं वितरण लाईनों के अनुरक्षण के लिए स्ट्रगिंग के पूरा होने

के बाद छोटे पेड़ों को एक बाहरी स्टरिपस मे ंकायम किए जाने के सिवाए इलैक्ट्रीकल अन्तर को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध किया जाता हैं एम.ओ.ई.एफ. मार्ग दर्शन के अनुसार गिरते हुए पेड़ो के जोन/आवश्यकता को दर्शाने वाला चार्ट अनुबन्ध–।।। पर दिया गया है।

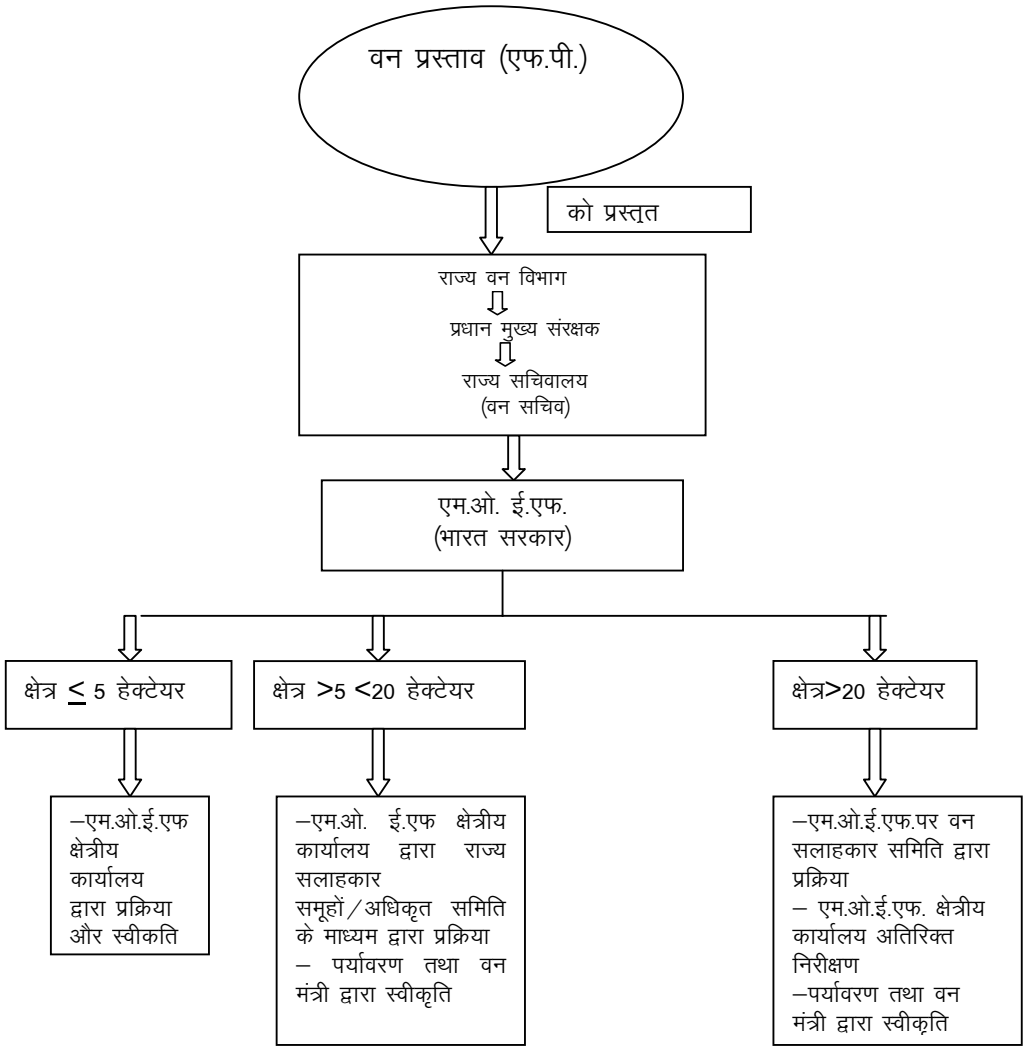

वन प्रस्तावों का सूत्रीकरण

3.9 मार्ग की सिधाई तथा सही रास्ते हेतु चौड़ाई को अन्तिमरूप देने के बाद व यदि लाईन का सही रास्ता वन क्षेत्र में से गुजरता है तो द.ह.बि.वि.नि.लि. अपने अधिकारी को निर्धारित प्रफोरमा अनुबन्ध–5 मे ब्यौरा प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार का नोडल अधिकारी (वन)। नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निकासी की प्रक्रिया के लिए वन प्रस्ताव बनाने के लिए संबंद्ध डिवीजनल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) को ब्यौरा भेजता है फिर डी.एफ.ओ. सम्भव विकल्पों के अन्तर्गत सम्प्रेषण लाईन की संरचना के लिए मांगे गए सम्बन्धित वन क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। यह प्रस्ताव राज्य वन विभाग के पास जमा करवाया जाता है। और फिर राज्यों में वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक को व अन्ततः राज्य सचिवालय को भेजा जाता है। राज्य सरकार स्वीकृति तथा आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है :–

ए) एम.ओ.ई.एफ. का सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय यदि क्षेत्र 40 हैक्टेयर या कम का है।

बी) एम.ओ.ई.एफ. का सम्बन्धित कार्यालय नई दिल्ली यदि क्षेत्र 40 हैक्टर से ज्यादा है।

3.10 एम.ओ.ई.एफ. प्रस्ताव की दो अवस्थाओं में स्वीकृति करता है। सैद्धांतिक रूप से अथवा पहली अवस्था की स्वीकृति को मामले पर निर्भर करने वाली निश्चित शर्तों के साथ सहमति दी जाती है। दूसरी अवस्था अथवा अंतिम स्वीकृति की सहमति राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एम.ओ.ई.एफ. द्वारा प्रदान की जाती है। स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986

3.11 पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 एक मात्र कानून के रूप में लागू किया गया था जो पर्यावरण में सुधार तथा बचाव के लिए एक अच्छे (होलिस्टिक) फ्रेमवर्क की व्यवस्था करता है। उ ारदायित्वों की शर्तों के अनुसार, प्रतिवर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय विवरण भेजने के लिए तथा विशिष्ट प्रकार की नई/विस्तृत परियोजनाओं (पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 1994 के नाम) के लिए पर्यावरणीय निकासियों की प्राप्ति हेतु अधिनियम तथा सम्बन्धित नियमों की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय स्वीकृति अनुबन्ध–5 में दी गई परियोजना श्रेणियों के अनुसार विद्युत वितरण परियोजनाओं के लिए लागू नहीं है। अरावली रेंज के विशेष क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में एक अधिसूचना तथा एम.ओ.ई.एफ. भारत सरकार–ई.आई.ए. 2006 अधिसूचना के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यक गतिविधियों का परियोजनाओं की सूची भी अनुबन्ध–5 पर संलग्न है।

हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक –संवेदनशील जोन की घोषणा

3.12 हरियाणा सरकार ने दिनांक 6–03–2007 को अपने पत्र क्रमांक 1471–एफ.टी. –4–2007/3281 के तहत अनुबन्ध–6 के अनुसार राज्य के सभी राष्ट्रीय पार्को तथा वन्य प्राणी सेंक्च्यूरीज के आस–पास आर्थिक संवेदनशील जोन की घोषणा के लिए भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। निश्चित गतिविधियों को निषेद्ध करते हुए आर्थिक–संवेदनशील जोन की अधिसूचना पर्यावरण बचाव अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी जारी की जानी है। राष्ट्रीय पार्कों में कालेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, गुड़गांव शामिल है। वन्य जीव सेंक्च्यूरीज में भीडवास सेंक्च्यूरी, झज्जर, नाहर सेंक्च्यूरी, रेवाड़ी, छिलछिला सेंक्च्यूरी, कुरूक्षेत्र, बीड़ शिकारगढ़ सेंक्च्यूरी, पंचकूला, अबुबशहर सेंक्च्यूरी, सिरसा, सरस्वती सेंक्च्यूरी, कैथल व कुरूक्षेत्र, खपड़वास सेंक्च्यूरी झज्जर, बीड़ बाराबन, जींद, कालेसर सेंक्च्यूरी, यमुनानगर तथा मोरनी सेंक्च्यूरी, पंचकूला शामिल हैं।

3.13 यद्यिप वितरण लाईन परियोजना प्रकृति में प्रदूषण करने वाली नहीं है तथा इनमें भूमि, हवा व पानी में ठोस गंदे, बहिःश्राव व हानिकारक पदार्थ का कोई निपटान शामिल नहीं है, इसलिए पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 की सीमित आवश्यकता लागू नहीं है। हरियाणा में गुड़गांव में अरावली क्षेत्र में स्थित विद्युत सम्प्रेषण परियोजनाएं एम.ओ.ई.एफ. से पर्यावरणीय स्वीकृति (क्लीयरेंस) की मांग करेंगी।

3.14 द.ह.बि.वि.नि.लि. ई.एस.पी.पी. में दी गई एक मानक प्रबन्धन प्रक्रिया के रूप में सभी राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित निर्धारण की जिम्मेवारी लेता है तथा राष्ट्रीय कानूनों व राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित शोर के स्तरों तथा आस–पास की हवा की गुणव ा के अनुमेय मानकों के अन्दर कार्य करता है।

3.15 पर्यावरणीय (बचाव) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अन्य नियम द.ह.बि.वि.नि.लि. के परिचालन के लिए लागू है, जिनका वर्णन किया गया है:–

बैटरियां (प्रबन्ध तथा निपटान) नियम, 2001

3.16 पर्यावरणीय (बचाव) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 व 25 के तहत एम.ओ.ई.एफ. ने प्रयोग की गई बैटरियों तथा इसके निपटान पर निश्चित पाबंदी लगाई है। दिनांक 16 मई, 2001 की अधिसूचना के अनुसार, यह बल्क उपभोक्ता (द.ह.बि.वि.नि.लि.) की सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है कि प्रयोग की गई बैटरियों का निपटान करें अथवा कार्यवाही तथा निपटान के लिए डीलर, निर्माणक र्ा या पंजीकृत रिसाइक्लर के पास जमा कराई जाए। द. ह.बि.वि.नि.लि. उक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार बैटरियों का निपटान करने तथा इन पाबंदियों का पालन कर रहा है। सम्बन्धित हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड को फार्म–8 (अनुबन्ध–7) के अनुसार फाईल करने के लिए वार्षिक रिटर्न की आवश्यकता होती है।

खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ (प्रबन्ध तथा निपटान) संशोधन नियम, 2003

3.17 ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ (प्रबन्ध तथा निपटान) नियम, 2003 के अन्तर्गत खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उपयोग किया गए खनिज तेल का वर्गीकरण करते हैं जिनके निपटान के लिए उचित कार्यवाही की आवश्यकता होती हैं इन नियमों के अनुसार प्रयोग किए गए खनिज तेल के निपटान के लिए निम्न आवश्यकताएं हैं :

(ए) उपयोग किया गया तेल पंजीकृत रिसाइक्लर के पास परिष्करण के लिए भेजा/बेचा जा सकता है, यदि वह नियमों की अनुसूची–5 में विशिष्टता को पूरा करता है।

(बी) बेकार तेल जो पुनः परिष्करण के लिए सही नहीं है (अर्थात अनुसूची–5 में सूचीबद्ध विशिष्टताओं को पूरा नहीं करता), को भट्टियों में प्रयोग किया जा सकता है। यदि वह नियमों की अनुसूची–6 में दी गई विशिष्टताओ ंको पूरा करता है।

(सी) कोई भी बेकार तेल जो अनुसूची–6 में विशिष्टता को पूरा नहीं करता, उसे बेचा या नीलाम नहीं किया जाएगा, लेकिन खतरनाक अपशिष्ट इन साइनरेटर में निपटाया जाएगा।

3.18 द.ह.बि.वि.नि.लि. के उपकेन्द्रों पर उत्पादित प्रयोग किया गया खनिज तेल उपरोक्त नियमों की अनुसूची–5 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। द.ह.बि.वि.नि.लि. सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एस.पी.सी. बी.) से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए प्राधिकरण की तलाश करेगा जब इसकी जरूरत हो। यह तेल अधिकृत/पंजीकृत पुनः परिष्करणक र्ाओं को नीलाम किया जाएगा तथा फार्म–13 के अनुसार अपने सम्बन्धित एस. पी.सी.बी. को सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

अनुसूची 5 एवं 6 अनुबन्ध–8 पर चित्रित की गई है।

फार्म–13 अनुबंध–9

ओजन को समाप्त करने वाले पदार्थ (विनियम तथा नियंत्रण) नियम, 2000

3.19 पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 व 25 के अन्तर्गत एम.ओ.ई.एफ. ने मोनट्रियल प्रोटोकाल के अन्तर्गत ओजोन को समाप्त करने वाले पदार्थो (ओ.डी.एस.) के विनियम/नियंत्रण के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार, निर्माण करने, आयात, निर्यात तथा इन यौगिकों के उपयोग पर निश्चित नियंत्रण तथा विनियम लागू किए गए हैं।

विधि से सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण

3.20 द.ह.बि.वि.नि.लि. प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण की आवश्यकता हेतु पूरी तरह सचेत है तथा जहां सम्भव हो सके पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को बचाता है। आडी–तिरछी अपरिहार्य वन भूमि के मामले में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। द.ह.बि.वि.नि.लि. के प्रस्ताव में आने वाले अन्य सम्बन्धित कानून ये है :–

(ए) भारतीय वन अधिनियम 1927, जो वनों को वर्गीकृत करता है तथा लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों के परिवहन तथा तथा निष्कर्षण को नियंत्रित करता है।

(बी) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 गैर–वि ीय उद्देश्यों के लिए वन भूमियों के परिवर्तन के विषय में राज्य सरकारों पर पाबंदियां लगाता है।

(सी) राष्ट्रीय वन नीति 1988 वनों के बचाव तथा विकास में लोगों को शामिल करने पर विचार करती है।

(डी) वन्य प्राणी बचाव अधिनियम 1972 बचाव क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्क व सेंक्च्यूरीज (के प्रबन्ध पर कार्यवाही करती है। इसमें विशेष जानवरों के शिकार करने पर पाबंदी करने सहित वन्य प्राणी के उत्पादों पर व्यापार के नियंत्रण के लिए प्रावधान है।

(ई) प्राचीन उदाहरण, आदि शेष अधिनियम–1958।

कम्पनी (द.ह.बि.वि.नि.) की ई.एस.पी.पी. में सवंधि आवश्यक प्राचीन उदाहरण, आदि शेष अधिनियम, 1958 को अपनाएगी तथा ऐसे क्षेत्रों का बचाव करेगा परन्तु फिर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का कुछ भाग पड़ता है तो द.ह.बि.वि.नि. के परियोजना क्षेत्र में उसे शामिल नहीं करेगा

(एफ) पुरातन तथा कला धराहेर, अधिनियम, 1972।

कम्पनी (द.ह.बि.वि.नि.) की ई.एस.पी.पी. में सविध आवश्यक पुरातन तथा कला धरोहर, अधिनियम 1972 को अपनाएगी तथा यदि कम्पनी के परियोजना क्षेत्र में पुरातन तथा कला धरोहर का कोई भू–भाग पड़ता है तो तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

<u>स्वास्थ्य सुधार एवं आवश्यकताएं</u>

3.21 द.ह.बि.वि.नि.लि. कार्यक ाओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का निपटान करने के साथ विभिन्न श्रम कानूनों के अतिरिक्त एक उच्च प्राथमिकता के रूप में सुरक्षा कायम करता है। द.ह.बि. वि.नि.लि. के पास निदेशक/स्वास्थ्य के अन्तर्गत अपने परियोजना कर्मचारियों के सभी स्वास्थ्य पहलूओं का निरीक्षण करने के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य इकाई है तथा इसने कार्यक ाओं की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन/जांचसूची व सुरक्षा के नियम बनाए है क्योंकि इसके कर्मचारियों को ई.एच.वी. उपकरण तथा वितरण लाईनों को चलाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है।

3.22 संरचना तथा परिचालन के दौरान सम्प्रेषण लाईनों पर कार्य करने के लिए इन मार्गदर्शनों में कार्य अनुमति तथा सुरक्षा सावधानियां सम्मिलित है। उपकेन्द्रों तथा वितरण लाईनों के उपकरणों पर कार्यक ाओं के लिए करने वाले तथा न करने वाले कामों की एक सूची अनुबन्ध–10 के रूप में संलग्न है।

3.23 ओवरहैड वितरण लाईनों से इलैक्ट्रो मैगनेटिक विकिरणों के निकलने से कैंसर के जोखिम बढ़ने की सम्भावना के बारे में कुछ चिताएं हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय इर.एम.एफ परियोजना के भाग के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगइन (डब्लयू.एच.ओ.) समीक्षा आयोजित की गई जिससे निष्कर्ष निकला कि चालू विशिष्ट साहित्य से कोई प्रत्यायक प्रमाण नहीं मिला कि क्षेत्र विकिरणों के परित्याग के माध्यम से मनुष्य के जीवन को कम या प्रभावित करता है अथवा कैंसर को बढ़ावा देता है।

1. <u>भारतीय बिजली नियम–1956।</u>

3.24 इनमें ऊर्जा के उपयोग तथा आपूर्ति से सम्बन्धित सामान्य सुरक्षा की आवश्यकताओं व शर्तों के लिए नियमों का सेट (समूह) है। इन अनुबंधों में से कुछ निम्न प्रकार है :–

3.25 भारतीय बिजली नियमों 1956 में निर्धारित न्यूनतम निकासी, एच.वी. स्थापनाओं की ओवर हैड लाईनों समेत बाहरी उपकेन्द्रों में कोई, उपकरण या सक्रिय भाग अथवा नंगे कंडक्टर ये है :–

<u>तलिका 6 न्यूनतम दूरी</u>

वोल्टेज श्रेणी	ग्राउंड दूरी (मीटर)	अनुभागीय स्वीकृति (मीटर)
11 के.वी. से अधिक नहीं	2.75	2.6
33 के.वी. से अधिक नहीं	3.70	2.8
66 के.वी. से अधिक नहीं	4.0	3.0
132 के.वी. से अधिक नहीं	4.6	3.5
220 के.वी. से अधिक नहीं	5.5	4.3
400 के.वी. से अधिक नहीं	8.0	6.5

<u>तलिका 7 न्यूनतम कंडक्टर के ग्राऊंड पर दूरी</u>

1.	गली के आर–पार ओवर हैड लाईनों के लिए	
(ए)	निम्न एवं मध्यम वोल्टेज लाईन	5.8 मीटर
(बी)	उच्च वोल्टेज लाईन	6.1 मीटर
2.	गली के साथ ओवर हैड लाईनों के लिए	
(ए)	कम तथा मध्यम वोल्टेज लाईन	5.5 मीटर
(बी)	उच्च वोल्टेज लाईन	5.8 मीटर

1.	**जहां लाईन हो या गली को पार करना हो, तो ओवरहैड लाईन स्थापित करें**	
(ए)	33 के.वी.	5.2 मीटर
(बी)	66 के.वी.	5.5 मीटर
(सी)	132 के.वी.	6.1 मीटर
(डी)	220 के.वी.	7.0 मीटर
(ई)	400 के.वी.	8.5 मीटर

<u>तालिका 8 अधिकतम झुकाव के आधार पर भवनों से निर्धारित वर्टीकल दूरी।</u>

क्रम संख्या	लाईन श्रेणी	न्यूनतम दूरी (मीटर)
1.	33 के.वी.	3.7
2.	66 के.वी.	4.0
3.	132 के.वी.	4.6
4.	220 के.वी.	5.5

5.	400 के.वी.	7.3

तालिका 9 वायु के दबाव के कारण अधिकतम डिफेक्शन के आधार पर भवनों से निर्धारित होरीजेंटल दूरी।

क्रम संख्या	लाईन श्रेणी	न्यूनतम दूरी (मीटर)
1.	33 के.वी.	2.0
2.	66 के.वी.	2.3
3.	132 के.वी.	2.9
4.	220 के.वी.	3.8
5.	400 के.वी.	5.3

तालिका 10 प्रत्येक अन्य लाईन को पार करने के बीच में मीटरों की निर्धारित न्यूनतम अंतर की दूरी।

क्रम संख्या	नोमिनल वोल्टेज प्रणाली	11–66 के. वी.	110–132 के. वी.	220 के.वी.	400 के.वी.	800 के.वी.
1.	11.66 के.वी.	2.44	3.05	4.58	5.49	7.94
2.	110–132 के. वी.	3.05	3.05	4.58	5.49	7.94
3.	220 के.वी.	4.58	4.58	4.58	5.49	7.94
4.	400 के.वी.	5.49	5.49	5.49	5.49	7.94
5.	800 के.वी.	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94

अनुदान देने वाली एजेंसियों की पर्यावरण आवश्यकताएं :–

3.26 द.ह.बि.वि.नि.लि. से सम्बन्धित अनुदान देने वाली मुख्य एजेंसियां विद्युत वि ा निगम (पी. एफ.सी.) विश्व बैंक (डब्ल्यू.बी.) तथा जापान बैंक अन्तर्राष्ट्रीय निगम (जे.बी.आइ.सी.) है। जे. बी.आइ.सी. के पर्यावरणीय मार्गदर्शनों तथा विश्व बैंक की 4.01 परिचालनात्मक नीतियां, एशियन विकास बैंक की परिचालनात्मक नियमावली (ओ.एम.) एफ.1/बी.पी. इन फंड प्रदान करने वाली एजेन्सियों की पर्यावरण आवश्यकता को कवर करती हैं।

3.27 इन नीतियों व मार्गदर्शनों में विभिन्न विकासीय परियोजनाओं के पर्यावरणीय निर्धारण (ई.ए.) के लिए अनुदान देने वाली एजेन्सियों की नीति तथा प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हरियाणा में ज्यादातर सम्प्रेषण लाईन परियोजनाएं सीमित संघटन रखती हैं जो न्यूनीकरण/प्रबन्ध मापों के माध्यम से कम हैं तथा इसलिए, केवल एक पर्यावरणीय समीक्षा की मांग करती है तथा केवल पर्यावरणीय निर्धारण (ई.ए.) के विषय में हैं। अनुबन्ध–4 के अनुसार सभी सम्प्रेषण कार्यों को तैयार करने के लिए सूचना मांगी जाती है।

3.28 परियोजना साईकल में जितना जल्दी सम्भव हो ई.ए. की शुरूआत की जाती है तथा परियोजना के आर्थिक, वि ाीय संस्थागत, सामाजिक तथा तकनीकी विश्लेषण के साथ–साथ जिम्मेदारी ली जाती है, सम्प्रे ाण परियोजनाएं नमी भूमि, वनों, घर वाली भूमि तथा अन्य प्राकृतिक निवास स्थानों समेत वन्य प्राणी, मानव जनसंख्या तथा पर्यावरण के प्रति अनुत्क्रमणीय संघटन नहीं रखती। जयादातर, द.ह.बि.वि.नि.लि. पर्यावरणीय निष्पादन के सुधार के लिए प्रतिकूल प्रभाव के लिए प्रतिपूर्ति बचाने, कम अथवा न्यून करने के लिए उचित उपाय करता है। ई.ए. ग्लोबल पर्यावरणीय पहलुओं व ट्रांस–बाऊंडरों एवं सामाजिक

पहलुओं, मानव स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व प्राकृतिक पर्यावरण को लेखे में लेता है। ई.ए. प्रक्रिया के दौरान परियोजना कार्यान्वयन की हर अवस्था पर आम आदमी को सूचित किया जाता है तथा निर्णय लेने में उनके विचारों का आदर किया जाता है।

वनों पर विश्व बैंक की परिचालन नीति 4.36

3.29 यह नीति बैंक पोषित निवेश परियोजनाओं की निम्नलिखित प्रकारों लिए लागू होती है :

ए) ये परियोजनाएं जो वनों की गुणव ाा तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव रखते है या रख सकते है

बी) वे परियोजनाएं जो लोगों के कल्याण तथा अधिकारों की और वनों के साथ उनके आपसी प्रभाव या उन पर उनके निर्भरता के स्तर को प्रभावित करती है तथा

सी) वे परियोजनाएं जो वनस्पतियों या प्राकृतिक वनों की उपयोगिता, बचाव एवं प्रबन्धन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती हैं, चाहे वे आम जनता, निजी तौर पर अथवा सामुदायिक रूप से अपनाई गई हो।

3.30 परिचालन नीति वन कटाव को कम करने का लक्ष्य रखती है, वनरोपण सुधार के माध्यम से वनरोपित खेतों के पर्यावरणीय योगदान को बढ़ाती है, गरीबी कम करती है, तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। यह पारिस्थितिकीय महत्व वाले वनों को हस्तक्षेप पहुंचाने वाली परियोजना का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहमतियों का उल्लघंन करने वाली परियोजनाओं पर पाबंदी लगाती है।

3.31 द.ह.बि.वि.नि.लि. हमेशा जहां तक सम्भव हो सावधानी पूर्वक मार्ग के चयन के माध्यम से कम करके अथवा वनों से बचाव पर जोर देता है। यद्यपि जहां स्थिति अपरिहार्य हो, टावरों के लिए विशेष डिजाईन, राइट ऑफ वे आवश्यकताओं तथा वन हानियों को कम करके मानदण्ड अपनाए जाते हैं। द.ह.बि.वि.नि.लि. अपने परिचालन द्वारा प्रभावित क्षेत्र को सी.ए. से बाहर लाने के लिए वन विभागों को वनस्पति की हानि की क्षतिपूर्ति करने तथा देश के हित में और ज्यादा वन सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दो गुणा क्षेत्र प्रदान करेगा।

प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्रोतों पर विश्व बैंक की परिचालन नीति–4.11

3.32 जिन वस्तुओं, स्थलों, संरचनाओं, संरचनाओं के समूहों , व प्राकृतिक विशेषताओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को चल या अचल सम्पा ि के रूप में परिभाषित किया गया है यह नीति उन प्राकृतिक सांस्कृतिक स्रोतों के बारे में बताती है जो पुरातत्वीय, जीवाश्मीय, ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय, धार्मिक, सौन्दर्यपरक, अथवा सांस्कृतिक महत्व रखते है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्रोत पानी के नीचे, भूमि के ऊपर या नीचे तथा शहरी या ग्रामीण बस्तियों में पाए जा सकते हैं। उनका सांस्कृतिक महत्व स्थानीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय स्तर, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्दर हो सकता है। 2. प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्रोत लोगों की सांस्कृतिक पहचान तथा परम्पराओं के एक अभिन्न अंग, आर्थिक एवं सामाजिक

विकास के लिए परिसंपतियों, बहुमूल्य वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक सूचना के स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

उद्‌देश्य

3.33 बैंक विकास परियोजनाओं से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या बचाने के लिए देशों की सहायता करता है जिनको यह वि ा प्रदान करता है। मानदंडों के न्यूनीकरण समेत परियोजनाओं की गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों पर इम्पैक्टस, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों एवं समझौतों के अन्तर्गत कर्जदारों के राष्ट्रीय कानून या इसके उ ारदायित्वों का उल्लघंन नहीं कर सकते।

3.34 यह परिचालन नीति महत्वपूर्ण तथा सार्थक सांस्कृतिक संपा ियों की वृद्धि, बचाव तथा उनके संरक्षण से सम्बन्धित है। यह उन परियोजनाओं पर पाबंदी लगाता है जो नान–रेपलीकेबल सांस्कृतिक सम्पा ि को नुकसान पहुंचाती है।

3.35 वितरण लाईनों के मार्ग में अन्तर्निहित लचीलेपन के कारण, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पा ियों को पूरी तरह बचाने के लिए महत्व प्रदान किया जाता है। मार्ग की सिधाई को अन्तिम रूप देते समय इन संपा ियों के बचाव का निरीक्षण करने वाले निकाय भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का परामर्श लिया जाता है। इसी प्रकार, उपकेन्द्रों की स्थापना इस प्रकार से की जाती है कि सांस्कृतिक स्थलों तथा संरचनाओं को सर्वो ाम ढंग से बचाया जा सके।

प्राकृतिक निवास स्थानों पर विश्व बैंक की परिचालन नीति–4.04

3.36 प्राकृतिक वासों के संरक्षण तथा परिस्थितिकीय कार्यों के अनुरक्षण व राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में जोड़ने के लिए डिजाईंड वि ाीय परियोजनाओं द्वारा प्रयोग की गई सुधारी गई भूमि तथा प्राकृतिक निवास स्थानों के संरक्षण हेतु बैंक सहायता करता है व बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, बैंक निम्नकोटि के प्राकृतिक निवा स्थानों के पुनर्वास को बढ़ावा देता है। उन परियोजनाओं की सहायता नहीं करता जिनमे बैंक के मतानुसार, आलोचनात्मक प्राकृतिक निवास स्थानों की अवनति या महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मलित है, जैसे कंवरशन और डीग्रेडेशनएचटीपीः/डब्ल्यूबीएलएन0018.वर्ल्ड बैंक. संगठन/संस्थान/मैनुअल/ओपमैनुअल.एनएसएफ/58एए. 50बी14बी6बीसी071852565ए30061बीइबी6/7609डी7707685788485256731005बी1बी42? वपन डोक्यूमैंट3आफक्रिटीकल नेचुरल हैबिटेटस।

3.37 यह प्राकृतिक निवास स्थानों जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, सेक्च्यूरीज, खेल के आरक्षित स्थानों तथा जीव मण्डल अंचलों/जोनस के संरक्षण के लिए नीतियो ंसे सम्बन्धित हैं बैंक प्राकृतिक निवास स्थानों के महत्वपूर्ण संरक्षण वाली किसी ऐसी परियोजना के लिए

सहायता प्रदान नहीं करता जहां परियोजना व इसके अच्छे स्थल के लिए कोई सम्भव विकल्प नहीं हो।

3.38 द.ह.बि.वि.नि.लि. लाईन के मार्ग की सिधाई के दौरान ऐसे सभी क्षेत्रों का बचाव करता है। यद्यपि, विशेषतः जलीय परियोजना में उत्पादन करने वाली परियोजनाएं/उपकेन्द्रों की स्थिति के कारण कुछ मामलों में, इस प्रकार के क्षेत्रों को पूरी तरह से बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक निवास स्थानो ंके विकास को लम्बी अवधि तक बनाए रखने, पर्यावरण को बढ़ाने तथा बचाने के लिए विशेष मानदंड लिए हुए है। प्राकृतिक निवास स्थनों के बचाव के लिए न्यून मानदंडो को लागू करते हुए व योजना के लिए वि ीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऊंचे टावरों व बहु–सर्कट टावरों को खड़ा करने की व्यवस्था प्राधिकारियों को दी जाती है जो बचाव किए गए क्षेत्रों के संरक्षण/बचाव के लिए जिम्मेदार हैं।

अनुदान देने वाली एजेन्सियों की सामाजिक आवश्यकताएं।

3.39 अनुदान देने वाली एजेन्सियों जैसे विश्व बैंक परिचालनात्मक नीति/प्रक्रियाएं–4.12 तथा परिचालनात्मक डायरेक्टिवज–4.10 के सम्बन्ध में द.ह.बि.वि.नि.लि. की विस्तृत पुनर्वास प्रतिस्थापन (आर.एण्ड आर.) मार्गदर्शन अनिवार्य आवश्यकता है।

ए) **विश्व बैंक परिचालनात्मक नीति 4.13 : अनैच्छिक प्रतिस्थापन।**

3.40 अनैच्छिक प्रतिस्थापन के कारण लम्बे समय तक कठिनाई का सामना तथा दण्डात्मक और पर्यावरणीय क्षति न होने के लिए उपयुक्त साधन अपनाने के लिए अनैच्छिक प्रतिस्थापन पर बैंक नीति के समस्त लक्ष्यों में कारणों को लेने के अनुसार ध्यानपूर्वक योजना बनाई गई है जो निम्न प्रकार है :–

(ए) ऐसी वैकल्पिक परियोजनाओं को डिजाईन करते समय अनैच्छिक प्रतिस्थापन जहां तक सम्भव हो नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए।

(बी) अनैच्छिक प्रतिस्थापन जहां ऐसा करना सम्भव न हो, प्रतिस्थापन गतिविधियों पर विचार करना चाहिए तथा परियोजना में लाभ लेने के लिए परियोजना द्वारा हटाये गये व्यक्तियों को योग्य बनाने के लिए उपयुक्त विकास कार्यक्रम, पर्याप्त निवेश स्रोत प्रदान करना चाहिए। हटाये गए व्यक्तियो ंको अर्थ पूर्ण परामर्श तथा योजनाओं में तथा प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को लागू करने में भागीदारी के अवसर प्रदान करने चाहिए।

(सी) हटाये गये व्यक्तियों के जीवन यापन तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनके प्रत्येक परिवर्तन में सहायता करनी चाहिए या कम से कम उनके ठीक तरह से प्रतिस्थापित होने तक यानि पहले जैसा जीवन स्तर बनाने तक जो भी अच्छा हो उनकी सुविधा अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए।

3.41 यह परिचालन विश्व बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं में दिया गया है अनैच्छिक प्रतिस्थापन के साथ–साथ यह शर्त है कि प्रभावित ग्रुप के प्रतिस्थापन होने के परिचालन

के दौरान सम्भव धन सहायता प्रदान की जाएगी। प्रतिस्थापन पुनर्वास तथा प्रभावित ग्रुप की भागीदारी के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक हक के अधिकार को फ्रेमवर्क करता है। परियोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पहले बैंक को विस्तृत सामाजिक निर्धारण तथा हानि की प्रतिपूर्ति/बेटरमैंट के लिए साधनों की सूची एक्शन प्लान को लागू करने के लिए प्रस्तुत करनी आवश्यक है। यद्यपि विशेष स्थल पर हटाये गए कुछ लोग केवल (लगभग 100–200) तक हों वहां उनकी सम्पा ि के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी तथा उनके पुनः प्रतिस्थान तक आने जाने के लिए संभार सहायता के रूप में आवश्यकता अनुसार धन सहायता दी जा सकती है परन्तु जो वृहद ग्रुप के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के बराबर होगी।

बी) **<u>विश्व बैंक की परिचालन नीति–4.10 देशज (आई.पी.)</u>**

3.42 यह नीति गरीबी को दूर करने तथा विकास को सुनिश्चित करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देगी ताकि विकास गतिविधियां जैसे देशज के सम्बन्ध में सम्मान, मानव अधिकतम, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पूरा किया जा सके। सभी परियोजनाओं के लिए प्रभावित देशी व्यक्तियों के लिए बैंक वि ा सम्बन्धी बैंक आवश्यकताएं मुफ्त में सलाह दी जाएगी। प्रभावित देशज द्वारा परियोजना की सामुदायिक सहायता देने के परिणामस्वरूप बैंक परियोजना वि ा सम्बन्धी सुविधाएं मुफ्त देगा। प्रभावित देशज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली बैंक परियोजनाओं से बचाया जाएगा या जहां तक सम्भव हो उनको कम किया जाएगा या इससे प्रभावित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाएगी। बैंक परियोजना के लिए वि ा सम्बन्धी सुविधा वहां सुनिश्चित करेगा जहां देशज को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ हो और जिस में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तथा सामान्य रूप से सम्मिलित नहीं है।

3.43 यह परिचालन परियोजना तथा प्रभावित देशज के लिए विश्व बैंक की नीतियों तथा प्रक्रियाओं में दिया गया है। सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य यह है कि सामाजिकता व सांस्कृतिक रूप से विकसित करने में योग्य हों तथा देशज को परामर्श दिया जाए। इसलिए देशी व्यक्ति की पूर्व आवश्यकता के अनुसार विकास योजना तैयार की जानी है। जहां आवश्यक हो वहां देशी व्यक्ति को द.ह.बि.वि.नि.लि. सहायता करेगा।

3.44 द.ह.बि.वि.नि.लि. इस बात पर जोर देता है कि हरियाणा में सम्प्रेषण परियोजना के लिए कम से कम भूमि की आवश्यकता पड़े और भारी प्रतिस्थापन न हो। यद्यपि, सभी प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी तथा पुनर्वास तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. की सामाजिक हक देने के अधिकारी के अनुसार हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी जो इन आदेशों और निर्देशों पर आधारित है तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों के जीवन यापन/आय बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आर.आर.नीति पर आधारित है।

राज्य स्तर पर शामिल द.ह.बि.वि.नि.लि. की अनिवार्य समाजिक आवश्यकताएं

3.45 कम्पनी (द.ह.बि.वि.नि.लि.) की ई.एस.पी.पी. ने अपनी गतिविधियों में से उठाए गए सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के अभिभाषण में फंड देने वाली एजेंसियों के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय नीतियों तथा अधिनियमों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं पर विचार किया।

3.46 राज्य में किसी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु सभी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है। यह सरकार को किसी प्रकार की अनिवार्य भूमि पर इसका स्वामितत्व नहीं है को अधिग्रहण करने की शाक्ति प्रदान करता है। जैसे भूमि की एक सार्वजनिक उद्देश्य हेतु मांग की जाती है। भूमि की परिभाषा में धरती के स्थायी रूप से बंधी हुई कोई वस्तु या धरती के साथ संलग्न वस्तुएं तथा भूमि से उठाए जाने वाले लाभ शामिल हैं। यह अधिनियम भूमि तथा उन पर संरचनाओं के कानूनी हकदारों के लिए लागू होता है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

3.47 किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण के लिए धारा (यू/एव)–4(1) यह अधिनियम वहां की बस्ती में आने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों में तथा कार्यालयी गजट में इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना के प्रकाशन का अनुबन्ध करता है। कम से कम, एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो। ऐसा प्रकाशन एक प्राधिकृत अधिकारी को अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की सही स्थिति को निश्चित करने तथा इसकी उचितता का पता लगाने के लिए एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने हेतु ऐसी भूमि पर प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है। यद्यपि, अधिकारी या तो अधिभोक्ता की सहमति से या अधिभोक्ता को सात दिन की सूचना देकर रहन–सहन वाले घर के साथ लगते किसी परिसर या किसी भवन में प्रवेश कर सकता है। इस अधिसूचना का सारांश बस्ती में एक सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक सूचना के रूप में दिया जाता है जिसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है, इस प्रकार की अधिसूचना प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए धारा–5ए के तहत आपत्तियां दायर करने के लिए यदि कोई है, तो भूमि के इच्छुक दलों को अवसर प्रदान करती है।

3.48 भूमि के अधिग्रहण को आगे बढ़ाने के लिए (जैसा अधिसूचित है यू/एस–4) उसी अधिनियम की यू/एस–6 घोषणा का अनुसरण किया जाता है कि उस भूमि की विशेषतः सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवश्यकता है। हर घोषणा को स्थानीय क्षेत्र में वितरित किए जाने वाले 2 दैनिक समाचार–पत्रों में तथा कार्यालयी गजट में प्रकाशित किया जाता है, इसके बाद, राजस्व विभाग मापी गई भूमि/या अन्य अचल सम्पत्तियों व चिन्हित की जाने वाली अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण के लिए आदेश मानने हेतु अधिनियम की धारा–7 के तहत उपायुक्त को दिशा निर्देश जारी करता है। जो प्रश्न में अधिनियम की धारा–8 के प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है। इसके बाद धारा–9 में निहित प्रावधानों

के अन्तर्गत भूमि का कब्जा लेने के लिए सरकार के इरादे बताते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेजे जाते हे तथा क्षतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार के दावे उपायुक्त के पास किए जाएंगे, अन्त में अधिसूचना/एस.4(1) के प्रकाशन की तिथि को भूमि की कीमत पर तथा धारा–8 के तहत किए गए मापों के लिए धारा–9 के तहत दिए गए नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियां (यदि कोई हैं) की जांच के बाद अधिनियम की धारा–11 के तहत जिलाधीश द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए अधिनिर्णय तैयार किया जाता है। अधिनिर्णय की घोषणा प्रकाशन की तिथि से 2 सालों के अन्दर–अन्दर धारा–11 के तहत तैयार किया जाता है यदि इस अवधि में कोई अधिनिर्णय तैयार नहीं किया जाता, तो भूमि अधिग्रहण की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त हो जाती है तथा धारा–4 के तहत नई अधिसूचना को आरम्भ करने की जरूरत होती है। एक बार जब अधिनियम पास हो जाता है, तो उपायुक्त को भूमि का कब्जा ले लेता है जिस पर सरकार पूर्णरूप से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है। यद्यपि, आवश्यकता के मामले में अधिनियम की धारा–17 उपायुक्त भूमि का कब्जा लेने के लिए शक्ति प्रदान करती है चाहे कोई अधिनियम न लिया गया हो। फिर ऐसी भूमि पर सरकार सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है।

3.49 यद्यपि, यह अधिनियम आगे उसी अधिनियम की धारा–18 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति की वृद्धि के लिए उस व्यक्ति द्वारा भूमि की क्षतिपूर्ति को बढ़ाने के लिए उपाय प्रदान करती है।

3.50 इस अधिनियम को आगे धारा 4.23,28 तथा 34 के साथ 1984 में संशोधित किया गया था जो धाराएं क्रमशः क्षतिपूर्ति पर ब्याज व ब्याज की अदायगी, क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित करने में न्यायालय की शक्ति तथा क्षतिपूर्ति को निश्चित करने के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन का निपटारा करती हैं। सार रूप में संशोधित प्रावधानों के निम्नलिखित परिणाम आए है :–

- कार्यालयी गजट के अतिरिक्त, प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन उस बस्ती में आने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में किया जाए जिसमें एक कम से कम क्षेत्रीय भाषा में हो।
- भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त न्यायालय ने अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के विचार में ऐसे बाजार मूल्य पर मुआवजे के रूप में 30 प्रतिशत की राशि का अधिनिर्णय देना है। न्यायालय द्वारा दिलाई गई क्षतिपूर्ति की धनराशि उपायुक्त द्वारा दी गई धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए। कब्जा ली गई तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि के बाद अधिक क्षतिपूर्ति का ब्याज 9 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

3.51 उपकेन्द्रों के लिए जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो द.ह.बि.वि.नि.लि. सख्ती से भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एल.ए.अधिनियम), 1894 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करता है। जब अधिनियम एक बार पास हो जाता है, तो उपायुक्त उस भूमि का कब्जा ले लेता है जिस पर सरकार पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की इनबिल्ट परामर्श प्रक्रिया को विचार मे लेते हुए इनको आगे लागू किया जाता है, द.ह.बि.वि.नि.लि.सार्वजनिक परामर्श/सूचना परियोजना क्रियान्वयन का एक अभिन्न अंग है। आम जनता को मीडिया तथा प्रैस की टिप्पणियों द्वारा क्रियान्वयन की हर अवस्था पर परियोजना के बारे में सूचित किया जाता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ लिए गए समरूप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान, द.ह. बि.वि.नि.लि. के स्थल कर्मचारी लोगों से मिलते हैं तथा उनको भूमि अधिग्रहण के विवरण, प्रस्तावित आर.एवं.आर. के मानदण्डों तथा क्षतिपूर्ति पैकेजों के बारे में सूचित करते हैं।

राष्ट्रीय पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन नीति, 2007

3.52 ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि स्रोत विभाग), जी.ओ.आई. ने **दिनांक 31–10–2007 को राष्ट्रीय पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन नीति, 2007** अधिसूचित की।

राष्ट्रीय पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन नीति, 2007 के उद्देश्य निम्न प्रकार है :।

ए) विस्थापन कम करना तथा जहां तक सम्भव हो सके, गैर–विस्थापन या कम से कम विस्थापित करने वाले विकल्पों को बढ़ावा देना

बी) पर्याप्त पुनर्वास पैकेज तथा प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास प्रक्रिया के अविलम्ब क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना

सी) समाज के कमजोर वर्गो, विशेषत : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतना तथा कन्सर्न व अति संवेदनशीलता के साथ उनके उपचार के लिए राज्य भर पर उ ारदायित्व सुनिश्चित करना

डी) प्रभावित परिवारों के लिए जीवनयापन आय की व्यवस्था करने के लिए संगठित प्रयास करना तथा जीवन निर्वाह के लिए अच्छे मानदंड की व्यवस्था करना

ई) विकास आयोजन तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में पुनर्वास प्रतिष्ठानों को जोड़ना तथा

एफ) जहां भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन होता है, वहां पारम्परिक सहयोग के माध्यम से प्रभावित परिवारों तथा मांग करने वाले निकाय के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध की सुविधा प्रदान करना।

3.47 **राष्ट्रीय पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन नीति, 2007 की धारा 7 के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के लाभ।**

पुनर्वास और प्रतिस्थापन के लाभ अनुच्छेद 6.1 के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन की तिथि को प्रभावित परिवारों, जो योग्य हों, के लिए बढ़ाए जाएंगे तथा उक्त तिथि के बाद परिवार में किसी प्रकार की परिसंपा ियों के विभाजन को खाते में नहीं लिया जा सकेगा।

- कोई भी परिवार जिसका अपना घर अधिग्रहण या नष्ट हो गया हो उसको अधिग्रहण हुए मकान के बराबर के क्षेत्र के मकान का प्लाट मुफ्त नियतन किया गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर भूमि से अधिक नहीं या 150 मीटर से अधिक शहरी क्षेत्र में नहीं दी जाएगी। न्यूक्लीयर परिवार के लिए जैसा भी मामला हो। बशर्ते कि, शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक को इसके स्थान पर 100 मीटर के कार्पेट एरिया का मकान प्रदान किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो बहुमंजिलीय कम्पलैक्स में पेशकश की जा सकती है।
- प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार जो वासभूमि के बगैर रह रहे हो तथा जो प्रभावित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से लगातार रह रहे हों तथा ऐसे क्षेत्र से उनको जबरत हटाया गया हो, वे ग्रामीण क्षेत्र में 100 मीटर के कार्पेट क्षेत्र के मकान और शहरी क्षेत्र में 50 मीटर वाले मकान के लिए हकदार होंगे। जो भी पेशकश की गई हो जहां बहुमंजिलीय भवनों वाले कम्पलैक्स में जहां पुनर्वास किया जाने का जैसा भी मामला हो। बशर्ते कि कोई भी ऐसा प्रभावित परिवार पेशकश किए गए आवास को नहीं लेता तो उसको मकान निर्माण के लिए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित मकान की निर्धारित की गई लागत के बराबर एकमुश्त धन सहायता दी जाएगी।
- कोई ऐसा प्रभावित परिवार जिसकी अपनी कृषि भूमि प्रभावित क्षेत्र के लिए अधिग्रहण कर ली गई है या हानि हुई है उनको यानि प्रभावित परिवास खातेदार (एस.) के नाम कृषि भूमि या ऊपजाऊ भूमि जितनी वास्तव में अधिग्रहण की गई है, के बराबर नियतन की जाएगी बशर्ते कि एक एकड़ नहरी भूमि या दो एकड़ गैर नहरी भूमि का अनऊपजाऊ बेकार भूमि दी जाएगी यदि सरकार के पास पुनर्वास क्षेत्र में भूमि उपलब्ध हो। प्रभावित परिवार को जिसकी इस कारण से भूमि की हानि हुई है चाहे वो मार्जिनल किसान के स्तर से भी कम हो, को लाभ दिया जाएगा।
- सिंचाई या जलीय परियोजना के मामले में प्रभावित परिवार को परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में भूमि प्रदान करने की प्राथमिकता दी जाएगी जहां तक सम्भव हो सके प्रभावित परिवारों को जो इकट्ठा रहना चाहते हों को उपयुक्त इकट्ठी भूमि या प्लाट पर्याप्त आकार का प्लाट नियतन किया जाएगा। यदि कोई परिवार भूमि लेना चाहता है उसको जिसकी भूमि की हानि हुई है को उपयुक्त भूमि के मूल्य के बराबर की धन राशि दे दी जाए ताकि वो उचित भूमि जहां चाहे ले सके।
- सिंचाई या जलीय परियोजना के मामले में प्रभावित परिवार को परियोजना के कमाण्ड एरिया में उचित रास्ते पर भूमि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त योजनाएं बना सकती है कि ऐसी परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध हो या उपलब्ध कराई जा सकती है।

- सिंचाई या जलीय परियोजना के मामले में प्रभावित को सरोवर में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा यदि प्रभावित क्षेत्र में उन द्वारा इस अधिकार का आनन्द लेना हो।
- अन्य मामलों में भी, प्रभावित परिवारों को निम्न कारण से विशेष रूप से मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा, यदि प्रभावित क्षेत्र में उनके द्वारा ऐसे अधिकारों का फायदा लिया गया था, (बी) अन्य मामलों में भी, प्रभावित परिवारों को निम्न कारण से विशेष रूप से मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।
- आवश्यक निकाय के नाम या अभिग्रहण की जाने वाली भूमि परियोजना में शामिल करने के मामले में नियतन की भूमि या मकान का पंजीकरण मुफ्त किया जाएगा ऐसा खर्च आवश्यक निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।
- इस नीति के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को नियतन की गई भूमि/मकान सभी प्रभारों से मुक्त होगी/होगा।
- इस नीति के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को नियतन की गई भूमि या मकान पति या पत्नी दोनों के नाम किया जा सकता है।
- प्रभावित परिवार के प्रत्येक खातेदार को अभिग्रहण की गई भूमि के स्थान पर नियतन की गई बेकार या डीग्रेड भूमि के स्थान पर एक बार इसको सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली धन सहायता प्रदान की जा सकती है परन्तु भूमि के विकास के लिए ये राशि 15000/– रूपये प्रति एकड़ से कम नहीं हो।
- प्रभावित परिवार के प्रत्येक खातेदार को अभिग्रहण की गई भूमि के स्थान पर नियतन की गई कृषि भूमि के स्थान पर एक बार इसको सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली धन सहायता प्रदान की जा सकती है परन्तु भूमि के विकास के लिए ये राशि 10000/– रूपये प्रति एकड़ से कम नहीं हो।
- प्रभावित परिवार जिनके पास पशु हों उनको स्थान से हटाने के लिए और **पशुओं का शैड बनाने** के लिए एक बार इसको सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली धन सहायता प्रदान की जा सकती है परन्तु भूमि के विकास के लिए ये राशि **15000/– रूपये प्रति एकड़ से कम न हो।**
- प्रभावित परिवार को उसके स्थान से उठाने के लिए एक बार इसको सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली धनराशि प्रदान की जा सकती है परन्तु भवन/शैड निर्माण के लिए ये राशि 10000/– रूपये से कम न हो।
- प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति **ग्रामीण कारीगर हो जैसे छोटा व्यापारी या स्वयं रोजगार प्राप्त व्यक्ति** को उसके स्थान से हटाने के बदले में सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली

धन सहायता प्रदान की जा सकती है परन्तु वर्किंग शैड या दुकान के निर्माण के लिए यह राशि 25000/– रूपये से कम न हो।

- एक आवश्यक निकाय के नाम पर परियोजना के लिए अभिग्रहण की गई भूमि के मामले में :

(ए) प्रभावित परिवारों को आवश्यकता रखने वाले निकाय वरीयता देगा–प्रति परिवार से एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार प्रदान करेगा बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों तथा प्रभावित व्यक्ति रोजगार के योग्य हो।

(बी) आवश्यकता रखने वाले निकाय जब भी आवश्यकता होगी प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिरक्षण का प्रबन्ध कर सकता है ताकि योग्य व्यक्ति को उसके उपयुक्त कार्य दिया जा सके।

(सी) आवश्यकता रखने वाले निकाय प्रभावित परिवारों के योग्य व्यक्तियों को स्कॉलरशिप तथा अन्य अवसर प्रदान करेगा जिनके लिए मानदण्ड सरकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

(डी) आवश्यकता रखने वाले निकाय प्रभावित परिवारों या उनके ग्रुपों सहकारिताओं के रूप में ठेके या शॉप नियतन की जा सकती है या प्रोजैक्ट स्थल के चारों तरफ अन्य आय कमाने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे।

(ई) आवश्यकता रखने वाले निकाय प्रभावित परिवारों को प्रोजैक्ट के निर्माण करने के दौरान भूमि हीन श्रमिकों को श्रम प्रदान कर सकती है।

- प्रभावित व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार तकनीकी या व्यवसायिक स्वयं रोजगार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

- **प्रोजैक्ट के नाम पर आवश्यकता रखने वाले निकाय के नाम पर अभिग्रहण की गई भूमि वाले प्रभावित परिवार जिनको कृषि भूमि प्रदान न की गई हो या रोजगार नहीं दिया गया हो उसको पुनर्वास धन सहायता के रूप में 750 दिनों तक कम से कम कृषि मेहनताना या सरकार द्वारा निश्चित की गई इससे अधिक राशि प्रदान की जाएगी।**

बशर्ते कि आवश्यकता रखने वाले निकाय जो एक प्राधिकृत कम्पनी के रूप में शेयर/डिबेंचर जारी करने के लिए ऐसे प्रभावित परिवारों को उनकी पुनर्वास धन सहायता की राशि का 20 प्रतिशत शेयर या डिबेंचर के रूप में प्रदान करेगी। बशर्ते कि भविष्य में सरकार इसको पुनर्वास धन सहायता राशि का 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

<u>भूमि मालिकों की भूमि अभिग्रहण करने के लिए हरियाणा सरकार की पुनर्वास तथा पुनः बसाने की नीति।</u>

3.48 भूमि मालिकों की भूमि अभिग्रहण करने के लिए हरियाणा सरकार की पुनर्वास तथा पुनः बसाने की नीति को हरियाणा सरकार के गजट अधिसूचना नं. 5451–आर..

–बी–2007/13258 दिनांक ––12–2007 के तहत दिनांक 18–12–2007 को प्रकाशित की गई।

3.49 नीति में मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

वार्षिकी

(ए) भूमि मालिकों को ली गई भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 33 वर्ष तक या इससे अधिक वार्षिकी दी जाएगी। वार्षिकी राशि प्रति एकड़ 15000/– प्रति वर्ष होगी।

(बी) प्रत्येक वर्ष 15000/– रूपये की वार्षिकी में 500/– रूपये और बढ़ाये जाएंगे।

(सी) विशेष आर्थिक क्षेत्र/टेक्नॉलोजी नगर, टेक्नॉलोजी पार्कों को स्थापित करने के लिए भूमि अभिग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास तथा पुनः बसाने के पैकेज के अतिरिक्त औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विभाग के पत्र संख्या 49/48/2006–41बी.आई., दिनांक 4 मई, 2006 के तहत भूमि मालिकों को ली गई भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 33 वर्ष तक या इससे अधिक वार्षिकी दी जाएगी। वार्षिकी राशि प्रति एकड़ 30000/– रूपये प्रति वर्ष होगी। प्रत्येक वर्ष इस वार्षिकी में 1000/– और बढ़ाये जाएंगे।

(डी) रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड़कर, वार्षिकी देने की नीति सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की जाने वाले सभी मामलों में लागू होगी।

अध्याय–4

सामाजिक हक का फ्रेमवर्क

4.1 उपरोक्त दिए गए संविधानात्क डायरेक्टिव राष्ट्रीय आर.आर. नीति, राज्य आर.आर. नीति तर्कसंगत नीतियों से भोगाधिकारात्मक सामाजिक हक के अधिकारी फ्रेमवर्क लागू करना। द.ह.बि.वि.नि.लि. प्रभावित तथा उठाये गये परिवारों के पुनर्वास तथा पुनः स्थापना एवं भूमि अभिग्रहण की गतिविधियों फ्रेमवर्क के मार्गदर्शन के अनुसार करता है। परियोजना द्वारा प्रभावित या प्रतिकूल प्रभाव वाले परिवारों को हम तालिका–12 में दिया गया हैं।

तलिका 11 द.ह.बि.वि.नि.लि. के सामाजिक इन्टाइटलमैंट फ्रेमवर्क

फ्रम. संख्या	मुद्दे/पहलू की किस्म	लाभ भोगी	हकदार (इन्टाइटलमैंट)
1.भूमि की हानि			
ए)	वैध टाइटल या कस्टोमरी या लाभप्रद अधिकार के साथ वासभूमि (होमस्टीड)	शीर्षक धारक	1. भूमि एक्ट 1894 के अनुसार नकद क्षतिपूर्ति। 2. खरीदी गई भूमि के सबूत के अनुसार एक वर्ष के अन्दर–अन्दर क्षतिपूर्ति राशि की अधिकता के लिए वैकल्पिक भूमि के क्रय के लिए वास्तविक पंजीकरण प्रभार। 3. भूमि के मालिक को प्रयोगात्मक भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में 33 वर्ष के लिए वार्षिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। प्रोराटा के आधार पर वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि 15,000/– रूपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष दी जाएगी। राज्य सरकारी की नीति के अनुसार वार्षिक क्षतिपूर्ति के 15,000 रूपए की राशि में 500/– रूपए प्रत्येक वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	शीर्षक धारक	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रोराटा आधार पर एक वार 5000/– रूपए प्रति एकड़ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
		शीर्षक धारक	
बी)	कृषि भूमि		
(।)	वैध शीर्षक सहित	शीर्षक धारक	भूमि एक्ट 1894 के अनुसार नकद क्षतिपूर्ति। खरीदी गई भूमि के सबूत के अनुसार एक वर्ष के अन्दर–अन्दर क्षतिपूर्ति राशि की अधिकता के लिए वैकल्पिक भूमि के क्रय के लिए वास्तविक पंजीकरण प्रभार।

			भूमि के मालिक को प्रयोगात्मक भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में 33 वर्ष के लिए वार्षिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। प्रोराटा के आधार पर वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि 15,000/– रूपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष दी जाएगी। राज्य सरकारी की नीति के अनुसार वार्षिक क्षतिपूर्ति के 15,000 रूपए की राशि में 500/– रूपए प्रत्येक वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	शीर्षक धारक	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रोराटा आधार पर एक वार 5000/– रूपए प्रति एकड़ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
(।।)	वणिज्यिक तथा अन्य स्थापनाओं सहित टेनेंटस शेयर फ्रोपरस पट्टे धारक।	टेनेंसी शेयर क्रोपिंग/लीजिंग के सबूत सहित व्यक्तिगत।	समय अवधि के अन्दर–अन्दर टेनेंसी/शेयर क्रोपिंग/लीज अवधि के लिए प्रतिपूर्ति। नोट :– यह राशि भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति देय योग्य राशि से काट ली जाएगी।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	शीर्षक धारक	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रोराटा आधार पर एक वार 5000/– रूपए प्रति एकड़ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
(।।।)	एन्क्रोचर/स्क्वेटर	कब्जाधारी	विभिन्न सरकारी स्कीमों में इन्क्यूजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
2.	निर्मित ढ़ांचे की हानि	निर्मित ढ़ांचे का मालिक	1. हरियाणा पी.डब्लयू.डी. की दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति 2. परिवार को, भवन से सम्बन्धित समान को तथा पशुओं आदि का शिफ्ट करने के लिए एक वार 10,000/– रूपये की वि ीय सहायता। गिराये गये ढ़ांचे में से जो उचित सामान समझे प्रभावित परिवार को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	निर्मित ढ़ांचे का मालिक	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रोराटा आधार पर एक वार 5000/– रूपए प्रति एकड़ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
(।।)	टेनेंट/पट्टा धारक (जिसने ढांचा निर्मित किया हो)	टेनेंसी/ लीजिंग के सबूत के साथ व्यक्तिगत/ पार्टी	।. हरियाणा पी.डब्लयू.डी. की दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति ।।. परिवार को, भवन से सम्बन्धित सामान को तथा पशुओं आदि को शिफ्ट करने के लिए एक

			वार 10,000/– रूपये की वि ीय सहायता। ।।।.गिराये गये ढ़ांचे में से जो उचित सामान समझे प्रभावित परिवार को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। 4. समय अवधि के अन्दर–अन्दर टेनेंसी/शेयर क्रोपिंग/लीज अवधि के लिए प्रतिपूर्ति। नोट :– यह राशि भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति देय योग्य राशि से काट ली जाएगी।
(।।।)	अति संवेदनशील व्यक्ति (ढांचा निर्माणक ार्ी)	टेनेंसी/लीजिंग के सबूत के साथ व्यक्तिगत/पार्टी	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रोराटा आधार पर एक वार 5000/– रूपए प्रति एकड़ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
	अति संवेदनशील व्यक्ति (जिसने ढांचे का निर्माण नहीं किया)	टेनेंसी/लीजिंग के सबूत के साथ व्यक्तिगत/पार्टी	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त 2000/– रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
(4)	स्क्वेटर	स्क्वेटर	।. हरियाणा पी.डब्लयू.डी. की दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति ।।. परिवार को, भवन से सम्बन्धित सामान को तथा पशुओं आदि का शिफ्ट करने के लिए एक वार 10,000/– रूपये की वि ीय सहायता। ।।।. गिराये गये ढ़ांचे में से जो उचित सामान समझे प्रभावित परिवार को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
(5)	पशुओं के लिए शैड	मालिक/परिवार	पशुओं के लिए शैड को पुनःनिर्मित करने के लिए 15,000/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में नकट दिए जाएंगे।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	मालिक/परिवार	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त परिवार प्रमुख को 1000/– रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
(6)	वर्कशाप शेड	मालिक/परिवार	वर्कशाप शैड को पुनः निर्मित करने के लिए 25,000/– रूपए की नकद क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
	अति संवेदनशील व्यक्ति	मालिक/परिवार	उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त परिवार प्रमुख को 2000/– रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
3.	जीवनयापन की हानि		
।)	वेतन/स्वयं रोजगार (कृषि तथा गैर–कृषि दोनों)	प्रत्येक वयस्क आयधारी सदस्य (पुरूष तथा महिला)	स्वयं रोजगार के लिए राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों में दी जाने वाली सहायता के लिए सहायता प्रदान

			करना।
4.	खड़ी फसलों/वृक्षों की हानि		
I)	ए) फसलें बी) वृक्ष	कल्टीवेटर शीर्षक धारक	भूमि एक्ट के अनुसार फसलें/वृक्षों की कुल हानि के लिए क्षतिपूर्ति की अन्य श्रेणी।
5.	सामान्य सम्पि स्रोत (सी.पी.आर.) तथा सुविधाओं के लिए हानि का निर्धारण		
	ए) ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सामान्य सम्पि बी) ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं		समुदायिक स्रोतों के समान तथा सुविधाएं या कार्यरत समानताएं को सुनिश्चित करने के लिए नागरकि सुविधा/सी.पी.आरज. का बदलना।
6.	होस्ट समुदायों की हानियां	समुदाय	ए.एफज. के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए होस्ट समुदायों के स्रोतों की वृद्धि
I)	सी.पी.आर. एवं सुख सुविधा	समुदाय	प्रभावित परिवारों के अधिक दबाव के होस्ट समुदायों के स्रोतों मे वृद्धि
7.	पंचायत भूमि	ग्राम पंचायत	राज्य सरकार की नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति।
8.	न पहचाने गये प्रभावित परिवारों की सम्पि की हानि से सम्बन्धित अन्य घटक।	प्रभावित परिवार	ई.एस.पी.पी. के प्रावधानों एवं समस्त नियमों में प्रस्तावित की गई पूरे किए जाने वाले स्रोतों के न देखे गए घटकों को भी देखा जाना चाहिए।

नोट :– अति संवेदनशील व्यक्ति का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे के स्तर, विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति।

ए) <u>हक के लिए विभिन्न प्रावधान</u>

4.1 स्क्वेटर तथा एन्क्रोचर के मामले में वे हक के लिए योग्य बन सकते हैं यदि उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार वह (स्त्री या पुरूष) कट ऑफ तिथि से पहले कम से कम एक वर्ष तक संवैधानिक रूप से रह रहा हो और उसके पास इसकी पुष्टि गवाही के लिए दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड या पहचान–पत्र, बिजली के बिल की अदायगी की रसीद आदि हों। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत ए.एफ.एस. को कवरिंग करने के लिए प्रावधान के मामले में द.ह.बि.वि.नि.लि. उन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित योग्यता मापदंड पर निर्भर रहते हुए विभिन्न चालू योजनाओं के अन्तर्गत शामिल करने का प्रतयेक प्रयास करेगा। वेसलाईन सर्वेक्षण के दौरान, उपरोक्त तालिका में उल्लेख किए गए विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त,ए.एफ.एस. की कोई अन्य श्रेणी की पहचान होती है तो उपयुक्तता के आधार पर मामला दर मामला हकदारी प्रस्ताव दिया जाएगा।

4.2 कृषि भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के बाद भूमि मालिक के पास एक एकड़ या कुछ कम भूमि बचनी चाहिए शेष बची सारी भूमि अभिग्रहण कर ली जाएगी बशर्ते

कि ऐसी भूमि पिछले दो साल के दौरान कम से कम एक फसल के लिए कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की गई हो।

बी) **<u>भूमि अभिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रावधान।</u>**

4.3 भूमि अभिग्रहण के अन्तर्गत अभिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन करने के लिए सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता के अन्तर्गत हरियाणा में एक समिति गठित की गई है जिसमें सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त अध्यक्ष तथा उपायुक्त सदस्य सचिव, सम्बन्धित लाभभोगी विभाग के प्रतिनिधित्व के रूप में जिला राजस्व अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसानों का भी समिति में सहयोग लिया जा सकता है। उक्त समिति द्वारा निर्धारित की गई दर से 15 प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी करने के लिए या दस लाख रूपये जो भी कम हो, देने के लिए भूमि अधिग्रहण क्लेक्टर भी सक्षम है। वह भूमि अभिग्रहण अधिनियम एक्ट 1894 की धारा ।। (।) के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति के साथ और अधिक बढ़ा सकता है। मूल्यांकन ट्रांजेक्शन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न भूमियों की अलग–अलग दर से बचने के लिए सरकार कृषि भूमि के बाजार से कम दर से बचने के लिए न्यूनतम भूमि दर निश्चित करती है। ये दर भूमि को अन्तिम रूप देने का आधार बनाई जाएगी।

4.4 फसल की हानि के मामले में भूमि अभिग्रहण एक्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी। फसल की हुई क्षति की मात्रा का निर्धारण प्रति एकड़ यार्ड आंकड़ों की संचय द्वारा तथा जिस तहसीलदार/राजस्व अधिकारी के क्षेत्र में फसल की हुई क्षति के बराबर धन राशि सम्बन्धित क्षेत्र सचिव, मार्केट कमेटी से दर/मात्रा लेने के द्वारा गणन की जाएगी। वृक्ष की क्षति के मामले में इसकी कीमत सम्बन्धित क्षेत्र के वन अधिकारी के कार्यालय से मूल्यांकन करवाई जाएगी। यह वृक्ष की आयु तथा किस्म पर निर्भर करते हुए मूल्यांकन की जाएगी।

सी) **<u>परिभाषाएं :</u>**

विभिन्न भाषाओं के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित को प्रयोग किया जाता है :–

परियोजना द्वारा प्रभावित परिवार : ए.एफ. (प्रभावित परिवार) की परिभाषा में परियोजनाओं गतिविधियों के कारण वे व्यक्ति आते हैं जिनकी भूमि की हानि, जीवन यापन, वासभूमि, ढांचा तथा स्रोतों को निर्धारण करने की हानि होती है।

अति संवेदनशील व्यक्ति : अति संवेदनशील वे व्यक्ति हैं जो औसत की अपेक्षा अति संवेदनशील हो तथा जो उसके स्थान से हटाने के दौरान आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर पीड़ित हो। परियोजना के उद्देश्य के लिए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले

व्यक्ति, (हरियाणा सरकार की सूची के अनुसार) विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग तथा एस.सी./एस.टी. अति संवेदनशील व्यक्ति माने जाएंगे।

अतिक्रमणकारी तथा आबादकार : जो व्यक्ति सरकारी भूमि को आवास या जीवन यापन के अतिक्रमण करते हैं। आगे आबादकारी व्यक्ति वे होते हैं जो सरकारी भूमि का आवासीय तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण अपनी कृषि भूमि के साथ लगती भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण करते हैं।

डी) **बजट**

क्षतिपूर्ति की लागत सहित ई.आर.एण्ड आर. की कुल लागत मे स्थान से हटाने तथा पुनर्वास, सामाजिक निर्धारण, आयोजना, इम्पलीमेंटेशन, सुपरविजन मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन आदि को परियोजना लागत के सुनिश्चित करने के लिए भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा ताकि नीति में दिए गए प्रावधान के अनुसार इ.आर.एण्ड आर. को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन लिया जा सके।

ई) **कट ऑफ डेट**

बगैर नाम लेख वालों के लिए कट ऑफ (दिनांक) तिथि सामाजिक आर्थिक परीक्षण के भाग के रूप में जनगणना सर्वेक्षण की गई तिथि होगी तथा लेख वालों के लिए यह एल.ए. अधीविचार के अन्तर्गत धारा 4(।) सूचना जारी करने की तिथि होगी।

एफ) **पब्लिक डिस्क्लोजर, परामर्श तथा भागीदारी**

पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबन्ध दल (इ.एस.एम.टी.) पी.ए.पी. यजमान समुदायों, परियोजना स्टॉफ, सरकारी विभागों, एन.जी. ओ.एस. के प्राथमिक चरणों से परियोजना की निरन्तर आधार पर तैयारी, आर.ए.पी. तथ इ.एस.पी. को लागू करने तथा विकास करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। परियाजनाओं का सामान्य वितरण अधिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न नही करता तथा परिणामस्वरूप जनता, एन. जी.ओ.ए. या अन्य सामाजिक संगठन द्वारा पर्यावरणीय मामलों के कारण विरोध नहीं होता। इसके बावजूद द.ह.बि.वि.नि.लि. यह समझता है कि पर्यावरणीय सम्भावित प्रभावों से जनता को सावधान करना आवश्यकता है। यद्यपि ये सूक्ष्म हो सकते हैं। इस कार्य के लिए यूनिटों द्वारा जनता अभियान का संगठन किया जायेगा तथा प्रभावी क्षेत्रों मे अन्य सामाजिक सक्रिय संगठनों तथा एन.जी.ओ.एस. द्वारा जनता सावधानी उत्पन्न की जाएगी। जनता सावधानी अभियानों के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि परियोजना तथा इसके सम्भावित पर्यावरणीय प्रभावों के विषय में केवल सही सूचना दी जाती है। जनता सुझावों को उचित महत्व दिया जाएगा तथा अच्छे सुझावों को पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना एवं पुनर्वास कार्य जनता में उतारा जायेगा, वितरण लाईन के रूट चयन तथा उपकेन्द्र के स्थान चयन में ध्यान रखा जाएगा।

जनता सावधानी कार्यक्रम का प्रथम कदम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 29 के अनुसार स्थानीय समाचार–पत्र में जनता अधिसूचना छपवाना जिसमें प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण दिया हो। यद्यपि इस अधिसूचना द्वारा जनता से आपूर्ति आमंत्रित की जाती है। आपत्तियां अधिसूचना छपने की तिथि से 60 दिन के समय के अन्दर–अन्दर दर्ज करवाई जाती है। कार्यक्रम का अगला कदम बैठकें करना है तथा सर्वेक्षण अनुसंधान के दौरान जनता से विचार करना तथा विस्तृत सर्वेक्षण/टावर सपोटिंग के दौरान पुनः बात करना।

ई.एस.पी.पी. कागजों को अन्तिम रूप देने से पहले जनता से विस्तृत परामर्श समाचार पत्रों में सूचना जारी करके, परिमण्डल मुख्यालय पर ई.एस.पी.पी. प्रारूप उपलब्ध करके तथा निगम के वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया गया था। जनता द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां/सुझावों को महत्व दिया गया तथा ई.एस.पी.पी. में उतारा गया था।

अध्याय–5

पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबन्ध प्रक्रियाएं

5.1 द.ह.बि.वि.नि.लि. की पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई.एण्ड एस.) प्रबन्ध प्रक्रियाओं का विस्तृत विकास किया गया है तथा उनको अपनी परियोजना साईकल में यह सुनिश्चित करने के लिए डाला है कि इसका परिचालन पर्यावरण तथा सामाजिक प्रतिकूल प्रभाव को खत्म या कम करता है। ई. एण्ड एस. प्रबन्ध प्रक्रियाओं परियोजनाओं साईकल के प्रारम्भिक चरणों में प्रासंगिक मामलों की पहचान करती है तथा बचाव, कम करने तथा शान्त करने के विकसित ठोस मूल विचार का अनुकरण करती है।

5.2 द.ह.बि.वि.नि.लि. की पर्यावरण परियोजना साईकल परिचालनात्मक फ्रेमवर्क तथा पृष्ठभूमि का निर्माण करती है जिसके द्वारा पर्यावरणीय तथा सामाजिक मामले प्रस्तुत किए जाते हैं, द.ह.बि.वि.नि.लि. की सम्प्रेषण परियोजना की परियोजना प्रवृ ि (विचार) की मील पत्थर की कुंजी में योजना, स्वीकृति डिजाईन, (निविदाएं), टैडरिंग लागू करना तथा परिचालन अनुरक्षण शामिल हैं।

परियोजना विचार

5.3 परियोजना विचार के दौरान द.ह.बि.वि.नि.लि. परियोजना की पहचान करता है एक विद्युत प्रसारण परियोजना की पहचान क्षेत्र में मांग तथा आपूर्ति के आधार तथा नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के मध्य सम्बन्ध (लिंक) तथा पावर ग्रिड से राज्य का विद्युत कोटे की उपलब्धता से होती है। द.ह.बि.वि.नि.लि. आने वाली बिजली की मांग, विभिन्न सैक्टरों तथा क्षेत्रों की अग्रता, पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव का निर्धारण, आर्थिक तथा वि ीय विश्लेषण तथा लागू होने वाली सम्भाव्य अनुसूची का अध्ययन करता है। सम्भाव्य अध्ययन के दौरान द.ह.बि.वि.नि.लि. एक सर्वेक्षण चित्र पर विभिन्न लाईन विकल्पों की परख तथा पहचान करता है जैसे कि प्रस्तावित सम्प्रेषण लाईन तथा उपकेन्द्रों के स्थानों के मध्य कम से कम अन्तर है। हर समय लाईन विकल्पों पर विचार करते समय द.ह.बि.वि.नि.लि. समाज के सूक्ष्मग्राही (पर्यावरणीय सहित) क्षेत्रों के बचाव की अपनी नीति को ध्यान में रखता है।

परियोजना की आयोजना

5.4 परियोजना के नियोजन के दौरान द.ह.बि.वि.नि.लि. अनुसंधान सर्वेक्षण करता है। सम्प्रेषण लाईन के पर्यावरणीय प्रभावों को सम्भाव्यता कम करने के लिए अनेक विकल्पों का अध्ययन किया जाता है रूट पंक्ति को प्राकृतिक स्रोतों के क्षेत्रों तथा वनों से पूर्ण रूप से बचाने का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है, यदि सम्भव हो तो सूक्ष्म रूप से तिरछा (आड़ा) करने की अनुमति दी जाती है। योजना कार्य भी सुनिश्चित करता है कि रूट मानव निवास तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों में शामिल नही ंहोता। नदी, पहाड़ी, रेलवे क्रांसिंग, विद्युत तथा टेलिफोन लाईन आदि गहन मामलों की क्षेत्रीय अधिकारी जांच

करते हैं तथा चित्र में उ ाम रूट को अन्तिम रूप दिए जाने पर द.ह.बि.वि.नि.लि. अपने क्षेत्रीय स्टॉफ के पर्यावरणीय तथा सामाजिक निर्धारण करेगा तथा पर्यावरण तथा सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट तैयार करेगा। निर्धारण तथा प्रावधानों के आधार पर द.ह.बि. वि.नि.लि., ई.एस.पी.पी. के अन्तर्गत एफ.ई.एम.पी. (पर्यावरण प्रबन्ध योजना तथा पुनः स्थरीकरण कार्य योजना (आर.ए.पी.) का निर्माण ए.एफ.एस. के परामर्श से करेगा। द.ह. बि.वि.नि.लि. उपकेन्द्रों के लिए विभिन्न स्थानों पर विचार करता है। चयन प्रक्रिया के दौरान ऑकड़ों के आधार पर विभिन्न पैरामीटर के लिए विचार करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक स्थान के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। वैकल्पिक स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न पैरामीटरों का महत्व दिया जाएगा, जो प्राय विशेष स्थान हैं, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे पहुंच रोड़ख रेल शीर्ष आदि देय विचार किया जाता है भूमि की किस्म, सरकारी राजस्व, निजी,, कृषि पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव जैसे प्रभावित परिवारों की संख्या, मुआवजे तथा पुनर्वास की लागत।

सम्प्रेषण रूटों को सैद्धान्तिक रूप से अंतिम रूप देना

5.5 द.ह.बि.वि.नि.लि. वन, एटलस, गांव का पूरा नक्शा तथा भारतीय सर्वेक्षण नक्शे को देखते हुए सम्प्रेषण प्रणाली के प्रारम्भिक रूटों का चयन करेगा। क्षेत्र की पूरी जांच के बाद रूट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे वन की हानि तथा मानवीय विस्थापन को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। द.ह.बि.वि.नि.लि. अपनी लाईनों का रूट ऐसे क्षेत्रों से बनाएगा जिसमें वन क्षेत्र निजी एवं जन दोनों की भूमि से बचने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। द.ह.बि.वि.नि.लि. बागों और पौधों को भी लाईनों के रूट से बचाने का प्रयत्न करेगा और वैकल्पिक रूट अपनाएगा। द.ह.बि.वि.नि.लि. वितरण लाईनों का रूट अपनाने के लिए निम्नलिखित रास्ते अपनाएगा।

1. रूट में कोई मानव पुनर्वास शामिल नहीं होता
2. रूट किसी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारक को प्रभावित नहीं करता
3. प्रस्तावित रूट किसी समुदाय के जीवन को खतरा नहीं पहुंचाता तथा
4. प्रस्तावित रूट किसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा जैसे खेल का मैदान, स्कूल अन्य स्थापनाओं को प्रभावित नहीं करता।
5. लाईनों का रूट किसी भी पक्षी/जानवरों जैसे चिड़ियाघर/प्राकृतिक स्थल राष्ट्रीय पार्क या पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र आदि से नहीं बनाएगा।
6. निगम रूट को बनाने में आधुनिक एवं तकनीकी औजार जैसे जी.आई.एस., जी.पी.एस. का उपयोग करेगा। रूट को अंतिम रूप देने के बाद द.ह.बि.वि.नि.लि. पर्यावरणीय निर्धारण करेगा।

5.6 द.ह.बि.वि.नि.लि. के सम्बन्धित जे.ई. (सिविल) द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्षेत्र का प्रयोगात्मक मार्ग जी.टी.सर्वेक्षाण शीट पर चिन्हित किया गया। प्राकृतिक क्षेत्र, वृक्षारोपण तथा ढ़ांचे आदि सावधानी बरती गई। ई.एम.पी. में निकट ाम वायु सेना स्टेशन, हवाई अड्डा, प्रतिबन्धित क्षेत्र उपलब्ध है। क्रोसिंग जैसे रेलवे क्रोसिंग उपलब्ध वितरण लाईनें, नदियां तथा राष्ट्रीय महामार्ग आदि का भी वितरण इसमें दिया गया है।

5.7 द.ह.बि.वि.नि.लि. उपकेन्द्रों के लिए विभिन्न स्थलों को अपनाएगा। प्रत्येक स्थल के लिए एक वैकल्पिक स्थल का चयन करने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण विभिन्न पैरामीटरों को मानने के आधार पर करेगा। जहां खुला रास्ता व स्थल हो उसको वैकल्पिक स्थल के लिए प्राथमिकता देगा। ढ़ांचागत सुविधाओं की उपलब्धता को पूर्ण प्राथमिकता दी जाएगी जैसे रोड़, रेलवे लाईन आदि और सरकारी राजस्व, निजी तथा कृषि, पर्यावरण तथा सामाजिक घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति की लागत देगा।

क्षेत्रीय स्टॉफ के द्वारा विस्तृत रूप से सर्वेक्षण के बाद वितरण कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। तदानुसार परियोजना की पर्यावरण प्रबन्ध योजना तथा पुनर्वास कार्यवाही योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ–साथ डिजाईन तथा विशेषताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। ई.एम.पी.के उपयुक्त भाग के लिए बोली दस्तावेजों का भाग बनाया जाएगा। इसके बाद कार्य कार्यान्वित करने के लिए ठेका देने के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों की देख–रेख के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

<u>परिचालन तथा अनुरक्षण</u>

5.8 द.ह.बि.वि.नि.लि. वितरण लाईनों तथा उपकेन्द्रों की निरन्तर निगरानी करता है लाईनों में कोई भी दोष पहचानने के लिए नियमित गश्त लगाई जाती है। लाईनों की निगरानी द.ह.बि.वि.नि.लि. के सम्बन्धित क्षेत्र कार्यालयों द्वारा की जाती है।

<u>परियोजना समीक्षा</u>

5.9 द.ह.बि.वि.नि.लि. का परिचालन स्टॉफ लाईनों तथा उपकेन्द्रों की प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर माासिक समीक्षा के लिए बैठकें की जाती है। विद्युत वितरण परियोजनाओं के निर्माण तथा तकनीकी, पर्यावरण तथा सामाजिक तत्वों की निगरानी की समीक्षा द.ह.बि.वि.नि.लि. के मुख्यालय पर की जाती है। परियोजना के सामाजिक तत्वों की वार्षिक समीक्षा द.ह.बि.वि.नि.लि. के ई.एस.एम. के द्वारा की जाती है।

वितरण निवेश कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दे

5.11 वितरण परियोजनाओं से सम्बन्धित सामाजिक मुद्दे मुख्यतः उपकेन्द्रों के स्थल के लिए मांगी गई भूमि से उठाए जाते हैं। वितरण टावरों के लिए अधिग्रहण की गई भूमि 30 से 100 वर्ग मीटर के बीच बदल जाती है। द.ह.बि.वि.नि.लि. किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भूमि की धन राशि 33 के.वी. उपकेन्द्र के मामले में 2 से 4 एकड़ के बीच बदल जाएगी। वितरण लाईनो ंके मामलें में वर्तमान समय में भूमि पर अधिकार रखने वाले या अन्य स्रोतों को प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति उगाई जाने वाली फसलों या वृक्षों की ऊंचाई व दूरी पर वितरण लाईनों के अन्तर्गत निश्चित पाबंदियों सहित भूमि का प्रयोग करते रहेंगे। भूमि अधिग्रहण के दौरान, यदि कोई जोत–क्षेत्र एक एकड़ से कम बनता है, तो द.ह.बि.वि.नि.लि. उस सम्पूर्ण जोत–क्षेत्र का अभिग्रहण कर लेगा तथा उसका पूरा मुआवजा देगा। ऐसे भूमिधारकों को भी शामिल किया जाएगा, जो प्रस्तावित हकदार पैकेज के अनतर्गत उनकी पात्रता पर निर्भर हो।

निर्माण तथा परिचालन के दौरान क्षति की अदायगी

5.12 द.ह.बि.वि.नि.लि. ने भूतकाल में अपनी विश्वसनीयता तथा रेलवे, हाईवे तथा अन्य क्रॉसिंग पर सुरक्षित टावर निर्माण की क्षमता दर्शाई है। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने न बचाई जाने योग्य फसलों की कटाई के बाद निर्माण क्रिया करने की योजना बनाई है, द.ह. बि.वि.नि.लि. लोसिज के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करता है। बाजार की वर्तमान कीमत तथा क्षेत्र में औसतन उपज के आधार पर गांव के पटवारी के रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित फसल के लॉस का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

5.13 द.ह.बि.वि.नि.लि. की ई.एस.पी.पी. अपनी सभी सम्प्रेषण लाईन परियोजनाओं में जहां तक सम्भव हो किसी को उजड़ने से बचाव का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में द.ह. बि.वि.नि.लि. की सम्प्रेषण लाईन परियोजनाओं में अनैच्छिक प्रतिस्थापन नाम मात्र का है। द.ह.बि.वि.नि.लि. उपकेन्द्रों के लिए भूमि की आवश्यकता पर निर्भर करने वालों को कम से कम आर्थिक तकलीफ देने का प्रयास करता है। यदि किसी मामले में आर्थिक प्रतिस्थापन आवश्यक है, द.ह.बि.वि.नि.लि. भूमि प्राप्ति के कारण उठने वाले सामाजिक मामलों को अपने ई.एस.पी.पी. तथा हकदार फ्रेमवर्क द्वारा निपटाएगा। द.ह.बि.वि.नि.लि. भूमि तथा अचल सम्पि ा के मुआवजे का उचित मूल्यांकन नीति के अनुसार करेगा। द.ह.बि.वि.नि.लि. सीमान्त ग्रुपों के लिए उपयुक्त अवसरों की पहचान करेगा, जो स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श में इसकी परियोजनाओं की क्रिया से उठे सामाजिक आर्थिक मामलों पर जो स्थानीय प्राधिकारी तथा जनता से बात तथा प्रोत्साहित आर.ए.पी. परामर्श निकाले गए होंगे।

5.14 स्थानीय समुदाय से परामर्श करना द.ह.बि.वि.नि.लि. की परियोजनाओं में शामिल होना सुनिश्चित करने का एक तरीका होगा। परामर्श प्रक्रिया परियोजना के प्रारम्भ से नियोजन, डिजाईन लागू होने तक जारी रहेगा। यह राज्य के अधिक लाभ के लिए परियोजना के महत्व को समझने में समुदाय की सहायता भी करेगा।

5.15 **<u>समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण</u>**

वितरण परियोजनाओं के प्रभावों (इम्पैक्ट) का निर्धारण जन गणना तथा आधारभूत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों (वी.एस.इ.एस.) के माध्यम से किया जाएगा। बी.एस.इ.एस. भूमि के अभिग्रहण तथा अन्य अचल परिसम्पियों, विस्थापन का विस्तार, ए.एफ. द्वारा होने वाली हानियां, अति संवेदनशील समूहों की आवश्यकताएं, तथा अन्ततः कार्य योजना (आर.ए.पी.) को तैयार करने के लिए आधार प्रदान करने की विस्तार सीमा का निर्धारण करने में सहायता करेगी। जीवन्त मानकों के विस्तृत वितरण को अधिकार में लेने के लिए आधारभूत सामाजिक आार्थिक सर्वेक्षण के अनुसरण में संभाव्य सूचना (एफ.आर.) की तैयारी के बाद उपकेन्द्र के मामले में गणन सर्वेक्षण तुरंत संचालित किया जाएगा। वितरण लाईनों के मामले में एक लम्बा चौड़ा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा बशर्ते कि सिविल ठेकेदार द्वारा क्रियान्वयन की अवधि के दौरान मालिक का नाम, भूमि की किस्म व वर्तमान प्रयोग तथा पीड़ित करने वाले नुकसान की विस्तार सीमा दर्ज की जाएगी।

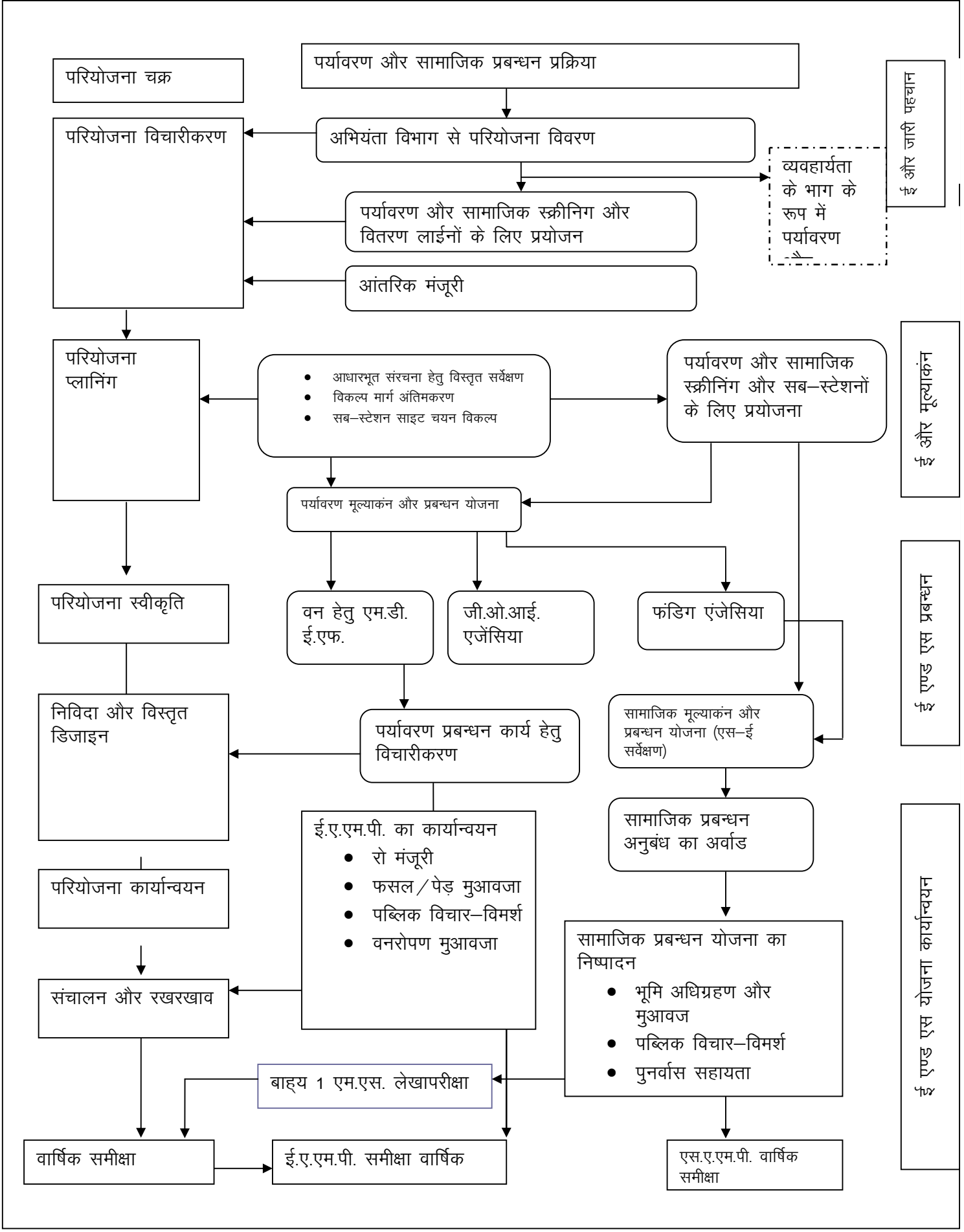
परियोजना चक्र
पर्यावरण और सामाजिक प्रबन्धन प्रक्रिया
ई और जारी पहचान
परियोजना विचारीकरण
अभियंता विभाग से परियोजना विवरण
व्यवहार्यता के भाग के रूप में पर्यावरण
पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिग और वितरण लाईनों के लिए प्रयोजन
आंतरिक मंजूरी
परियोजना प्लानिंग
आधारभूत संरचना हेतु विस्तृत सर्वेक्षण
विकल्प मार्ग अंतिमकरण
सब–स्टेशन साइट चयन विकल्प
पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग और सब–स्टेशनों के लिए प्रयोजना
ई और मूल्यांकन
पर्यावरण मूल्याकंन और प्रबन्धन योजना
परियोजना स्वीकृति
वन हेतु एम.डी. ई.एफ.
जी.ओ.आई. एजेंसिया
फंडिग एंजेसिया
ई एण्ड एस प्रबन्धन
निविदा और विस्तृत डिजाइन
पर्यावरण प्रबन्धन कार्य हेतु विचारीकरण
सामाजिक मूल्याकंन और प्रबन्धन योजना (एस–ई सर्वेक्षण)
सामाजिक प्रबन्धन अनुबंध का अर्वाड
ई.ए.एम.पी. का कार्यान्वयन
रो मंजूरी
फसल/पेड़ मुआवजा
पब्लिक विचार–विमर्श
वनरोपण मुआवजा
परियोजना कार्यान्वयन
सामाजिक प्रबन्धन योजना का निष्पादन
भूमि अधिग्रहण और मुआवज
पब्लिक विचार–विमर्श
पुनर्वास सहायता
ई एण्ड एस योजना कार्यान्वयन
संचालन और रखरखाव
बाह्य 1 एम.एस. लेखापरीक्षा
वार्षिक समीक्षा
ई.ए.एम.पी. समीक्षा वार्षिक
एस.ए.एम.पी. वार्षिक समीक्षा

पुनर्वास कार्यवाही योजना :

5.16 जहां आवश्यक होगा, ई.एस.पी.पी. में उपलब्ध प्रावधानों तथा आधारभूत सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही एक विस्तृत पुनर्वास कार्यवाही योजना बनाई जाएगी। प्रभावित परिवारों के साथ–साथ पीड़ित जनता को सांत्वना देने के लिए एक पुनर्वास कार्यवाही योजना बनाई जाएगी। प्रभावित जनसंख्या की हुई हानि को विशेष रूप से भुगतान किया जाएगा। पुनर्वास कार्यवाही योजना के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं:–

- प्रभावित परिवारों के आधारभूत सामाजिक घटक निर्धारण की कार्यवाही।
- पुनर्वास कम करने या बचाने के लिए किए गए प्रयास।
- प्रभावित परिवारों का विवरण तथा उनके पत्राचार पते।
- बजट अनुमान।
- लक्ष्य को पूरा करने के लिए तिथि समय–सारिणी।
- प्रबन्धों को लागू करना।
- प्रभावित परिवार की भागीदारी और निगरानी तथा प्रबन्धों का मूल्यांकन करने का विवरण।

वितरण निवेश कार्यक्रम के पर्यावरणी मुद्दे :

5.17 वायुयान अड्डा एवं वायुयान जोखिम :–

- निकट ाम वायु सेना केन्द्र से लाईन लगभग.....किलोमीटर है। वायु सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यक अन्तर किसी सीमा ढ़ांचे से अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर सहित 15 किलोमीटर है जैसा कि स्थानीय वायु सेना प्राधिकारी चण्डीगढ़ के साथ विचार किया है।
- विदेशी जातियों का आक्रमण।
- प्रवासी पक्षी ।
- इ.एम.एफ. प्रभाव।
- सांस्कृतिक / ललित कला स्रोत।
- रन ऑफ तथा सेडिमेन्टेशन।
- वन भूमि तक पहुंच दूसरा विकास करना :–
- आर.ओ.डब्ल्यू.किसी वन भूमि या अन्य विकास की पहुंच में कोई परिवर्तन नही करती।
- टावरों के लिए पहुंच रोड :–
- सभी टावर स्थापनाओं पर पक्के रोड़ द्वारा पहुंचने योग्य जो छोटे कच्चे रास्ते से जुड़े है।

स्वीकृतियों का विवरण

5.17 यदि आर.ओ.डब्ल्यू. में वृक्ष काटने की किसी मामले में स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो वह प्राप्त कर ली जाती है।

ई.एम.पी. के फोरमेट का एक नमूना अनुबन्ध–5 पर संलग्न है।

पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना (ई.एम.पी.) प्रत्येक वितरण कार्य की अलग–अलग तैयार की जाएगी चाहे वितरण कार्य विभागीय रूप से कार्यान्वित किया जाए या टर्नकी के आधार पर।

5.18 इस समय द.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा अलग ओ.एण्ड एम. ठेकेदार नहीं लगाए जा रहे हैं। यद्यपि ओ.एण्ड एम. कार्य के लिए ठेकेदार लगाए जाते हैं तो ठेकेदार द्वारा ई.एस.पी. पी. के अनुसार सभी नियमों का पालन किया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया विस्तृत

रूप से अनुबन्ध–10 के रूप में दे दी गई है। वितरण परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत इ.एस.पी. के कारण लागत के रूप में लिया जाएगा।

5.19 प्रत्येक सम्प्रेषण कार्य के डिजाईन को अनितमरूप देने से पहले आवश्यक बाधाएं/आवश्यक स्वीकृतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन बाधाओं/स्वीकृतियों को निकाले गए निविदाओं में दर्शाया जाएगा।

5.20 संगठन की सुविधा अनुसार वृक्षारोपण का भाग बनाया जाएगा।

5.21 प्रतयेक वितरण प्रणाली की ई.एम.पी. की वार्षिक समीक्षा का पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबन्ध ग्रुप द्वारा इसके बाद प्रबन्ध के अतिरिक्त अर्थात द.ह.बि.वि.नि.लि. के पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा पुनः अवलोकन किया जाएगा।

5.22 ई.एस.पी.पी. कार्यान्वयन/गैर कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रशिक्षण मोडूल तैयार करेगा ताकि उनको विशिष्टियों में प्रावधान करने के योग्य बनाया जा सके तथा उचित समय पर आवश्यक कदम भी उठा सके। प्रारम्भ में कार्यान्वयन/गैर कार्यान्वयन को एन.पी.टी.आई/पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि उनको ई.एस.पी.पी. तथ्यों को समझने योग्य बनाया जा सके, लागू करने के लिए उचित समय में आवश्यक कदम उठाए जा सके। इसके बाद, प्रशिक्षण द.ह.बि. वि.नि.लि. की प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा।

5.23 प्रत्येक ढ़ांचे पर जीवन को खतरा लिखी हुई प्लेट लगी होती है। प्रत्येक ढ़ांचे पर कांटेदार तार किसी चढ़ने के प्रयास से बचने के लिए दी जाएगी। सामान्य सुरक्षा स्वरूप जैसे कि निरन्तर अर्थ वायर, न चढ़ने योग्य बाड़ तथा दुर्घटना से बचने के विरूद्ध एच.टी. लाईनें।

33 के.वी. तथा अधिक के विद्युत उपकेन्द्रों तथा सम्बन्धित लाईन के लिए फ्लो चार्ट

नियोजन	⟺	• पहचान करना • अनुसंधान तथा प्राथमिक सर्वेक्षण • पर्यावरणीय एवं सामाजिक निर्धारण तथा प्रबन्ध नियोजन
परियोजना भावना/तकनीकी जांच	⟺	• सम्भावना अध्ययन • पर्यावरण एवं सामाजिक स्क्रिनिंग तथा स्कोपिंग • सिविल तथा विद्युतीय मुद्दों के दृष्टिकोण से भूमि की उपयुक्तता की जांच करना
परियोजना स्वीकृति	⟺	• उ ार हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्वीकृति • धनराशि देने वाली एजेंसियों के साथ जोड़ना
विस्तृत डिजाईन एवं निविदाएं	⟺	• विस्तृत सर्वेक्षण • पर्यावरण एवं सामाजिक निर्धारण तथा प्रबन्ध नियोजन (ई.एम.पी.एवं आर.ए.पी.) • डिजाईन अनुमान तथा हिदायतों को अंतिम रूप देना • ठेका देने के लिए निविदा जारी करना

परियोजना लागू करना	⟺	• जांच सर्वेक्षण • टाईप परीक्षा यदि डिजाईन स्वीकृत करने के लिए कोई हो • उपकरण निरीक्षण • निरीक्षण चरण के साथ लाईन का इरेक्शन • निरीक्षण चरण के साथ उपकेन्द्र निर्माण • मापना • जांच तथा चालू करना • मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति
परिचालन तथा अनुरक्षण	⟺	• उपकेन्द्र एवं सम्प्रेषण लाईन परिचालन • अवरोधात्मक अनुरक्षण
परियोजना पुनरीक्षण	⟺	• मासिक पुनरीक्षण • वार्षिक पुनरीक्षण

तलिका –12 33 के.वी. तथा अधिक के विद्युत उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित लाईन के लिए परियोजना चक्र।

क्र.स.	मील पत्थर						आगे जारी है
1.	**नियोजन**	दो	दो	दो	छः	दस	
	ए. पहचान करना बी. अनुसंधान तथा प्राथमिक सर्वेक्षण सी. पर्यावरणीय एवं सामाजिक निर्धारण तथा प्रबन्ध नियोजना						
2.	**परियोजना विचार/तकनीकी जांच**						
	ए. सम्भावना अध्ययन बी. पर्यावरण एवं सामाजिक स्क्रिनिंग तथा स्कोपिंग सी. सिविल तथा विद्युतीय मुद्दों के दृष्टिकोण से भूमि की उपयुक्तता की जांच करना						
	परियोजना स्वीकृति						
	ए. ह.वि.प्र.नि.लि. की स्वीकृति बी. धन देने वाली एजेंसियों से जोड़ना						
4.	**विस्तृत डिजाईन तथा निविदा**						
	ए. विस्तृत सर्वेक्षण बी. पर्यावरण एवं सामाजिक निर्धारण तथा प्रबन्ध नियोजन (ई.एम.पी.एवं आर.ए.पी.) सी. डिजाईन अनुमान तथा हिदायतों को अंतिम रूप देना डी. ठेका देने के लिए निविदा जारी करना						
5.	**परियोजना लागू करना**						

	• जांच सर्वेक्षण • टाईप परीक्षा यदि डिजाईन स्वीकृत करने के लिए कोई हो • उपकरण निरीक्षण • निरीक्षण चरण के साथ लाईन का निर्माण • निरीक्षण चरण के साथ उपकेन्द्र निर्माण • मापना • जांच तथा चालू करना • मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति						
6.	**परिचालन तथा अनुरक्षण**						
	ए. उपकेन्द्र एवं सम्प्रेषण लाईन परिचालन बी. अवरोधात्मक अनुरक्षण						
7.	**परियोजना समीक्षा**						
	• मासिक समीक्षा • वार्षिक समीक्षा						

5.24 द.ह.बि.वि.नि.लि. की जोखिम प्रबन्ध प्रक्रियाओं में जोखिम उठाने की तैयारी समाप्त करना तथा जिम्मेदारी मे हिस्सेदारी शामिल (आन्तरिक प्रबन्ध तथा बीमा द्वारा) जोखिम उत्पन्न होने की हालत में जिम्मेवारियों नीचे दी गई :–

तलिका –13

जोखिम	खिलाड़ियों का भाग लेना		
	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	**ठेकेदार**	**बीमा करने वाले**
पालन न करना			
1. नियामक 2. ठेके से सम्बन्धित			
प्रमुख खतरा अर्थात निर्माण के दौरान टावर गिरना			
ओ.एण्ड.एम. के दौरान			
स्वास्थ्य आदि पर प्रभाव			
फोर्स मेजर			
1. बीमा योग्य 2. गैर–बीमा योग्य			
समुदाय/एन.जी.ओज. से सम्बन्धित समावेश तथा निषेध			
सार्वजनिक लाभ से शान्त करना			
इ.एस.एम.पी. का विलम्बित लागू करना			

अध्याय–6
संस्थागत ढ़ांचा

संगठनात्मक प्रबन्ध

ई.एस.पी.पी. को देखने और कार्यान्वयन के लिए द.ह.बि.वि.नि. लि. के तीन स्तरों पर संस्थागत निकाय हैं। ये क्रमशः मुख्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और मण्डल स्तर है।

मुख्यालय स्तर पर

6.1 ई.आर.एण्ड आर. समिति मुख्यालय में निदेशक तकनीकी की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति के अन्य सदस्य सम्बन्धित मुख्य अभियंता/टी.एस. तथा मुख्य अभियंता/पी.एण्ड डी., द.ह.बि.वि.नि.लि., पंचकूला तथा उप सचिव/परियोजना शामिल किए गए है। उपसचिव/परियोजना आर.आर. समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6.2 **मण्डल सतर पर**

पर्यावरण तथा सामाजिक निगरानी समिति (ई.एस.म.सी.) सम्बन्धित मुख्य अभियंता टी. एस., अधीक्षक अभियंता/टी.एस., सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता/टी.एस., भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा ए.एफ.एस. और ई.एस.एस.सी. के प्रभावित परिवारों के दो प्रतिनिधियों की गठित की जाएगी जो निदेशक तकनीकी, द.ह.बि.वि.नि.लि., पंचकूला को रिपोर्ट देगी।

6.3 **मण्डल स्तर पर**

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थल से सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता/टी.एस. तथा एस.एस.ई./एस.डी.ओ./निर्माण की पर्यावरण तथा सामाजिक कार्यान्वयन इकाई भी गठित की गई है। ई.आर.एण्ड आर., ई.एस.एम.सी. तथ ई.एस.आई.यू. के सम्मिलित किए गए कार्यो तक ही सीमित नहीं है।

(ए) ई.एस.पी.पी. कार्यक्रम के लागू करने में सम्मिलित विभिन्न एजेंसियां का ताल मेल।

(बी) ई.एस.पी.पी. योजनाओं के लागू करने की निगरानी तथा समीक्षा।

(सी) समस्याएं निपटान के कार्य करने वाला निकाय, तथा

(डी) प्रतिस्थापन और पुनर्वास योजनाओं के सुचारू रूप से लागू करने के लिए पूर्ण रूप से मार्गदर्शन देना तथा नेतृत्व प्रदान करना।

(ई) प्रतयेक दो वर्ष के बाद ई.एस.पी.पी. नीति की समीक्षा करना।

ई.एस.पी.पी. के प्रभावात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, द.ह.बि.वि.नि.लि. ने निम्नलिखित पर प्रकाश डाला है :–

1. ई.एस.पी.पी. को मजबूती से लागू करने के लिए की स्तर पर तुरंत रोजगार और उचित प्रशिक्षित कर्मिकों की तुरंत भर्ती कर रहा है।

2. विशेषज्ञ बाहरी एजेंसियों के साथ कार्य करने के द्वारा सदन में योग्यता को लागू करना।

3. आंतरिक या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से ई.एस.पी.पी. की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

भवन की क्षमता

ई.एस.पी.पी. को लागू करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा विकास इसका एक अभिन्न अंग है। प्रारम्भ में एन.पी.टी.आई./पी.जी.जी.आई.एल. से कार्यकारी/गैर कार्यकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको ठीक समय पर लागू करने के लिए ई. एस.पी.पी. के दस्तावेजों को समझने, आवश्यक उपाय करने के लिए योगय बनाना है। इसके बाद, प्रशिक्षण ह.बि.प्र.नि.लि. के प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा।

दोष निवारण यन्त्र रचना

6.4 आशा की जाती है कि सहायोग प्रक्रिया व अच्छी क्षतिपूर्ति तथा सहायक यन्त्र–रचना के माध्यम से परियोजना की स्वीकृति बढ़ाई जाएगी और शिकायतें कम की जाएगी। भूमि अभिग्रहण से सम्बन्धित मुद्दों के मामले में, एल.ए. अधिनियम प्रतिपूर्ति की दरों, अन्य सम्पा ियों तथा भूमि के प्रस्तावित अभिग्रहण आदि के लिए आपा ि जताने पर ए.एफ. के लिए एल.ए. प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर उचित प्रावधानों की व्यवस्था करता है। एल.एल. अधिनियम विरोध के अनतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रभावित व्यक्ति को अनुमति भी प्रदान करता है तथा फिर मामले को निपटान के लिए अदालत को भेजता है। यद्यपि, मण्डल स्तर पर एक इ.आर. एवं आर. निगरानी समिति शिकायतों को सुनेगी तथा उनका हल निकालेगी। यदि जोन स्तर पर कष्ट का निवारण नहीं होता है, तो प्रभावित व्यक्ति कार्पोरेट स्तर पर पर्यावरण आर. एण्ड आर. समिति को अपील कर सकता है। वह (स्त्री या पुरूष) आगे अदालत में अपील कर सकता है यदि उसके दोष का निवारण मंडलीय या कार्पोरेट स्तर पर नहीं किया जाता है।

मुख्यालय स्तर पर ई.आर.एण्ड आर. उच्चाधिकार प्राप्त समिति
निदेशक/तकनीकी
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता/परिचालन सम्बन्धित सदस्य	मुख्य अभियंता/ पी. एण्ड डी.	कार्यकारी अभियंता/परियोजना सदस्य सचिव

क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरण सामाजिक प्रबन्ध समिति (ई.एस.एम.सी.)
मुख्य अभियंता/परिचालन सम्बन्धित

अध्यक्ष

अधीक्षक अभियंता / परिचालन– निर्माण	कार्यकारी अभियंता / परिचालन–निर्माण	भूमि अभिग्रहण अधिकारी	ए.एफ. के दो प्रतिनिधि

मण्डल स्तर पर पर्यावरण सामाजिक कार्यान्वयन समिति (ई.एस.आई.यू.)

सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता / निर्माण तथा परिचालन	सम्बन्धित एस.डी.ओ. / परिचालन–निर्माण

सारांश की सूची अर्थ

क्र. सं.	सारांश	अर्थ
1.	ए.डी.बी.	एशियन डेवलपमैंट बैंक
2.	बी.ओ.डी.	बोर्ड ऑफ डायरेक्टरज
3.	सी.सी.ई.ए.	कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनामिक अफेयर्स
4.	सी.ई.ए.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
5.	डी.एफ.ओ.	डिवीजनल फॉररेस्ट ऑफिसर
6.	ई.ए.	एनवायरनमैंटल एसेसमैंट
7.	ई.एम.एम.पी.	एनवायरनमैंटल एसेसमैंट एण्ड मैनेजमैंट प्लान
8.	ई.एच.वी.	एक्सट्रा हाई वोल्टेज
9.	ई.एम.पी.	एनवायरनमैंटल मैंनेजमैंट प्लान
10.	ई.एस.एम.सी.	एनवायरनमैंटल एण्ड सोशल मैंनेजमैंट कमेटी
11.	ई.आर.एण्ड आर.सी.	एनवायरनमैंटल रिऑबिलिटेशन एण्ड रिसैटलमैंट कमेटी
12.	ई.एस.आई.यू.	एनवायरनमैंटल एण्ड सोशल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट
13.	ई.एस.पी.पी.	एनवायरनमैंटल एण्ड सोशल पोलिसी प्रोसिजर
14.	एफ.ए.	फण्डिंग एजेंसी
15.	एफ.पी.	फॉरेस्ट प्रपोजल
16.	एफ.आर.	फिजीबिलिटी रिपोर्ट
17.	आई.पी.डी.सी.	इन्डीनिअस पिपल डिवेलोपमेंट प्लान
18.	आई.एस.ओ.	इन्टरनेशलन स्टैण्डर्ड ऑर्गेनाईजेशन
19.	जे.बी.आई.सी.	जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल ऑर्गेनाईजेशन
20.	के.वी.	किलो वॉटस
21.	एल.ए.ए.	लैण्ड एक्यूजीशन एसेसमैंट
22.	एम.ओ.ई.एफ.	मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमैंट एण्ड फोरेस्ट
23.	एन.ओ.	नोडल ऑफिसर
24.	ओ.डी.	ऑपरेशनल डायरेक्टिव
25.	ओ.पी.	ऑप्रेशन पोलिसी
26.	ओ.एम.	ऑपेरशन मैनुअल
27.	ओ.एस.एस.	ऑर्गेनाईजेशन सपोर्ट सिस्टम
28.	ए.एफ.	एफैक्टेड फैमिली
29.	पी.ए.एफ.	प्रोजेक्ट एफैक्टेड फैमिली
30.	पी.आई.बी.	पब्लिक इन्वेस्टमैंट बोर्ड
31.	आर.एण्ड आर.	रिसैटलमैंट एण्ड रिऑबिलिटेशन
32.	आर.ए.पी.	रिऑबिलिटेशन एक्शन प्लान
33.	आर.ई.बी.	रिजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

34.	आर.एच.क्यूं	रिजनल हैडक्वार्टर
35.	आर.ओ.डब्ल्यू.	राइट ऑफ वे
36.	एस.ए.	सोसियल एसेसमैंट
37.	एस.ए.एम.पी.	सोसियल एसेसमैंट एण्ड मैनेजमेंट प्लान
38.	एस.ई.बी.	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
39.	डब्ल्यू.बी.	वर्ल्ड बैंक
40.	डब्ल्यू.एच.ओ.	वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन

अनुबन्ध–1

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा–42

42. भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 (1910 की 9) धाराओं 12 में 16 व 18 तथा 19 निहित किसी वस्तु के होते हुए तारों, पोल आदि को लगाने के लिए बोर्ड के पास शक्तियां हैं, लेकिन उस अधिनियम की धारा–17 की आवश्यकता के पूर्वाग्रह के बिना प्रावधान एक स्वीकृत योजना में तैयार किया जाता है, बोर्ड के कार्यों के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलिफोनिक संचार या टेलिग्राफिक के वितरण के लिए, अथवा बिजली के वितरण के लिए बोर्ड किसी प्रकार की तारें, पोल, ब्रैक्टर, स्टे, उपकरण तथा यंत्र लगाने के लिए शक्ति रखता है। इस पर स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले या सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलिग्राफ के सम्बन्य में भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1885, (1885 की 13) के भाग–।।। के अन्तर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण सभी शाक्तियां रखता है बशर्ते कि जहां स्वीकृत योजना पूर्वोक्त प्रावधान नहीं बनाती, पूर्वोक्त अधिनियम की धाराओं 12 से 19 तक के सभी प्रावधान बोर्ड के लिए लागू होंगे।

42 {(2) {उत्पादन करने वाली कम्पनी के कार्यो के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलिफोनिक संचार सेवाएं व टेलिग्राफिक के वितरण के लिए, या बिजली के वितरण के लिए तारों, पोलों, वाल–ब्रैक्टस, स्टे, उपकरणों तथा यंत्रों की स्थापना के लिए एक उत्पादन करने वाली कम्पनी सभी अथवा किसी प्रकार की शक्तियों को प्रयोग में ला सकती है जिसको बोर्ड उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रयोग कर सकता है तथा उनमें संदर्भित शर्तों के विषय में}।

<u>बिजली अधिनियम 2003</u>

67. गालियों, रेलवे आदि का निर्माण करने के लिए प्रावधान।

1. लाईसैंस धारक, समय–समय पर लेकिन अपने लाईसैंस के शर्तों के अनुसार हमेशा, आपूर्ति अथवा वितरण के अपने क्षेत्र के अन्दर या जब उसे बिना आपूर्ति के क्षेत्र में

बिजली आपूर्ति लाईनों को बिछाने के लिए अपने लाईसैंस द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो, तो वह क्षेत्र इन कार्यों के किए बिना कार्य निपटा सकता है।

ए. ट्रामवे, रेलवे को खोले बिना तथा गली की मिट्टी व फर्श को तोड़े बिना।

बी. किसी भी गली, रेलवे अथवा ट्रामवे के नीचे सुरंग, ड्रेन व किसी सीवर को बिना खोलने व तोड़ने के।

सी. मुख्य सीवर पाईप की अपेक्षा, किसी लाईन, कार्यों को स्थापित किए बिना।

डी. उनको मरम्मत, हटाए या परिवर्तन किए बिना।

ई. बिजली की आपूर्ति या वितरण के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य न करके।

2. उपयुक्त सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा इस प्रकार विशेष रूप में उल्लेख कर सकती है :–

ए. मामलों तथा परिस्थितियों की जिसमें उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, मालिक या अधिभोक्ता को लिखित में स्वीकृति हो, जैसी भी स्थिति हो, कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगीः

बी. जहां मालिक या अधिभोक्ता कार्यो को पूरा करने के लिए आपि जताते है उन परिस्थितियों में प्राधिकरण अनुमति प्रदान कर सकता हैः

सी. कार्यों को पूरा करने से पहले लाईसैंस धारक द्वारा नोटिस की प्रकृति और अवधि दी जानी हैः

डी. धारा (सी) में संदर्भित नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त हुए सुझावों तथा आपियों के विचार की प्रक्रिया तथा ढ़ंगः

इ. इस धारा के तहत कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों के लिए किराए या क्षतिपूर्ति निर्धारित करना तथा अदायगी :

एफ. जब आपतकाल की स्थिति हो तो मरम्मत व कार्यों को पूरा किया जाएः

जी. इस धारा के अन्तर्गत निश्चित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिभोक्ता अथवा मालिक का अधिकार तथा उनके लिए खर्चों की अदायगीः

एच. सीवरों, पाईपों या अन्य इलैक्ट्रिक लाईनों अथवा कार्यों के नजदीक अन्य कामों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया :

आई. पाईपों, बिजली की लाईनों, बिजली के प्लांट, टेलिग्राफ लाईनों, सीवर की लाईनों, सुरंगो तथा ड्रेनों (नालों) आदि के परिवर्तन के लिए प्रक्रिया

जे. गलियों, रेलवे ट्रामवे, सीवरों, नालों अथवा सुरंगों तथा उनकी तुरंत पुनःस्थापना से सम्बन्धित कार्यों के लिए घेराबंदी, सुरक्षा करने, लाईट का प्रबन्ध तथा अन्य सुरक्षा उपायों के लिए प्रक्रिया :

के. इस प्रकार के कार्यों से सार्वजनिक तथा निजी सम्पि को होने वाले अनावश्यक नुकसान, पर्यावरणीय नुकसान तथा सार्वजनिक शोर–शराबे से बचावः

एल. उपयुक्त सरकार, लाईसैंस धारक अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जो कार्य मरम्मत योग्य नहीं है उन कार्यों को लेने की प्रक्रिया :

एम. किसी रेलवे, ट्रामवे व वाटर वे आदि की पुनःस्थापना के लिए मांगी गई धन राशि के जमा करने का ढ़ंगः

ओ. लाईसैंसधारक द्वारा देय क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति को जमा कराने के लिए प्रक्रिया तथा

पी. इस धारा के अन्तर्गत कार्यों की संरचना तथा अनुरक्षण के लिए कुछ ऐसे अन्य मामलें जो प्रासंगिक तथा संगत हैं।

3. लाईसैंसधारक इस धारा के अन्तर्गत तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रद ा शक्तियों के प्रयोग करने पर, थोड़े नुकसान, हानिकारक तथा असुविधा के कारण बचने पर जैसा हो, वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी एक व्यक्ति द्वारा या अपने द्वारा किए गए किसी नुकसान, हानिकारक या असुविधा के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा।

4. इस धारा के अन्तर्गत जहां कोई मतभेद या झगड़ा (उप–धारा (3) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि) सहित होता है, मामला उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. (उप–धारा (3) के अन्तर्गत किसी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त इस धारा के अन्तर्गत उठाए गए किसी मतभेद या झगड़े को निर्धारित करते समय, उपयुक्त आयोग उस उप–धारा के अन्तर्गत जुर्माना लगा सकता है जो देय क्षतिपूर्ति की धनराशि से ज्यादा न हो।

68. <u>ओवर हैड लाईनों से सम्बन्धित प्रावधान</u>

1. एक आवेरहैड लाईन, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, उप–धारा (2) के प्रावधानों से सम्बन्धित मैदान (ग्राऊंड) के ऊपर स्थापित की जाएगी।

2. उप–धारा (।) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे :–

ए. एक बिजली के लाईन के सम्बन्ध में जिसकी नोमिनल वोल्टेज 11 किलो वोलटस से ज्यादा नहीं है तथा जो एक सिंगल उपभोक्ता की आपूर्ति करने के लिए प्रयोग की जाती हैः

बी. एक बिजली की लाईन के सम्बन्ध में, जो इसकी स्थापना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के नियंत्रण या व्यवसाय के परिसरों के अन्दर होगी या है : अथवा

सी. ऐसे अन्य मामलों में जो निर्धारित किए जाए।

3. उपयुक्त सरकार उप–धारा (।) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते समय ऐसी शर्त (लाईन के परिचालन तथा स्वामित्व के अनुसार शर्तों सहित) जो इसके लिए आवश्यक हो, लगाएगी।

4. उपयुक्त सरकार ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय स्वीकृति को रद्द कर सकती है या बदल सकती है जैसा इसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में अनुबंध किया गया है।

5. जहां तक ओवरहैड लाईन के पास कोई वृक्ष खड़ा या पड़ा हुआ है या ओवरहैड लाईन के पास कोई संरचना या वस्तु बनाई गई हैं, बाद की ऐसी लाईन को खड़ा करने के लिए, कोई वस्तु बाधा पहुंचाती है या हस्तक्षेप करती है, अथवा रोकने या हस्तक्षेप करने की संभावना है, बिजली के तिवरण या वहन या रोकने या हस्तक्षेप करने के लिए 36, बिजली के वितरण या वहन अथवा किसी कार्य की प्राप्यता के लिए, उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित प्राधिकरण या एक कार्यकारी दण्डाधिकारी, निपटाए गए या हटाए जाने वाले वृक्ष, संरचना या वस्तु जैसा वह उचित समझे, लाईसैंस धारक के प्रार्थना–पत्र पर कारण पूछ सकता है।

6. उप–धारा (5) के अन्तर्गत किसी प्रार्थना–पत्र को निपटाते समय, उस उप–धारा के अन्तर्गत विशेष रूप से उल्लेखित एक कार्यकारी दण्डाधिकारी और प्राधिकारी, आवेरहेड लाईन की स्थापना के सामने खड़े किसी वृक्ष के अस्तित्व के मामले में, जो व्यक्ति उस वृक्ष में इच्छा रखता है उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए विचार करता है जैसा व उपयुक्त समझे, तथा ऐसा व्यक्ति लाईसैंसधारक से उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है।

व्याख्या–इस धारा के उद्देश्यों हेतु, किसी झाड़ी, बाड़, वन वृद्धि या अन्य पौधों को सम्मिलित करने के लिए व्याख्या ''वृक्ष'' समझी जाएगी।

164. निश्चित मामलों में टेलिग्राफ प्राधिकरण की शाक्तियों को प्रयोग में लाना।

उपयुक्त सरकार, कार्यों के उचित ताल–मेल के लिए आवश्यक टेलिग्राफिक संचार सेवाओं या टेलिफोनिक के उद्देश्य हेतु या बिजली के सम्प्रेषण के लिए बिजली प्लांट अथवा बिजली की लाईनों को बिछाने के लिए, लिखित में व्यस्त किसी व्यक्ति, लाईसैंस धारक अथवा किसी लोक अधिकारी के साथ वार्तालाप कर सकती है, ऐसी शर्तों व पांबदियों के विषय में, यदि कोई है, जैसा उपयुक्त सरकार भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार व लागू करने के लिए सही सोचती है, इस तरह स्थापित व अनुरक्षित किए जाने वाले या सरकार द्वारा अनुरक्षित या स्थापित टेलिग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलिग्राफ की लाईनों व पोस्टों को स्थापित

करने के सम्बन्ध में उस अधिनियम के अन्तर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण इनको स्थापित करने के सम्बन्ध में शक्ति रखता है।

हरियाणा सुधार अधिनियम, 1997

57. (।) अधिनियम के निहित किसी भी वस्तु के होते हुए भी–बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 या भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य सरकार की अपेक्षा अन्य केन्द्रीय सरकार तथा प्राधिकारियों, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरण की शक्तियां, अधिकारी तथा कार्य अथवा उनके अधीन बनाए गए नियम अप्रभावित रहेंगे तथा लागू होने के लिए जारी रहेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत उपक्रम या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनियों से स्वीकृत अथवा बिजली के अन्तर्राज्य वितरण के सम्बन्ध में लाईसैंस धारक या अन्य निकायों अथवा पावर ग्रिड कारपोरेशन, बी.बी.एम. बी. के लिए इस अधिनियम में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

उपाबन्ध–।।

सब–स्टेशनों/लाईनों के निर्माण में पर्यावरण स्क्रीनिंग करने हेतु चयन प्रारुप

क्रमांक संख्या	पर्यावरण पहलुओं हेतु संरेखण	अंतिम संरेखण के रुप में निष्पादन हेतु व्यक्तिगत पहलुओं की टिप्पणी पर विचार
1.	उस साईट को वरीयता दी जाती है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है। ओ.एण्ड एम और निर्माण के दौरान भारी उपकरणों के परिवहन की सुविधा के लिए राज्य राजमार्ग या सड़क की चौड़ाई कम से कम 15 फीट (पक्का रोड़) होनी चाहिए।	
2.	यदि सब–स्टेशन की भूमि पर आवासीय इकाईयों को बनाने की योजना है तो पीने योग्य पानी की उपलब्धता, भूमिगत, जल आपूर्ति प्रणाली, पी.डब्ल्यू.डी या नगरपालिका सुनिश्चित करेंगी।	
3.	पर्यावरण बचाने के लिए न्यूनतम मौजूदा साईटों पर पेड़ पौधें लगाने का प्रस्ताव है।	
4.	प्रदेश सभी ऋण भारों से मुक्त है।	
5.	प्रदेश की संम्पति का उपयोग धार्मिक गतिविधियों, घास के मैदानों आदि के लिए प्रयोग किया जाना आम विषय नहीं है।	
6.	चयनित भूमि ऐसी जगह है जहां आने वाली और बाहर जाने वाली लाईनों के लिए आसानी से गलियारें उपलब्ध हैं, स्थित है।	
7.	प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थित होने से बचा हुआ है।	

संख्या 11–8/83 एफ आर वाई (सी.ओ. एवं एस)

भारत सरकार कृषि मंत्रालय (सहकारिता एवं कृषि विभाग)

नई दिल्ली 10 अप्रैल, 1984

सेवा में

वन सचिव, समस्त राज्य केन्द्र शासित

(संरक्षण) अधिनियम, 1980

विषयः– वन के अन्तर्गत सामान्यीकरण प्रक्रिया।

श्री मान जी,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यों/केन्द्र शासितों की विभिन्न विकास योजना तथा परियोजनाओं के निष्पादन प्रभावति हो रहे हैं क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मामलों के निपटान में देरी हो रही है। इस मंत्रालय द्वारा मामलों को देखने के लिए एक समूह का गठन किया गया तथा राज्य स्तर पर मामलों की प्रक्रिया में देरी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः–

- प्रस्तुत प्रस्ताव अधूरे हैं।
- विकास एजेंसियों/विभागों तथा वन विभाग के मध्य समन्वय में अभाव।
- वन विभाग में विभिन्न स्तर के मामलों की प्रगति की देखरेख का अभाव।
- अलग–कक्षों की गैर निष्पादित या नोडल अधिकारियों ने राज्य स्तर पर कुछ मामलों को निपटाया (दो महीने तथा केन्द्र सरकार द्वारा (तीन सप्ताह में) स्पष्टीकरण कर दिया गया।
- राज्य स्तर पर मामलों की प्रक्रिया में तय समय सीमा की अनुज्ञा।

2. यह भी संज्ञान में आया कि मामलों के निपटान में देरी कारण का क्षेत्र स्तर पर निष्क्रियता/या उदासीनता है। इनके सबके परिणामस्वरुप, वन संरक्षण अधिनियम की अनावश्यक आलोचना हो रही है।

3. कार्य समूह ने पाया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निष्पादन प्रक्रिया के प्रस्ताव जमा कराने की प्रक्रिया न ही जटिल है न ही समय लेने वाली है। यदि पत्र क्रमांक 8/08/1980 एफ आर वाई (कोइड) दिनांक 3 सितम्बर, 1983 के अन्तर्गत पहले ही आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा इस प्रक्रिया के लागू होने की सूचना सभी सम्बन्धियों को दे दी गई है तथा वन भूमि उपयोग करने वाले विभाग/एंजेसी को वन (संरक्षण) नियमों (पहले से जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर) के निश्चित प्रोफार्मों के कॉलम 1,2,3,5,7,6 में स्पष्ट सूचना दी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच–पड़ताल करनी चाहिए। यदि यह अधूरा या सही नहीं हो तो इसे

अपने वक्तव्य के साथ सम्बन्धित विभाग/एजेंसी से वापिस कर देना चाहिए। नही ंतो प्राफोर्मों के शेष कॉलमों सूचना प्रदान करने के लिए सम्बन्धित डी.एफ.ओ. को सदंर्भित करना चाहिए। यह कार्य एक सप्ताह में हो जाना चाहिए। डी.एफ.ओ. को सूचना एकत्र करनी चाहिए तथा प्राफोर्मों के कॉलम 4 तथा 7 (1), (11), (111) में विवरण भरना चाहिए तथा एक महीने की अवधि में लौटानी चाहिए। नोडल अधिकारी सूचना की जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूरी कर, सी.सी.एफ. के मत्वंय प्राप्त कर दो सप्ताह में दो प्रतियां (पूरी तरह से) राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। सी.सी.एफ. को अपने मत्वंय देने से पूर्व मुख्य वन्य जीव वार्डन प्रोफार्मों के कॉलम 4 के मत्वंय प्राप्त कर इसे प्रस्ताव के साथ संलग्न करने चाहिए।

4. राज्य सरकार प्रस्ताव की जांच करेगी तथा इसकी एक प्रति को प्रेषित करेगी इसकी सिफारिशों में दो सप्ताह लगेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात राज्य सरकार स्तर पर पूरी प्रक्रिया में दो से ाक महीने नहीं लगेगें।

5. भूकम्पीय सर्वेक्षणों तथा तेल खुदाई के लिए के साथ–साथ खनन लाईसैंस के लिए केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए इसे प्रदान किया गया है तो इसमें वृक्षों या वनों का काटना शमिल नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक मामले में सर्वेक्षण की अनुमति करना या पूर्वेक्षणया वनों का उपयोग केन्द्र सरकार का मामला नहीं है या।

6. तेल पूर्वेक्षण के लिए अन्वेषण करने के लिए खुदाई के मामले की प्रक्रिया सरलीकृत अनुसार संबधित मंत्रालय के पत्र–क्रमांक संख्या 8–22/81– एफ.आर.आई. (क्रूड) दिनांक 19/09/1982 के अनुसार जंगल के लिए जमीन की आवश्यक व्यवस्था का प्रयोजन एक हैक्टयर से अधिक नहीं है।

7. दो हैक्टेयर क्षेत्र तक छोटे वनों को जो अल्प वृक्ष वृद्धि था वृक्ष विहीन है के लिए पत्र क्रमांक 8–22/81–एफआर 4 (कोई) दिनांक 15–9–82 के अन्तर्गत सरलीकरण प्रक्रिया दे दी गई है। हांलाकि प्रत्येक प्रस्तावित मामले में वर्ग तथा वनस्पति धनत्व के बारे में सही सूचना शामिल हों।

8. सम्प्रेषण लाईनों के मामले में अनुबन्ध एक में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन होना चाहिए।

9. यह आवश्यक है कि राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर डाय सग्रंह तथा मामलों की प्रक्रिया में मामलों के निपटान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

10. परियोजना अधिकारियों/विकास विभागों को परियोजना सूत्रीकरण स्तर के लिए आगामी कार्यवाही कर लेनी चाहिए जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की सलाह शामिल होनी

चाहिए। किसी मामले में वन भूमि की औपचारिक प्रार्थना वास्तविक आवश्यकता से छह माह पूर्व करनी चाहिए।

11. राज्य सरकारों ने वन–विभागों में अलग सैल की स्थापना या नोडल अधिकारियों की नियुक्ति वन (संरक्षण) अधिनियम के कार्य को करने के लिए नहीं की। जिससे कोई देरी नहीं। इसके अलावा नोडल अधिकारी को अलग से सहायक तकनीकी तथा लिपिकीय कर्मचारी चाहिए। जिससे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके तथा उपरोक्त ढांचा प्रभावी हो सके। नोडल अधिकारी अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ सुगम होना चाहिए तथा विकास विभागों जैसे सिंचाई, पी.डब्ल्यू.डी., खनन, बिजली आदि विभिन्न स्तरों पर शेष मामलों की प्रगति समीक्षा तथा निपटान के लिए तीन महीनें में एक बार बैठक होनी चाहिए।

12. सी.सी.एफ. तथा संरक्षणकर्त्ता नियमित देखरेख तथा शेष प्रस्तावों की जिम्मेदारी पक्का करना है। राज्य स्तर पर वन सचिव को नोडल अधिकारी से जमा प्रस्तावों का मासिक वक्तत्य तथा शेष निपटान (कारणों के साथ) तथा मुद्दों की आवश्यक दिशा–निर्देशों तथा उचित परामर्श के साथ–साथ सही जांच–पड़ताल प्राप्त करना आवश्यक है। अनुग्लनक–2 के प्रोर्फोमा के अनुसार कुछ मामलों का मासिक वक्तव्य केन्द्र सरकार को सम्बन्धित महीने की 15 तारीख को पहुंच जाना चाहिए। पहले कुछ मासिक वक्तव्य 31 मार्च, 1984 महीने के अन्त में पहुंची तथा 20 अप्रैल, 1984 को मंत्रालय में निर्धारित समय पर पहुंची।

13. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लाईनों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा आवश्यक दिशा–निर्देश सभी सम्बन्धितों को जारी कर दिए गए जिससे राज्य स्तर पर प्रस्तावों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत भरसक अभियान चलाना पक्का किया जाए।

भवदीय,

अनुबन्ध–ए

वन क्षेत्रों में सम्प्रेषण लाईने बिछाने के दिशा–निर्देशः– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

1. सम्प्रेषण लाईनों के समय जहां तक सम्भव हों वन क्षेत्रों को नहीं छोड़ना, इसके लिए प्रधानमंत्री की निम्नलिखित प्रस्तावना का अनुसरण करना चाहिए।

   सम्प्रेषण लाईनों में शामिल वृक्षों को काटने में हमें व्यवहारिक विकल्प ढूढ़ंने चाहिए।
2. सम्प्रेषण लाईनों के दौरान वन क्षेत्र से बचा नहीं जा सकता। इनका संरेखन ऐसे क्षेंत्र में हो जहां ज्यादा मात्रा में वृक्ष कट रहे हैं।
3. जहां तक सम्भव हो सम्प्रेषण करते समय वन क्षेत्र में कोई लाईन विचलन नहीं होना चाहिए।
4. वन क्षेत्र में सम्प्रेषण लाईन के रास्ते की अधिकतम चौड़ाई निम्नानुसार होः–

सम्प्रेषण वोल्टेज (के.वी.)	सही रास्ते की चौड़ाई (एम)
11	7
33	15
66	18
110	22
132	27
220	35
400	52

तार खिचाव उपकरण लगाते हुए कन्डक्टर के नीचे तीन मीटर चौड़ाई की अनुमति दी जाएगी। कुछ पट्टियों में वृक्षों को गिराया गया परन्तु तार लगाने के कार्य के पूरा होने के बाद कटे वृक्षों को रोपण कर बिजली क्लीयरेन्स को कायम रखा जाएगा। बाहरी पट्टियों को छोड़कर जो कि ट्रांसमिशन लाईन की अनुमति के बाद स्पष्ट होगा।

सम्प्रेषण वोल्टेज (के.वी.)	वृक्षों की ऊंचाई तथा कडक्टर के मध्य न्यूनतम क्लीयरेन्स
11	2.6
33	2.8
66	3.4
110	5.7
132	4.0
220	4.6
400	5.5

सम्प्रेषण लाईन कार्य की मरम्मत व रखरखाव के लिए विद्युत अधिकारियों को अन्य कन्डक्टर मरम्मत के अधीन न्यूनतम वृक्ष काटने के लिए अनुमति प्रदान करें। जहां पर स्थानीय वन अधिकारी की सलाह से गिराए वृक्षों को रोपण किया जा चुका है।

सही रास्ते की शेष चौड़ाई में वृक्ष नहीं काटा जाएगा (400 के.वी. लाईनों के अधिकतम 52 मीटर तक) परन्तु बिजली बाधाओं से बचने के लिए टहनियों की छटांई की जाएगी/कंडक्टर की न्यूनतम क्लीयरेन्स का रखरखाव किया जाएगा।

पहाड़ी क्षेत्रों मे संम्प्रेषण लाईन के मामले जहां पूरी तरह से पहले ही उपलब्धता है वहां वृक्षों को नहीं काटा जाएगा।

सही रास्तों में गिराए वृक्षों के रोपण का व्यय राज्य बिजली बोर्ड/बिजली निगम आदि से लेगा।

सही रास्तों में क्रमांक संख्या चार से ज्यादा जैसे लम्बे नारियल वृक्ष तथा इसी समान लम्बे वृक्षों के लिए सी.ई.ए. से सुझााव के साथ अनुमति ले जाए।

अनुबन्ध–4

वन प्रस्ताव के सूत्रीकरण के लिए फोरमैट

फार्म–'ए'

भाग–1

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना विवरणः

1) प्रस्ताव तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि की मांग की जाती है।

2) 1:50,000 स्केल मानचित्र पर निकटवर्ती वन की सीमा, मांगी गई वन भूमि को दिखाने वाला मानचित्र।

3) परियोजना की लागत

4) वन क्षेत्र में परियोजना की स्थिति के लिए औचित्य।

5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किया जाए)

6) उत्पन्न किया जाने वाला रोजगार।

2. मांगी गई कुल भूमि का उद्देश्य अनुसार ब्यौराः

3. परियोजना के कारण लोगों का प्रतिस्थापन का विवरण यदि कोई है :

1) परिवारों की संख्या।

।।) अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या।

।।।) पुनर्वास योजना (संलग्न की जाए)।

4. क्या पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृति मांगी गई? (हां/नहीं)

5. क्षतिपूरक वन रोपण के अनुरक्षण तथा पालन–पोषण की लागत को वहन करने के लिए उ ारदायित्व तथा/या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार सुरक्षा जोन आदि के बचाव तथा पुनरूद्धार के लिए पैनल क्षतिपूरक वनरोपण तथा लागत (दायित्व संलग्न किया जाए)।

6. अनुदेशों के अन्तर्गत मांग गए प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का विवरण संलग्न।

हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)
पद
पता (यूजर एजेंसी का)
तिथिः:.....स्थान :.....
प्रस्ताव की स्टेट क्रम.....

(रसीद की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए।)

भाग–2
(सम्बन्धित उप संरक्षक वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव का स्टेट सीरियल नं.....

योजना/परियोजना का स्थल.....

7. योजना/परियोजना का स्थल.....

1. राज्य/संघी क्षेत्र

2. जिला

3. वन मण्डल

4. डाइवर्सन (एच.एस.में) के लिए प्रस्तावित वन भमि का क्षेत्र

5. वन का विधि विवरण

6. वनस्पति की गहनता

7. वृक्ष का स्पीसिज–वाई (वैज्ञानिक नाम) तथा मीअर क्लास वाइज इनुमीरेशन (एफ.आर. एल.,एफ.आरएल.,–2 मीटर तथा एफ.आर.एल.'4 मीटर पर सिंचाई/जलीय परियोजना के अनुमीरेशन के मामले में) अनुबंधित किए जाएं।

8. कटाव के वन क्षेत्र के डाईवरशन के लिए अनुमानित देरी।

9. जहां नेशनल पार्क हो, जीव जन्तु रहते हों बायो मण्डल, टाइगर रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि हों (क्षेत्र का विवरण दिया जाए और मुख्य जीवन जन्तु रक्षक की टिप्पणियां अनुबन्ध की जाएं)।

10. वनस्पति और वन जीव के पर्याप्त संरक्षित क्षेत्र के लिए विस्तृत व्यौरा दिया जाए।

11. पुरातत्वीय ऐतिहासिक स्थल/सैनिक स्थापन या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित हों तो उसकी पूरी सुरक्षा यदि ऐसा हो और आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी से एन.ओ.सी. विवरण लिया जाए।

8. भाग–1 के कॉलम 2 मे दी गई एजेंसी के प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता हो तो उस जगह परियोजना लगाने से बचना चाहिए। अगर नही ंतो क्षेत्र में मद्दों के अुनसार वैकल्पिक जांच के लिए विवरण दिया जाए।

9. यदि परियोजना के किसी कार्य को करने के कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है (हां/नहीं) यदि हां तो गलती करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए और जिसकी अवधि का विवरण मांगा जाए।

10. उपरोक्त स्कीम की प्रतिपूर्ति का विवरण :

1. उपरोक्त परियोजना के लिए पहचाना गया बगैर वन वाला क्षेत्र/डी ग्रेड वन से सटा क्षेत्र,

2. वन से दूरी, ऐसे जमीन के टुकड़ों की संख्या, प्रत्येक टुकड़े का आकर प्रतिपूर्ति का ब्यौरा दिया जाए।

3. उपरोक्त परियोजना के लिए पहचाना गया बगैर वन वाला क्षेत्र/डी ग्रड वन से सटा क्षेत्र का नक्शा दर्शाना।

4. परियोजना चालू करने वाली एजेंसी द्वारा पौधों को लगाने के लिए स्थल की व्यवस्था करने के साथ समय सूची, ढ़ांचे की लागत आदि के प्रतिपूर्ति का विवरण।

5. उपरोक्त योजना की क्षतिपूर्ति के लिए कुल वि ीय परिव्यय।

6. उपरोक्त योजना की क्षतिपूर्ति के लिए पहचाने गए क्षेत्र की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सक्षम

7. प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र लेना तथा (प्रबन्ध प्वाइन्ट जैसे सम्बन्धित उप वन रक्षक द्वारा हस्ताक्षरित)।

11. डी.सी.एफ. की स्थल जांच रिपोर्ट (संलग्न) कॉलम–7, 8 और 9 में विशेष रूप से बनाए गए तथ्यों की जांच रिपोर्ट।

12. मण्डल/जिला प्रोफाईल :

जिलो का भौगोलिक क्षेत्र।

जिले का वन क्षेत्र।

1980 मामलों की संख्या के साथ कुल परिवर्तित वन क्षेत्र।

(ए) उपरोक्त योजना की क्षतिपूर्ति जिले/मण्डल में की जाए। उपरोक्त परियोजना की क्षतिपूर्ति सहित वन भूमि

4. क्षतिपूर्ति सहित वन भूमि

उपरोक्त योजना की प्रतिपूर्ति की प्रगति.....तिथि को

ए) वन भूमि

बी) गैर–वन भूमि

13. कारणों के साथ प्रस्ताव के अलावा स्वीकृति के लिए डी.सी.एफ. एक्ट का विशेष अनुमोदन।

हस्ताक्षर

नाम.....कार्यालय की मोहर

तिथि.....स्थान

भाग–3

(सम्बन्धित उप संरक्षक वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14. यदि स्थल में वन भूमि सम्मिलित की गई हो तो वन के संरक्षक द्वारा जांच की जाएगी और निरीक्षण की तिथि तथा जांच से जानी गई टिप्पणियों का नोट संलग्नित किया जाए।

15. भाग–बी में दी गई सूचना से तथा उप वन संरक्षक के अनुमोदन से सम्बन्धित वन संरक्षक सहमत है।

16. कारणों के साथ प्रस्ताव के अलावा स्वीकृति के लिए सम्बन्धित डी.सी.एफ. एक्ट का विशेष अनुमोदन।

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

तिथि.....कार्यालय की मोहर

स्थान.....

भाग–4

(वन विभाग के प्रमुख या वन के प्रधान मुख्य संरक्षक ऑफिसर द्वारा भरा जाना है)।

17. विशेष कथन के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय तथा विशेष सिफारिशें (राय देते समय वन के सम्बन्धित संरक्षक या वन के उप संरक्षक द्वारा प्रतिकूल दी गई टिप्पणियों की आलोचनात्मक विचारों के श्रेणियों अनुसार समीक्षा करती चाहिए।

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

तिथि.....कार्यालय की मोहर

स्थान.....

भाग–5

(वन विभाग प्रभारी सचिव या राज्य सरकार का अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे न हो द्वारा भरे जाने के लिए)।

18. राज्य सरकार के अनुमोदन (उपरोक्त पैरा भाग–बी या भाग–सी या भाग–डी में किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकूल टिप्पणियां विशेष टिप्पणियों पर निर्भर करनी चाहिए)।

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

तिथि.....कार्यालय की मोहर

स्थान.....

पर्यावरण संघटन निर्धारण अधिसूचना, 1994 (एम.ओ.ई.एफ.) की सूची–1 में दी गई श्रेणी वाली विशिष्ट परियोजनाएं।

निम्नलिखित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए औद्योगिक यूनिट स्थापित करने में पहले पर्यावरण की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

नई परियोजनाएं

निम्नलिखित श्रेणी वाली परियोजनाओं में औद्योगिक यूनिट के लिए, यदि निवेश की राशि 50 करोड़ रूपए है :

1. न्यूक्लीयर पावर प्लांट तथा सम्बन्धित परियोजना जैसी हैवी वाटर प्लांट, न्यूक्लीयर ईंधन कम्पलैक्स, असाधारण भूयोजना।
2. जलीय विद्युत सहित नदी घाटी परियोजनाएं, मेजर सिंचाई योजनाएं तथा बाढ़ से नियंत्रित किए गए पानी समेत संयोजना
3. बन्दरगाह, हवाई अड्डा (छोटी बन्दरगाहों को छोड़कर):
4. कच्चे तेल या उत्पाद पाईप लाईनों सहित पैट्रोलियम रिफायन्रीः
5. रासायिनक खाद (निटरोजीनियश और फोसफेटिक यानी सिंगल सुपरफोसफेट)
6. पैट्रोकेमिकल कम्पलेक्सिज (ऑयलफेनिक तथा ऐरामेटिक दोनों) तथा पैट्रोकेमिकल इन्टरमिडेएट जैसे डी.एम.टी.। केपरोलेक्टर, लेब आदि तथा मूल प्लास्टिक का उत्पादन जैसे एल.डी.पी.ई., एच.डी.पी.ई., पी.पी., जी.वी.सी.।
7. तेल तथा गैस के लिए पर्यवेक्षण तथा उनका उत्पादन, परिवहन तथा भण्डार।
8. सिन्थेटिक रबड़।
9. हाईड्रोनिक ऐसिड तथा इसके संचालक।
10. प्राईमरी मेटालरजिकल उद्योग (जैसे लोहा तथा स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, लीड तथा फेरो एलोय आदि का उत्पादन)।
11. विद्युत, आर्क फरनिसिंज (लघु स्टील प्लांट)।
12. क्लोरो अल्काली इन्डस्ट्री।
13. विस्कोज स्टेपल फाइबर एण्ड फिलामेंट यार्न।
14. स्टोरेज बैटरीज इन्ट्रेग्रेटिड विथ मैनुफैक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ लीड, लीड एन्टीमोनी।
15. थर्मल पावर प्लांटस।
16. पल्प, पेपर एण्ड न्यूजप्रिन्ट।

17. सीमेंट

निवेश पर बिना विचार किए निम्नलिखित परियोजना श्रेणियों में औद्योगिक यूनिटे :

1. पेस्टीसाईडस (टेक्नीकल)।
2. बल्क ड्रगस एण्ड फार्मासिउटीकल्ज।
3. एस्बेस्टोज एण्ड एस्बेस्टोज प्रोडक्टस।
4. 200–500 मीटरज उच्च टाइड लाईन एवं एलिवेशन लोकेशन के साथ > 1,000 मीटरज > 5 करोड़ रूपये के निवेश के साथ वाले सभी पर्यटन परियोजनाएं।
5. खान परियोजनाएं (5 हेक्टेयरस से अधिक की लीज के साथ)।
6. हाइवे परियोजनाएं।
7. हिमाचल में घुमावदार सड़क तथा/या वन क्षेत्र।
8. डिस्ट्रीलेरी।
9. चर्म उद्योग।
10. रंगाई कारखाना।
11. फाऊन्डरीज (व्यक्तिगत)।
12. इलेक्ट्राप्लेटिंग।

<u>एम.ओ.ई.एफ. से स्थल की स्वीकृति वाली परियोजनाएं:</u>

निम्नलिखित परियोजनाओं के मामले में एम.ओ.ई.एफ. से स्थल की स्वीकृति ली जानी आवश्यक होती है :–

1. खान।
2. थर्मल पावर स्टेशन पीट हेड।
3. हाइड्रो पावर, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं तथा बाढ़ से नियंत्रित सहित उनकी सम योजनाएं।
4. बंदरगाह (छोटी बंदरगाह को छोड़ कर)।
5. 500 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्र में भारी खनिज के निष्पादन तथा अभियोजना।
6. औद्योगिक सम्पदा।

स्थल की स्वीकृति लेने के लिए आवश्यक विवरण के साथ परियोजना का स्थल विवरण सहित एम.ओ.ई.एफ. को प्रस्तुत किया जाता है। एम.ओ.ई.एफ. अधिकतम 30 दिन की अवधि के अन्दर–अन्दर प्रस्तावित स्थल की प्रस्तुति के बारे में अपना निर्णय बताएगा।

<u>एम.ओ.ई.एफ. से आवश्यक स्थल की स्वीकृति वाली परियोजनाएं :</u>

निम्नलिखित परियोजनाओं के मामले में एम.ओ.ई.एफ. से स्थल की स्वीकृति ली जानी आवश्यक होती है :–

7. खान।

8. थर्मल पावर स्टेशन पीट हेड।

9. हाइड्रो पावर, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं तथा बाढ़ से नियंत्रित सहित उनकी सम योजनाएं।

10. बंदरगाह (छोटी बंदरगाह को छोड़ कर)।

11. 500 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्र में भारी खनिज के निष्पादन तथा अभियोजना।

12. औद्योगिक सम्पदा।

स्थल की स्वीकृति लेने के लिए आवश्यक विवरण के साथ परियोजना का स्थल विवरण सहित एम.ओ.ई.एफ. को प्रस्तुत किया जाता है। एम.ओ.ई.एफ. अधिकतम 30 दिन की अवधि के अन्दर–अन्दर प्रस्तावित स्थल की प्रस्तुति के बारे में अपना निर्णय बताएगा।

पर्यावरण व वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुभाग 3 (1) तथा पर्यावरण संरक्षण नियमों (1986) के नियम 5 (3) (डी) के अन्तर्गत अरावली पर्वत श्रृखंला के विशेष क्षेत्र के पर्यावरण पतन का कारण है।

जैसा कि (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) के अनुभाग 3 (1) तथा 3 (2) (यू) के अन्तर्गत अधिसूचना अनुसार अरावली पर्वत श्रृखंला के विशेष क्षेत्र में चल रही कुछ गतिविधियां जो इस क्षेत्र में पर्यावरण हानि पहुंचा रही है, के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रित की गई जो भारत के राजपत्र भाग–11 –अनुभाग 3 उपअनुभाग (11) के यादि एस.ओ. 25 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 1992 में प्रकाशित है।

तथा जैसा कि प्राप्त सभी आपत्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा संज्ञान में ले लिया जाए। अब हांलाकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उप–अनुभाग (1) तथा उप–अनुभाग (2) का क्लाज (4) के अनुभाग 3 को पर्यावरण/संरक्षण कानूनों, 1966 में केन्द्र सरकार ने यहां निम्नलिखित प्रक्रियाओं तथा परिचालनों बिना उचित अनुमति के अधिसूचना की तालिका के साथ पढ़ा जाए।

किसी भी नए उद्योग के स्थान विस्तार में आधुनिकीकरण। खनन पट्टे के नवीनीकरण में शमिल सभी नई खान परिचालन। अभ्यारणय/नेशनल पार्क में चल रही खनन पट्टे तथा चीता परियोजना को ढ़कने वाले क्षेत्रों तथा या सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति बिना खनन कार्य होना। वृक्षों का काटना आवासीय इकाइयों, फार्म, घरों, शेड, सामुदायिक केद्रों, सूचना केद्रों का निर्माण तथा अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित निर्माण (किसी ढांचे से सम्बन्धित रास्ते का भाग शामिल है।)

(विद्युतीकरण नई सम्प्रेषण बिछाने के लिए)

कोई भी व्यक्ति उपरोक्त दी गई प्रक्रियाओं या परिचालनों से सम्बन्धित क्षेत्रों को अधिकृत करता है तो सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पास प्रार्थना–पत्र के साथ विशेष प्रार्थना–पत्र अन्तर एरिया, क्षेत्र का विवरण तथा प्रस्तावित प्रक्रिया या परिचालन साथ लगाना होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमति लेने के लिए, नियत प्रार्थना–पत्र (अनुग्लंनक देखे) को पूर्व भरकार, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली का जमा कर दिया गया।

संख्या 17/01/1991–पी.एल./आई.ए.

आर.राजमणी, सचिव।

तालिका

सभी आरक्षित वनों, वनों या अन्य क्षेत्र जैसे भूमि रिकॉर्डों में वन बनाए रखना राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सरकार का अलवर जिले से सम्बन्धित इस तिथि को अधिसूचना दी गई।

क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रक्रिया तथा परिचालन प्रतिबंधित है। सभी आरक्षित वनो, वनों या अन्य क्षेत्र जैसे भूमि रिकॉर्डों में वन बनाए रखना राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सरकार का अलवर जिले से सम्बन्धित इस तिथि को अधिसूचना दी गई।

2. सभी क्षेत्र जैसे

- गैर मुमकिन पहार, या
- गैर मुमकिन पहार, या
- गैर मुमकिन राडा, या
- गैर मुमकिन बीडड़, या
- बजंड बीड़, या रुन्ध

3. क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रक्रिया तथा परिचालन प्रतिबंधित है। सभी आरक्षित वनो, वनों या अन्य क्षेत्र जैसे भूमि रिकॉर्डों में वन बनाए रखना राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सरकार का अलवर जिले से सम्बन्धित इस तिथि को अधिसूचना दी गई।
4. पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 तहत हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में भी सभी आरक्षित क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी की गई।
5. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत सारिस का नेशनल पार्क तथा सारिस के अभ्यारण के सभी क्षेत्र अधिसूचित किए।

प्रार्थना–पत्र

1. ए. प्रस्तावित परियोजना का नाम और पता

   बी. परियोजना की स्थितिः

   स्थान का नाम

   जिला, तहसील

   मानचित्र स्थान

   सी. प्रस्तावित स्थल के लिए वैकल्पिक स्थानों के कारणों की जांचः

2. परियोजना के उद्देश्यः

3. ए. भूमि आवश्यकताः

   कृषि भूमिः

   अन्य (निर्दिष्ट)

   बी. 1. स्थलकृति क्षेत्र ढाल, पहलू परिधि मे ंचल रहे प्रदूषण स्रोत।

   2. प्रस्तावित भूमि का वर्गीकरण।

   सी. 10 किलोमीटर की परिधि में चल रहे प्रदूषण स्रोत।

   डी. निकटतम पार्क/अभ्यारण।

   ई. प्रभावित/उपयोगी क्षेत्रों के लिए पुनर्वास योजनाः

   एफ. हरी पट्टी योजना।

   जी. प्रतिपूरक वनीकरण योजना।

4. जलवायु एवं वायु गुणवत्ता

   ए. स्थल पर वायु

   बी. अधिकतम/निम्नतम/मध्य वार्षिक तापमान

   सी. परिवेश वायु गुणवत्ता ऑकड़े

   डी. एस.पी.एम.गैसों (सी.ओ.,सी.ओ.टू, एस.ओ.टू, एन.ओ.) की प्रकृति व साद्रण में उत्सर्जन।

5. ए. स्थल सतह पर जल–संतुलन तथा भू–जल उपलब्धता तथा मांग।

   बी. समयावधि मौसम में जल उपलब्धता

   सी. जल प्राप्ति स्रोत उपयोगिकर्त्ता विवरण के साथ (नदियां, झील, भूमि, सार्वजनिक आपूर्ति)

   डी. जल गुणवता

   ई. पिछले 15 सालों में जल की गुणवता और मात्रा में बदलाव और वर्तमान भारों का सार विवरण।

   एफ. 1. किसी प्रकार की भूमि पर छोड़े अपशिष्ट उपचार विवरण के साथ।

2. जल स्रोत से जल की मात्रा गुणवत्ता की प्राप्तिः

3. भूमि तथा किस प्रकार की भूमि पर छोड़े अपशिष्ट जल की मात्रा

6. ठोस कचरा

ए. उत्पन्न ठोस कचरे की प्रकृति एवं मात्रा।

बी..ठोस अशिष्ट निपटान विधि।

7. शोर व कंपन

ए. शोर व कपंन के स्रोत

बी. परिवेश शोर स्तर

सी. शोर व कपंन नियंत्रण के उपायों का विवरणः

डी. नियंत्रण उपायों के साथ, घटाव समस्या यदि कोई है तो।

8. आपूर्ति स्रोतों को संकेत करती बिजली आवश्यकताः यदि सक्षम विद्युत यूनिट प्रस्तावित है तो पूरा पर्यावरणीय विवरण अलग से बनाना।

9. कुल तैनात श्रम शक्ति के विवरण के साथः

- क्षेत्र में फैली क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याएंः
- प्रस्तावित स्वास्थ्य अनुरक्षण प्रणाली

10. ए. विस्थापित परिवारों तथा जनसंख्या की संख्याः

बी. पुनर्वास विशेष योजनाः

11. जोखिम मूल्याकंन रपटः

12. ए. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन रपटः

बी. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाः एम.ई.ओ.एफ. द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के अनुसार तैयार।

सी. विस्तृत व्यवहार्यता रपट

डी. लाभ मूल्य विश्लेषण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि की दिशा बदलने का प्रस्ताव।

13. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा/या पर्यावरण तथा वन राज्य विभाग की अनुशसाएं।

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक तथा नाम पूर्ण डाक पता के साथ

- ऑकड़े प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत मापविधा विभाग से लिए गए हैं;
- ऑकड़ों से भूमि जल बोर्ड और सिंचाई विभाग जुड़े हुए हैं।

ए. मद संख्याएं 3 (सी) 4,5,6,7,8,9,10,11,12 (ए) व 12 (बी) विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है।

बी. मद संख्याएं 3 (सी) 4,7,11 फार्म शैड, सामुदायिक केन्द्र तथा सड़क निर्माण के साथ संबंधित अन्य गतिविधियां उपयुक्त नहीं हैं;

सी. मद संख्याएं 3 (बी),3 (सी,), 3 (ई), 3 (एफ), 4,5,6,7,9,12 (ए) एवम 12 (बी) विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है;

डी. सभी मद खनन, उद्योग, ताप विद्युत, परिवहन परियोजनाओं के लिए है।

ई. उपरोक्त में से कोई मद संख्या सम्बधित नहीं है तो कारणों के साथ संकेत दिया जा सकता है।

(अनुच्छेंद 2 और 7 के अनुसार)

आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय निकासी योजनाओं या गतिविधियों की सूची

योजना या गतिविधि		**सीमा द्वार के साथ वर्ग**		**यदि कोई शर्तें हैं:–**
		(ए)	(बी)	
1		प्राकतिक संसाधनों और ऊर्जा उत्पादन,खनन (विशिष्ट उत्पादन क्षमता हेतु)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (ए)	खनिजों का खनन	≥ 50 हैक्टयर का खनन पट्टा क्षेत्र खनन क्षेत्र का निरपेक्ष अदह खनन	< 50 हैक्टयर > 5 हैक्टयर का खनन पट्टा क्षेत्र	सामान्य शर्तें लागू होगी टिप्पणी :– खनिज पदार्थ (खुदाई शामिल नहीं) के भौतिक सर्वेक्षण के लिए रियायती क्षेत्रों को पूर्व छूट प्रदान करना।
1 (बी)	समुद्री एवं तटीय तेल तथा गैस की खोज, विकास व उत्पादन।	सभी परियोजनाएं		टिप्पणी :– अन्वेषण सर्वेक्षण (खुदाई शामिल नहीं) के भौतिक सर्वेक्षण के लिए रियायती क्षेत्रों को पूर्व छूट प्रदान करना।
1 (सी)	नदी घाटी परियोजना	(1) > 50 मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत उत्पादन (2) > 10 हजार हैक्टयर का सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र	(1) < 50 मेगावाट > 25 मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत उत्पादन (2) < 10 हजार हैक्टयर का सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र	सामान्य शर्तें लागू होगी
1 (डी)	ताप विद्युत संयंत्र	> 500 मेगावाट (कोयला/लिग्नाईट /ज्वलनशील व गैस आधारित) > 50 मेगावाट (विशेष कोक डीजल तथा सभी अन्य ईंधन)	< 500 मेगावाट (कोयला/लिग्नाईट /ज्वलनशील व गैस आधारित) < 50 मेगावाट > 5 मेगावाट (विशेष कोक डीजल तथा सभी अन्य ईंधन)	सामान्य शर्तें लागू होगी
1 (ई)	परमाणु विद्युत परियोजनाएं तथा	सभी परियोजनाएं		

	परमाणु ईंधन की प्रक्रिया			
2		प्राथमिक प्रक्रिया		
2 (ए)	शुद्ध कोयला	> 1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उपयोग	< 1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उपयोग	सामान्य शर्तें लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के साथ स्थित है तो खनन प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव स्वीकार्य होगा)
2 (बी)	लाभान्वित खनिज	> 0.1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उपयोग	< 0.1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उपयोग	सामान्य शर्तें लागू होगी (अनुदान पूरा करने के लिए लाभान्वित खनिज के साथ दोनों खनिज प्रस्ताव स्वीकार्य होंगे)
3		पदार्थ उत्पादन		
3 (ए)	धातुकर्म उद्योग (लोह व अलोह)	ए) प्राथमिक धुात कर्म उद्योग सभी परियोजनाएं बी) >200टीपीडी मुलायम लोह निर्माण सी) गौण धातुकर्म प्रक्रिया उद्योग सभी >20,000 टन/वार्षिक हानिकारक व भारी पदार्थ उत्पादित इकाईयां	<200टीपीडी मुलायम लोह निर्माण गौण धातुकर्म प्रक्रिया उद्योग 1) सभी <20,000 टन/वार्षिक हानिकारक व भारी पदार्थ उत्पादित इकाईयां 2) सभी>500 टन/वार्षिक हानिकारक गौण धातुकर्म प्रक्रिया उद्योग	मुलायम लोह निर्माण के लिए सामान्य शर्तें लागू होगी
3 (बी)	सीमेंट संयंत्र	>1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता	<1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता। सभी खुदाई इकाईयां अलग से चल रही हैं।	सामान्य शर्तें लागू होगी
4		पदार्थ प्रक्रिया		
3 (ए) पैट्रोलियम	सभी परियोजनाएं			

शोध उद्योग				
4 (बी)	कोयला भट्ठी संयंत्र	> 2,50,000 टन वार्षिक	<2,50,000 >25,000 टन वार्षिक	
4 (सी)	अज्वलनशील मिल तथा अज्वलनशील आधारित	सभी परियोजनाएं		
4 (डी)	क्लोर–अलकाली उद्योग	>300 टीपीडी उत्पादन क्षमता या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र से बाहर स्थित इकाई	<300 टीपीडी उत्पादन क्षमता या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र से बाहर स्थित इकाई	निर्धारित शर्त लागू होगी कोई नई बुधिका कोश्किा आधारित संयंत्रों और मौजूदा इकाईयों सेल प्रोद्यौगिकी झिल्ली को परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी इस अधिसूचना से छूट दी हैं
4 (ई)	सोडा राख उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4 (एफ)	चमड़ा/चर्म/खाल उद्योग प्रक्रिया	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र से बाहर वर्तमान इकाईयों का विस्तार	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र में स्थित सभी नई या विस्तारित परियोजनाएं	निर्धारित शर्तें लागू होगी
5		निर्माण / वस्तु तैयार करना		
5 (ए)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं		
5 (बी)	निर्धारित कीटनाशक उद्योग तथा निर्धारित सम्बन्धित कीटनाशक (प्रतिपादन छोड़कर)	तकनीकी स्तर पर कीटनाशक उत्पादित सभी इकाईयां		
5 (सी)	पैट्रो रासायनिक मिश्रण (पैट्रोलियम अंश व प्राकृतिक गैस की प्रक्रिया तथा प्राकृतिक	सभी परियोजनाएं		

	गैस या एरोमीटक्स से सुधार पर आधारित उद्योग)			
5 (डी)	मानव निर्मित रेशों का निर्माण	रेयन	अन्य	सामान्य शर्तें लागू होगी
5 (ई)	पैट्रो रासायनिक आधारित प्रक्रिया (ध्वनि से अलग प्रक्रिया तथा सुधारात्मक व मिश्रण के अन्तर्गत शामिल)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र से बाहर स्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र में स्थित	निर्धारित शर्तें लागू होगी
5 (एफ)	कृत्रिम जैविक रासायनिक उद्योग (रंगो तथा रंगो से सम्बन्धित बल्क दवा तथा सम्बन्धित दवा प्रतिपादन छोड़कर, कृत्रिम रबड़, आधारभूत जैविक रसायन, अन्य कृत्रिम जैविक रसायन तथा रसायन सम्बन्ध)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र से बाहर स्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/भूक्षेत्र में स्थित	निर्धारित शर्तें लागू होगी
5 (जी)	मादक द्रव्य	1) सभी मौलासिस आधारित मादक द्रव्य 2) सभी >30केएलडी गन्ना जूस अमौलासिस मादक द्रव्य	सभी <30केएलडी गन्ना जूस अमौलासिस मादक द्रव्य	सामान्य शर्तें लागू होगी
5 (एच)	एकीकृत पेन्ट उद्योग		सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होगी
5 (आई)	बाहर विरंजन के बाद साथ बर्बाद कागज और लगुदी से कागज के	गुदा विनिर्माण लुगदी और कागज निर्माण उद्योग	गुदा विनिर्माण के बिना कागज निर्माण उद्योग	सामान्य शर्तें लागू होगी

	विनिर्माण से कागज के विनिर्माण को छोड़कर लुगदी और कागज उद्योग			
5 (जे)	चीनी उद्योग		>5000 टीसीडी गन्ना पिसाई क्षमता	सामान्य शर्तें लागू होगी
5 (के)	प्रेरण/चाप भट्ठियों /गुम्मट भट्ठी 5 टीपीएच या अधिक		सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होगी
6		सेवा क्षेत्रों		
6 (ए)	तेल एवं गैस परिवहन पाईप लाईन (अपरिष्कृत एवं शोध/पैट्रो उत्पादों), राष्ट्रीय पार्कों से गुजरना/अभ्यारण्यों/प्रवाल भित्तियों एलएनजी टर्मिनल सहित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों	सभी परियोजनाएं		
6(बी)	पृथक भण्डारण और हानिकारक रसायनों के रखरखाव (योजना मात्रा शुरूआत के रूप में प्रति अनुसूची 2 और 3 एमएसआईएचसी नियम 1989 के स्तम्भ 3 में 2000 संशोधित संकेत)		सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होगी

7		पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक ढांचा		
7 (ए)	हवाई अड्डा	सभी परियोजनाएं		
7 (बी)	सभी जहाज प्रांगण तोड़ने सहित जहाज इकाईयां तोड़ना	सभी परियोजनाएं		
7 (सी)	औद्योगिक क्षमता/पार्कों/परिसरों/क्षेत्रों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई.पी.जेड), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड), जैविक पार्कों, चमड़ा परिसरों	यदि श्रेणी ए में औद्योगिक सम्पदा में पड़ने वाला प्रस्तावित उद्योग सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए श्रेणी ए में समझा जाएगा 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के साथ औद्योगिक सम्पदाओं और आवास में कम से कम एक श्रेणी'बी' उद्योग	औद्योगिक सम्पदाएं श्रेणी 'बी' उद्योग में होगी तथा < 500 हेक्टेयर	विशेष शर्तें लागू होगी नोटः 500 हेक्टेयर से नीचे औद्योगिक सम्पदा क्षेत्र तथा किसी भी 'ए' या 'बी' श्रेणी उद्योग को मंजूरी की आवश्यकता नहीं
7 (डी)	आम खतरनाक कचरे उपचार, भण्डारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ)	सभी एकीकृत भस्मीकरण सुविधाएं और भूमि सहित अकेले भस्मीकरण	सभी सुविधाएं केवल भूमि सहित	सामान्य शर्तें लागू होगी
7 (ई)	बंदरगाहों	> मालवाहक जहाज की रखरखाव क्षमता के 5 मिलियन टीपीए (मछलीपालन बंदरगाह छोड़कर)	< मालवाहक जहाज की रखरखाव क्षमता के 5 मिलियन टीपीए तथा/या मछली पालन रखरखाव क्षमता का > 10,000 टीपीए	सामान्य शर्तें लागू होगी
7 (एफ)	राजमार्गों	1) नए राष्ट्रीय राजमार्गों; तथा 2) एक से अधिक राज्य से गुजरने	1) नए राष्ट्रीय राजमार्गों; तथा	सामान्य शर्तें लागू होगी

		के लिए 30 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार तथा अतिरिक्त सही रास्ता 20 मीटर से अधिक भूमि अधिग्रहण शामिल	2) 30 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार तथा अतिरिक्त सही रास्ता 20 मीटर से अधिक भूमि अधिग्रहण शामिल	
7 (जी)	हवाई तार रास्ता		सभी परियोजनाएं	साामान्य शर्त लागू होगी
7 (एच)	आम इफ्लूयेन्ट उपचार संयंत्रो (सीईटीपी)		सभी परियोजनाएं	साामान्य शर्त लागू होगी
7 (आई)	आम नगरपालिका ठोस कचरा प्रबन्धन सुविधा (सी.एम.एस..डब्ल्यू.एम. एफ.)		सभी परियोजनाएं	साामान्य शर्त लागू होगी
8		भवन/निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं तथा नगरीकरण		
8 (ए)	भवन एवं निर्माण परियोजनाएं		> 20000 वर्ग मीटर तथा < 1,50,000 वर्ग मीटर का विस्तृत निर्माण क्षेत्र	पूरे निर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र खुले आसमान के मामले में सुविधाएं, यह गतिविधि क्षेत्र होगा
8 (बी)	नगरीकरण और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		एक क्षेत्र ढकना > 50 हेक्टेयर या उससे ज्यादा निर्मित क्षेत्र > 1,50,000 वर्ग मीटर	सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत आई टम 8 'बी का आकलन श्रेणी 'बी'। के रुप में किया जाएगा

नोटः

सामान्य शर्त (जी.सी.)

किसी भी परियोजना या गतिविधि विनिर्दिष्ट श्रेणी 'बी' को श्रेणी 'ए' के रुप में माना जाएगा यदि उसका पूरा या कुछ भाग 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित है। (1) वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अर्न्तगत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों (2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अति प्रदूषित क्षेत्रों (3) अधिसूचित पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्रों (4) अंतर राज्य सीमाओं और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं

विशिष्ट शर्त (एस.सी.)

यदि किसी भी औद्योगिक एस्टेट/परिसर/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों/जैविक पार्कों/चमड़ा परिसर जैसे सजातीय प्रकार के उद्योगों के साथ आईटम 4 (डी), 4 (एफ), 5 (ई), 5 (एफ) या पूर्व परिभाषित गतिविधियों के साथ औद्योगिक सम्पदाओं (पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हेतु सजातीय आवश्यक नहीं) ऐसी सम्पदा के भीतर प्रस्तावित औद्योगिक आवास, व्यक्तिगत उद्योगों सहित सम्पदा/परिसरों के रूप में पूर्व पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए औद्योगिक सम्पदा/परिसरों के लिए परिभाषित नियमों और शर्तों के उल्लघंन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए नियम व शर्तों का अनुपालन नहीं करेंगे। पूर्व पर्यावरण मंजूरी के नियम व शर्तों की पहचान कर कानूनी जिम्मेदारी से पालन सुनिशचित करने के साथ सम्पदा/परिसर अनुपालन करेंगे, तभी एक स्पष्ट प्रबन्धन होगा।

प्रेषकः–

अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव),
सह–मुख्य वन्यजीव संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

श्री आर. आनन्दकुमार,
सलाहकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली।

संख्या डब्ल्यू आई–III–78/355
दिनांकः 6/12/2007

विषयः– पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा।

राज्य सरकार ने राज्य में नेशनल पार्कें तथा वन्य जीव अभ्यारण में पड़ने वाले पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा वाला एक प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अपने यादि पत्र संख्या 1417–एफ.टी.4/2007/3281 दिनांक 6/03/2007 जमा कराया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिबन्धित कुछ निर्माण गतिविधियों, राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में चल रही हैं। अधिसूचना न होने के कारण इस मामले में कोई भी कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

इसलिए अनुरोध है कि जल्द ही पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना जारी की जाए ताकि राज्य में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली घुसपैठ से बचाया जा सके।

अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ (डब्ल्यू एल)
सह–मुख्य वन्यजीव संरक्षक।
हरियाणा, पंचकूला।

एन्डोस्ट संख्या –डब्ल्यू एल–111–78/356 दिनांक 6/12/2007

एक प्रति अतिरिक्त निदेशक (डब्ल्यू एल) भारत सरकार को अग्रेषित की गई। एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पर्यावरण एवं वन, सी.जी.ओं. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली डब्ल्यू. आर. इस कार्यालय के पत्र 256 दिनांक 27/07/2007 (प्रति संलग्न) को।

एस डी/–

अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यू.एल)
सह–मुख्य वन जीव संरक्षक
हरियाणा, पंचकूला।

प्रेषक :–

वित्त आयुक्त एवं मुख्य सचिव,
वन विभाग,
हरियाणा सरकार।

सेवा में,

डी. अनमोल कुमार उप महानिरीक्षक (डब्ल्यू.एल),
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार।
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली।

विषयः– **राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव अभ्यारणों के आस–पास इकोफर्जाइल/पारिस्थितिक संवेदनशील मण्डलों में वन्यजीव पंजीकरण हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का निर्णय।**

श्री मान जी,

आपके पत्र संख्या डब्ल्यू एल–1 दिनांक 25/05/2005 एफ संख्या 6/1/2003 डब्ल्यू एल–1 दिनांक 16/11/2003 तथा बाद के डी.ओ. संख्या 1/09/2007 डब्ल्यू एल–1 दिनांक 2/02/2007 श्री प्रोदीजो घोष, सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जी.ओ.आई. मुख्य सचिव हरियाणा से उपरोक्त विषय पर प्राप्त तथा हरियाणा में इकोफरजली/पारिस्थितिक संवेदनशील मण्डलों के आसपास संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्य जीव अम्यारणों) के संदर्भित प्रस्ताव की घोषणा हेतु आवश्यक कार्यवाई।

भवदीय

एस.डी/–
उप–सचिव
कृते वित्त आयुक्त एवं मुख्य सचिव।
वन विभाग, हरियाणा सरकार।

एन्डोस संख्या 1417–एफ.टी.–4–2007/378/ चण्ड़ीगढ़ दिनांक 6/03/007
एक प्रति मुख्य संरक्षक हरियाणा पंचकूला डब्ल्यू आर.टी. मुख्य वन्य जीव संरक्ष को अग्रेषित। हरियाणा टिप्पणी दिनांक 26/02/007 वह आज स्वयं ही इस सूचना के प्रेषण हेतु कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेगा।

एस.डी/–
उप–सचिव
कृते वित्त आयुक्त एवं मुख्य सचिव।
वन विभाग, हरियाणा सरकार।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारणों के आस–पास प्रस्तावित इकोरफरजाईल/परिस्थितिक क्षेत्र।

1. **राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर।**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 500 मीटर से 700 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।

- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 500 मीटर की दूरी तक कोई खान तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

2. **सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुड़गांव।**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 300 मीटर से 500 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।

- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 500 मीटर तक क्षेत्र में उच्च दबाव तार संरेखन की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी

प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

1. **<u>वन्य जीव अभ्यारणः</u>**

<u>भिण्डावास अभ्यारण्य, झज्जर।</u>

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 500 मीटर तक क्षेत्र में उच्च दबाव तार संरेखन की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

2. **<u>नाहर अभ्यारण्य, रेवाड़ी।</u>**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

3. **छिलछिलिया अभ्यारण्य, कुरुक्षेत्र।**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 500 मीटर तक क्षेत्र में उच्च दबाव तार संरेखन की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

4. **बीड शिकारगा अभ्यारण्य, पंचकूला।**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

5. **अंबूशहर अभ्यारण्य, सिरसा।**

- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योंग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योंग को मंजूरी नहीं होगी।

6. **<u>सरस्वती अभ्यारण्य कैथल तथा कुरुक्षेत्र।</u>**

- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

7. **<u>खापरवास अभ्यारण्य, झज्जर।</u>**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 500 मीटर तक क्षेत्र में उच्च दबाव तार संरेखन की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

8. **बीड बाड़ा वन, जींद।**

- चारदीवारी से 50 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

9. **कलेसर अभ्यारण्य, यमुनानगर।**

- चारदीवारी से 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)

  चार दीवारी से 100 मीटर से 300 मीटर तक पड़ने वाले क्षेत्र में दो से अधिक भण्डार (25 फुट) के किसी भी निर्माण की मंजूरी नहीं होगी।

- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 1000 मीटर तक कोई खनन तथा 2 (दो) किलोमीटर तक खुदाई गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी से 2 (दो) किलोमीटर तक लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र से 3 (तीन) किलोमीटर तक प्रदूषित उद्योग की मंजूरी नहीं होगी।
- संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी से 5 किलो मीटर की तक किसी प्रकार की अत्यधिक प्रदूषित उद्योग को मंजूरी नहीं होगी।

10. **मोरनी अभ्यारण्य, पंचकूला।**

- चारदीवारी से 50 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार के निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। सिवाय कृषि उद्देश्य हेतु भूमि की जुताई तथा न्यूनतम गइराई पर ट्यूबवेल चैम्बरों का निर्माण (10X10X10 से अधिक नहीं)।

कानून में प्रावधान के साथ क्षेत्र अनुसार वन्य जीव/वनों के विकास के लिए वन–विभाग द्वारा प्रस्तावित दिशा–निर्देश लागू नहीं होंगे।

ये दिशा–निर्देश सरकार की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे तथा वर्तमान प्रारूपों पर लागू नहीं होंगे।

बैटरियों के निपटान के फार्म–8

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2001

फार्म–8

(नियम 10 (2)(।।) देखें।

प्रयोग की गई बैटरियों के रिसाइक्लरों द्वारा रिटर्न भरने के लिए फार्म (30 जून तक बल्क उपभोक्ताओं द्वारा राज्य बोर्ड के पास जमा कराया जाए (अक्तूबर–मार्च की अवधि के लिए) तथा हर साल 31 दिसम्बर (अप्रैल–सितम्बर की अवधि के लिए)

क्र.सं.		
1.	बल्क उपभोक्ता का नाम व पता	
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा टेलिफोन व फैक्स नम्बर सहित पूरा पता।	
3.	अन्य अक्तूबर–मार्च तथा अप्रैल–सितम्बर के दौरान निर्माता/आयातक र्ा/डीलर या किसी अन्य एजेन्सी से खरीदी गई विभिन्न श्रेणियों की नई बैटरियों की संख्या। श्रेणी ऑटोमेटिव फोर व्हिलर टू व्हिलर औद्योगिक यू. 3पी.एस. मोटिव पावर स्टैंड बाई	(।) बैटरियों की संख्या (।।) अनुमानित भार (मीट्रिक टनों में)
4.	क्रम संख्या 3 में बताई गई प्रयोग की गई श्रेणियों की संख्या तथा निर्माता/डीलर/आयातक र्ा/पंजीकृत सिाइकलर/या किसी अन्य एजेन्सी को भेजी गई स्क्रेप की टनेज जिसकी प्रयोग की गई बैटरियों का स्क्रेप भेजा गया था।	

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ।

स्थान.....
तिथि.....

अनुबन्ध–4

पुनः प्रयोग करने के लिए खराब तेल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए गए तेल की विशेषताएं।

अनुसूची–5

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम परिहार्य सीमा
1.	रंग	8 हाजन यूनिट
2	पानी	15 प्रतिशत
3.	घनत्व	0.85 से 0.95 तक
4.	काइनमेटिक विस्कोसिटी सी. एस.टी.एट 100 डिग्री सी	1.0 से 32 तक
5.	डीलूटेंटस	15 प्रतिशत
6.	न्यूट्रेलाइजेशन नं.	3.5 एम.जी.के.ओ.एच./जी
7.	सपोनीफिकेशन वैल्यू	18 एम.जी.के.ओ.एच./जी
8.	कुल हेलोजनस	4000 पी.पी.एम.
9.	पोलीक्लोरिनेटिड बाईफिनाइल्स (पी.सी.बी.ज.)	डिटेक्शन सीमा से नीचे
10.	लीड	100 पी.पी.एम.
11.	अरसेनिक	5 पी.पी.एम.
12.	केडमियम+क्रोमियम+निक्कल	500 पी.पी.एम.
13.	पोलीअरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस (पी.ए.एच.)	6 प्रतिशत

अनुसूची–6

खराब तेल को पुनः प्रयोग करने के लिए विशेषताएं

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम परिहार्य सीमा
1.	सेडीमेंट	5 प्रतिशत (अधिकतम)
2.	भारी धातुएं (केडियम+क्रोमियम+निक्कल+लीड+आरसेनिक)	605 पी.पी.एम. अधिकतम
3.	पेलीअरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस (पी.ए.एच.)	6 प्रतिशत अधिकतम
4.	कुल हालोजनस	4000 पह.पी.एम., अधिकतम
5.	पोलीक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल्ज (पी.सी.बी.ज.)	डिटेक्शन सीमा से नीचे

नकारे गए तेल के निपटान के लिए फार्म–13
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना 20 मई, 2003
फार्म–13

{नियम 20(5) देखें}

नोन फेरश/खराब गैर लोह युक्त धातु/प्रयोग हुए तेल/खराब तेल की नीलामी/विक्रय का विवरण (रिटर्न) भरने के लिए फार्म

{सम्बन्धित राज्य प्रदूषण बोर्ड/कमेटी द्वारा खराब जनरेटरों की नीलामी द्वारा के निपटान का विवरण प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना}

1.	खराब जनरेटर नीलामी होने वाली वस्तु का नाम तथा पता	
2.	अवधि के दौरान नीलाम की गई/विक्रय की गई खराब वस्तुओं की कुल मात्रा।	खराब गैर लोह युक्त धातु (किस्म का संकेत तथा पंजीकृत पुनः प्रयोग करने वाले (एस) का नाम तथा पते सहित मीट्रिक टन में मात्रा)। प्रयोग हुआ तेल/खराब तेल (किस्म का संकेत तथा पंजीकृत पुनः प्रयोग करने वाले/पुनः शुद्ध करने वाले (एस) का नाम तथा पते सहित मीट्रिक टन में मात्रा)

जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

स्थान :.....

दिनांक:..... **हस्ताक्षर**

पद.....

परिचालन स्टाफ के लिए जो कार्य करने हैं

1. अच्छे ट्रिप की जांच करना।
2. पैनलों की डी.सी. आपूर्ति की जांच करना।
3. आपातकालीन डी.सी. लाईट प्रणाली की कार्यकुशलता की जांच करना।
4. हमेशा शान्त मन के साथ परिचालन को कार्यान्वित करना।
5. किसी भी प्रकार की डी.सी. लीकेज की जांच करना।
6. टी.एण्ड पी. हमेशा कार्य स्थिति में होनी चाहिए।
7. पानी में हमेशा शुद्ध एसिड होता है।
8. पी.टी.डब्ल्यू. के अन्तर्गत उपकरण के दोनों तरफ अस्थाई की व्यवस्था की जाती है।
9. कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपायों का प्रयोग किया जाता है।
10. सभी आग बुझाने के उपकरणों को उचित कार्य स्थिति में रखना चाहिए।
11. सुरक्षात्मक नियम तथा निर्देशों का अनुसरण।
12. पी.टी.डब्ल्यू. को रद्द करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अस्थाई अर्थ हटा दिए गए है।
13. बिजली उपकरणों में आग लगने से बचाव के लिए हमेशा रेत/रबड़ कार्बनडाईऑक्साईट गैस या कैमिकल ड्राई पाऊडर का प्रयोग करना चाहिए।

परिचालन स्टाफ को जो कार्य नहीं करने हैं

1. उपकरणों के स्थापना के नजदीक घास नहीं उगने देना चाहिए।
2. उपकरण कार्य स्थल के नजदीक किसी भी वर्कर को धुम्रपान करना मना है।
3. उचित पी.टी. डब्ल्यू के बगैर किसी उपकरण पर कार्य करना माना है।
4. बगैर सुरक्षा बेल्ट आदि के ऊंचे उपकरण या ढांचो पर कार्य करना मना है।
5. कार्य करते समय ध्यान भ्रमित नहीं होना चाहिए।
6. ड्यूटी पर ढीले व सैंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
7. आग के मामले में भागना नहीं चाहिए।
8. स्विचयार्ड में बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए।
9. कार्य के बाद एम. क्रेज के सभी दरवाजे पूर्ण रूप से बंद करना न भूलें।
10. उपकरण/बेज के नजदीक कोई भी ज्वलनशील पदार्थ खुला रखना मना है।

परिचालन स्टाफ को जो

कार्य नहीं करने हैं

1. स्वस्थ्य ट्रिप की जांच करें।
2. पैनलज की डी.सी. आपूर्ति की जांच करें।
3. संकट डी.सी. लाईट प्रणाली की जांच करें।
4. सदा ठण्डे दिमाग से परिचालन करें।
5. किसी डी.सी. लीकेज की जांच करें।
6. ठण्डी सीलिंग तथा सफाई के लिए सभी नियंत्रण पैनलज की जांच करो।
7. फ्लोट वोल्टेज तथा बैटरी के हालात की जांच करो।
8. कम प्रैशर तथा एस.एफ.–6 ब्रेकर एयर टंक से नमी को हटाओ।
9. आग बुझाने के उपकरणों की पर्याप्त मात्रा की उपलबधता की जांच करो।
10. यदि स्थापित किया गया है तो डी.जी. सैट की स्वस्थता के लिए जांच करो।
11. परिचालन के दौरान सुरक्षा नियमों तथा हिदायतों का अनुकरण करो।
12. हमेशा उचित परम्परा परिचालन का अनुकरण करो।
    उपकरणों की ट्रिपिंग के बाद, सभी एफ.ए.सी. आई.ए./आर.ई.एल.ए. संकेत उचित रूप से दर्ज करो।
13. ट्रिपिंग के बाद प्रणाली को चालू करते समय सभी रिले पुनः सेट करो।
14. पी.टी.डब्लयू. को रद्द करते समय हमेशा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करो कि सभी व्यक्ति, उपकरण, टी.एण्ड पी. रद्द करने से पहले व्यक्तिगत रूप से जांच करो, सभी अस्थाई अर्थ हटा दिए गए हैं।
15. जांच करो कि किसी बिजली उपकरण को बिजली देने से पहले पी.टी डब्ल्यू. बकाया नहीं है।
16. यार्ड लाईट बंद करने के बाद रात के दौरान हॉट स्पोट की जांच करो।
17. जांच करो कि संचार प्रणाली काम करने की हालत में है।
18. नियंत्रण कमरे में महत्वपूर्ण टेलिफोन नम्बर लगाओ।

परिचालन स्टाफ को जो कार्य नहीं करने हैं

1. किसी अलार्म/इन्डक्शन को इगनोर न करें।
2. शट डाऊन (बंद) के अन्तर्गत उपकरणों/फीडरों के पी.टी.डब्लयू. प्लेटस के नियंत्रण पैनल पर चेतावनी रखना न भूलें।
3. जल्दी में कोई परिचालन मत करों।
4. नियंत्रण ब्रेकर परिचालन में बिना आइसोलेटरज परिचालन मत करों।
5. बाहर वालों को अनुमति के बिना अन्दर मत आने दो।
6. उचित पी.टी.डब्ल्यू. के बिना उपकरणों पर कार्यमत डालो।
7. डी.सी.बैटरी को अधिक/कम चार्ज मत होने दो।
8. काम करते समय दिमाग संतुलन मत गंवाओ।
9. नियंत्रण कमरे में धूम्रपान मत करो।
10. आग लगने पर दुखी मत हो।
11. शराब पीने के बाद कार्य मत करो।
12. उचित जांच/टेस्टिंग के बिना उपकरणों को बिजली मत दो, परिचालन बचोल्ज/प्रतिबन्धित अर्थ दोष तथा बस तार पर ट्रिपिंग के मामले में सुरक्षा रिलेज प्रयोग करो।
13. काम करते समय ढ़ीले कपड़े मत पहनो।

अनुबन्ध–XI

पर्यावरण प्रबन्धन योजना

परियोजना गतिविधि/स्तर	सम्भावित संघात	प्रस्तावित प्रशम्य मानक	निगरानी हेतु पैरामीटर	माप और फ्रिक्वैंसी	संस्थागत उत्तरदायित्व	कार्यान्वयन अनुसूची	अनुपालन रिपोर्ट
पूर्व निर्माण							
वितरण खंभे और वितरण लाईन संरेखण का स्थान और डिजाइन	जोखिम से संबधित सुरक्षा अनावृत्ति	बिजली फ्रिक्वैंसी और साईटों की निगरानी के नियमों की अनुमति स्तर अनुसार आवासों के ऊपर से लाईन मार्ग में गतिरोध डिजाइन करना	आवास के निकट खंभे का स्थान और लाईन संरेखण चयन	एक बार निकट के घरों से दूरी	द.ह.बि.वि.नि.	खंभा स्थित भाग का सर्वेक्षण ओर विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण और डिजाइन	
डिजाइन पैरामीटरों और उपकरण विर्निदेशों	रिसेप्टर्स में रसायनो और गैसों (हवा,पानी,भूमि) का जारी करना	सब–स्टेशन में ट्रांसफार्मर या अन्य परियोजना सुविधाओं या उपकरण में पी.सी. बी. का उपयोग नहीं किया जाता	ट्रांसफार्मर डिजाइन	एक बार निविदा विनिर्देशों में ट्रांसफार्मर में पी.सी.बी. का अपवर्जन कहा गया	द.ह.बि.वि.नि.	उपकरण के लिए निविदा विनिर्देशों का भाग	
		क्लोरोफल्यूरो कार्बन (सी.एफ.सी. एस.) का उपयोग प्रक्रिया उपकरण	प्रक्रिया, उपकरण और प्रणाली डिजाइन	एकबार निविदा विनिर्देशों में ट्रांसफार्मर में सी.एफ.सी. का अपवर्जन कहा गया	द.ह.बि.वि.नि.	उपकरण के लिए निविदा विनिर्देशों का भाग	

		और व्यवस्था में हैलोन सहित नहीं करना। यदि कोई इसका उपयोग बाहर करने के लिए चरणबद्ध किया जाना चाहिए और सरकार की आवश्यकता के अनुरुप एक तरीके से निपटारा किया जाना है।		अनुसूची मामले में एकबार प्रयोग में चरण बाहर अभी भी तैयार	द.ह.बि.वि.नि.	उपकरण का भाग और प्रक्रिया डिजाइन	
वितरण लाईन डिजाइन	विद्युत चुम्बकीय प्रर्दशन	ऊपरी बिजली लाईनों से विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप की समीओं के भीतर अनुपालन के साथ वितरण लाईन डिजाइन	प्रस्तावित लाईन डिजाइन के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ्य	एक बार मानकों के अनुरुप लाईन डिजाइन अनुपालन	द.ह.बि.वि.नि.	विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	
वितरण खंभो का स्थान और वितरण लाईन संरेखण और डिजाइन	ज्ल निकायों और भूमि पर प्रभाव	जल निकायों से बचा कर जहां खंभा स्थित हो सकता है, उस स्थान के विचारार्थ	जल निकायों से (दूरी) खंभे का स्थान और लाईन संरेखण चयन	पोल नींव को जल निकायों से बचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	खंभा खड़ा करने के स्थान का सर्वेक्षण और विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	

	सामाजिक अन्याय	मौजूदा बस्तियों को बचा कर आर. ओ.डब्ल्यू. के साथ सावधानी से मार्ग चयन	खंभा स्थान और लाईन संरेखण चयन (दूरी) (अनुमानित क्षेत्र को हटाया/किया जाना)	एकबार भूमि मालिक और स्थानीय अधिकारियों से परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	ंभा खड़ा करने के स्थान का सर्वेक्षण और विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	
			पेड़ उखाड़ने/हटाने के लिए सांवधिक अनुमोदनों	एक बार प्रत्येक उपपरियोजना के लिए नियमों के साथ स्वीकृति	द.ह.बि.वि.नि.	खंभा स्थित भाग का विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण /डिजाइन	
सब–स्टेशनों और खंभो से पक्षियों को खतरा	निकट पक्षी अभयारण्य/झील से दूरी	लाईन के निकट कोई पक्षी अभयारण्य या झील आदि नहीं है जिसके परिणामस्वरुप पक्षियों को कोई खतरा नहीं है	निकट पक्षी अभयारण्य/झील से दूरी	पक्षी अभयारण्य/झील से उचित दूरी	द.ह.बि.वि.नि.	विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण का भाग	
सब–स्टेशनों और खंभो से वायुयान को खतरा	नजदीक हवाई अड्डा से दूरी	साईट नजदीक हवाई अड्डे/वायुसेना स्टेशन आदि से उचित दूरी पर है	न्जदीक हवाई अड्डा से दूरी	साईट नजदीक हवाई अड्डे/वायुसेना स्टेशन आदि से उचित दूरी पर है	द.ह.बि.वि.नि.	विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण का भाग	
वर्षा जल संचयन	सकारात्मक प्रभाव	प्रशम्य मानक नहीं				उपकरण और प्रक्रिया डिजाइन का भाग	
निजी भूमि से पेड़ काटना	पर्यावरण पर प्रभाव	निजी भूमि से पेड़ काटने के मामले में पेड़ लगवाना			द.ह.बि.वि.नि.	विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण का भाग	एम.ओ.यू. ने वन विभाग के साथ वन्यीकरण के लिए एक प्रतिपूरक

							समझौता किया जिसमें द.ह.बि.वि.नि. के लिए वन क्षेत्र में परियोजनाएं नहीं चलाई जाएगी
सामाजिक,सांस्कृतिक और पुरातत्व संबन्धी संवेदनशील क्षेत्र	निकटतम दूरी	साईट उचित दूरी पर उपस्थित है	इन संवेदनशील क्षेत्रों से निकटतम दूरी	साईट उचित दूरी पर उपस्थित है	द.ह.बि.वि.नि.	विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण का भाग	
निर्माण							
उपकरण प्रचार और स्थापना	शोर और कंपन	न्यूनतम अस्त–व्यस्त या अशान्त जगह का निर्माण तकनीकों और मशीनरी अन्वेषण के लिए चयन	निर्माण तकनीकियां और मशीनरी	अशान्त भूमि पर निर्माण तकनीकों और मशीनी सृर्जन चरण की कम से कम एक बार शुरुआत	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
शारीरिक निर्माण	कृषि गतिविधियां अस्त–व्यस्त	क्षेत्र फसलों की अशान्ति के भय (जहां एक महीने के अन्दर कटाई सम्भव हो) से फसली भूमि पर निर्माण गतिविधियों को रोकना	निर्माण शुरु करने का समय	अगली फसल होने से पहले जितना जल्दी सम्भव हो सके फसल कटाई के मौसम में अस्त–व्यस्त फसल के रुप में सममूल्य साईट	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
मशीनरी निर्माण	शोर, कंपन, कुशल परिचालन और	निर्माण उपकरण को अच्छी तरह	टनुमानित शोर उत्सर्जन निर्माण	प्रत्येक दो सप्ताहों में स्थानीय अधिकारियों	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

	परिचालन सुरक्षा	सुरक्षित रखना	उपकरण	द्वारा शिकायतें प्राप्त करना			
	टूट–फूट, शोर, कंपना और उपकरण की स्याही	खराद के कार्य में पौधे का प्रयोग नहीं	टनुमानित शोर उत्सर्जन और निर्माण उपकरण ऑप्रेटिंग अनुसूचियां	प्रत्येक दो सप्ताहों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा शिकायतें प्राप्त करना	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
प्रवेश योग्यता के लिए सड़को का निर्माण	आंधियों से धूल कणों में वृद्धि	वर्तमान में लाईन के रख–रखाव और निर्माण के लिए उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां भी सम्भव हो सड़को और पटरियों का प्रयोग	सामाजिक स्थान या निवास स्थान के निकट पहुंचने के लिए सड़कों, मार्गों (नए स्थानों तक पहुंचने के लिए लम्बी और चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण)	जहां सम्भव हो सके प्रयोग करने के लिए प्रत्येक दो सप्ताहों में सड़क की स्थापना	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
		न्यनतम आवश्यकता के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण	(कृषि भूमि से दूर) खंभे की जगह और लाईन संरेखण चयन	एक बार भूमि मालिकों और क्षेत्रीय अधिकारियों से परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	खंभा स्थित करने और विस्तृत संरेखण सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	
कीमती पारिस्थितिक क्षेत्रों का अतिक्रमण	कीमती पारिस्थितिक मूल्यों का घाटा/एक ही प्रकार की कीमती क्षति	साईट और संरेखण चयन द्वारा सावधानी पूर्वक अतिक्रमण से बचें	पोल स्थान और लाईन संरेखण चयन (निकट के पारिस्थितिक संरक्षण क्षेत्र नामित करने के लिए दूरी)	एक बार न्यूनतम वन सम्मलित/स्थानीय वन अधिकारियों के साथ परामर्श से बचें	द.ह.बि.वि.नि.	डिजाइन निर्माण अवधि/विस्तारपूर्वक बैठक और संरेखण सर्वेक्षण का भाग	
कृषि भूमि अतिक्रमण से कृषि उत्पादकता को घाटा		मौजूदा खंभा नींव प्रयोग/खंभे जहां सम्भव हो सके	पोल स्थान और लाईन संरेखण चयन	एक बार डिजाइन इंजीनियरों और स्थानीय अधिकारियों के साथ परामर्श	द.ह.बि.वि.नि. .	विस्तारपूर्वक संरखेण सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	
		जहां सम्भव हो	पोल स्थान और लाईन	एक बार डिजाइन		विस्तारपूर्वक संरखेण	

		सके कृषि भूमि पर नए खंभे लगाने से बचें	संरेखण चयन	इंजीनियरों और स्थानीय अधिकारियों के साथ परामर्श		सर्वेक्षण और डिजाइन का भाग	
		किसानों को उत्पादक भूमि पर किसी भी स्थिर हानि के लिए मुआवजा	(प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर) फसलों की क्षति पूर्ति के डिजाइन का कार्यान्वयन	तीन महीनें में एक बार प्रभावित दलों के साथ परामर्श		निर्माण चरण से पूर्व	
		जिन्हें उखाड़ने की आवश्यकता है उन महत्वपूर्ण पेड़ों के लिए किसानों/भूमि मालिकों को मुआवजा	पेड़ मुआवजे के डिजाइन का कार्यान्वयन	तीन महीनें में एक बार प्रभावित दलों के साथ परामर्श		निर्माण चरण से पूर्व	
साइट क्लीयरेंस	वनस्पति की वृद्धि	क्लीयरेंस गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण कर क्लीयरेंस अंकन सुनिश्चित करना और क्लीयरेंस से पूर्व वनस्पति वृद्धि को चिहिन्त कर हटाया	क्लीयरेस नियंत्रण (एम2) और वनस्पति वृद्धि चिहिन्त	प्रत्येक दो सप्ताहों में वनस्पति की वृद्धि क्लीयरेंस सख्ती से सीमा का लक्ष्य	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
				आर.ओ.डब्लयू के अन्दर एक ही प्रकार के निम्नलिखित लक्ष्यों की मौजूदगी और एक प्रति साइट वनस्पति की वृद्धि	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

				क्लीयरेंस			
	आर.ओ.डब्लयू के साथ पेड़ो को उखाड़ना/काटना	आग से खतरा	पेड़ और कडक्टर के बीच बढ़े हुए पेड़ के ऊपर एक ऊॅचाई तक आर.ओ.डब्लयू द्वारा विनियमों अनुसार पर्याप्त निकासी की अनुमति दी	विशिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रजातियों–सांविधिक वृक्ष प्रतिधारण स्वीकृति (औसत और अधिकतम पेड़ ऊॅचाई की मीटरों में परिपवक्ता)	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
लकड़ी/वनस्पति संचयन	वनस्पति और वनों की कटाई का घाटा	इस परियोजना क्षेत्र में लकड़ी की कटाई के दौरान स्थानीय निर्माण श्रमिकों का निषेध (अलग से स्टॉफ नियोजित मौजूदा कानूनी गतिविधियां जारी)	अवेध लकड़ी/वनस्पति कटाई (एम3 क्षेत्र में घटना की संख्या के रिपोर्ट)	हर दो सप्ताह में स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें या अवैध कटाई के अन्य सबूत	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
निर्माण अनुसूची	पड़ोसी सम्पत्तियों के शोर से बाधा	केवल दिन के दौरान निर्माण गतिविधियों और निर्माण अनुसूची के बारे में स्थानीय समुदायों को सूचित किया		सप्ताहों	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाओं का प्रयोजन	रिसेप्टर्स की सदूषण (भूमि,जल,वायु)	उचित स्वच्छता, जल आपूर्ति और निर्माण कार्य बल सुविधाओं को शामिल कर	कार्य बल संकायों के लिए सुविधाएं	उचित स्वच्छता उपस्थिति, जलआपूर्ति और अपशिष्ट निपटान संकायों के लिए प्रत्येक के लिए नई सुविधा	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

		नुकसान से निपटान					
कृषि भूमि का अतिक्रमण	कृषि उत्पादकता और पब्लिक के सदस्यों को घाटा	जहां भी सम्भव हो मौजूदा इस्तेमाल सड़कों का प्रयोग	मौजूदा उपयोगिता का उपयोग	हर चार सप्ताहों में अधिकारियों/स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें प्राप्त करना	द.ह.बि.वि.नि. (ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध प्रयोजन)	निर्माण अवधि	
	मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का रख–रखाव सुनिश्चित करना	मौजूदा सुविधाओं की स्थिति					
	निर्माण पूरा करने के पश्चात भूमि की ऊपरी सतह की रक्षा बहाल	एम–3 मिट्टी की खुदाई सुविधाओं की स्थिति					
अपर्याप्त निर्माण मंच की निगरानी	अधिकतम क्षति की सम्भावना	द.ह.बि.वि.नि. की निगरानी में कर्मियों को पर्यावरण प्रशिक्षण	प्रशिक्षण अनुसूची	एक वर्ष में प्रव्येक व्यक्ति द्वारा भाग लिए कार्यक्रम की संख्या	द.ह.बि.वि.नि.	नियमित तौर पर निर्माण अवधि के दौरान	
		सभी संविदात्मक पर्यावरण आवश्यकताओं की तरह रिपोटिंग प्रणाली और प्रभावी पर्यावरण निगरानी के उपयोग की जांच का कार्यान्वयन	संबधित अनुबंध जांच और उपचारात्मक कार्रवाईयों से किया गया	एक बार प्रत्येक साइट के लिए सभी अनुबंधो की विधिवत् पूरी जांच का सबमिशन			

संचालन और रख–रखाव							
वितरण खंभे और वितरण लाईन संरखेण का स्थान और डिजाइन	जोखिम से संबधित सुरक्षा अनावृति	बिजली आपूर्ति में गतिरोध के लिए साइटों की निगरानी नियमों और बिजली फ्रीक्वैंसी के अनुमति स्तर अनुसार आवासों के ऊपर से लाईन मार्ग डिजाइन करना	(आकृति 'के रुप में निर्माण') गतिरोध दूरी के साथ स्वीकृति	तीन महीने में एक बार निकट के घरों से दूरी	द.ह.बि.वि.नि.	संचालन के दौरान	
तेल का बहना	जल निकायों के पास/भूमि का संदूषण	सब–स्टेशन में ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित और अभेध नाबदान क्षेत्रों के भीतर कम से कम एक की भण्डारण क्षमता ट्रांसफार्मर में तेल की क्षमता 100 प्रतिशत और संबद्ध आरक्षित टैंको के साथ स्थित है	सब–स्टेशन घेरा (तेल नाबदान) (आकृति 'के रुप में निर्माण')	एक बार घेरा (तेल नाबदान) क्षमता और पारगम्यता	द.ह.बि.वि.नि.	संचालन के दौरान	
संचालन के दौरान कर्मचारी/श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अपर्याप्त प्रावधान	कर्मचारी/श्रमिकों की बीमारी और चोट	खतरों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को	उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग (बीमारी और चोट के कारण काम के दिनों को खोना)	एक बार प्रत्येक वर्ष संकट में इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए तैयारी स्तर	द.ह.बि.वि.नि.	डिजाइन और संचालन	

		सावधानी से डिजाइन करना					
		कर्मचारियों में सुरक्षा जागरुकता पैदा करना	एम–3 में प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम और दिखावटी अम्यास स्थिति की सुविधाएं	एक बार प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों की संख्या और कर्मचारी/श्रमिकों की प्रतिशत को पूरा करना			
		निर्माण के पश्चात कर्मचारियों को मरम्मत/क्षति ग्रस्त मेढो आादि को बहाल और आग आपातकालीन कार्ययोजना की तैयारी और प्रशिक्षण देना					
अनियंत्रित क्षरण/गाद रनऑफ	मिट्टी हानि, गाद कण डाऊन स्ट्रीम	कार्य क्षेत्रों में सीमा साईट समासोधन की आवश्यकता के लिए मौजूदा न्यूनतम सड़कों का, पट्रियों के उपयोग का इस्तेमाल किया जाता है	निर्माण प्रक्रिया और डिजाइन का आधार	एक बार प्रत्येक साइट के लिए बेहतर डिजाइन और समाविष्ठ निर्माण प्रबन्ध पद्धतियां	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
		कार्य क्षेत्रों पर निर्माण पूरा होने					

		पर वनस्पति पुर्नजनन को स्थिर करना (जहां लागू हो)					
		गीले मौसमों में खुदाई का परिहार					
		तलछट तालाबों और मेढ़ो के इस्तेमाल के माध्यम से गाद कणों से पानी पाठ्यक्रमों का संरक्षण					
गुणों के द्वारा निकट उपद्रव हेतु	पड़ोसी भूमि के उपयोग से मूल्यों को घाटा	निर्दिष्ट अनुबंध खंड की निर्माण पद्धतियों में सावधानी	अनुबंध खंड	एक बार प्रत्येक साहट के लिए बेहतर निर्माण पद्धतियां	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
		जहां सम्भव हो सके मौजूदा मार्गों का उपयोग इसी रुप में किया जाएगा	विन्यास और डिजाइन आधार	एक बार प्रत्येक साइट के लिए समाविष्ठ अच्छी इंजीनियरिंग पद्धतियां	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
		निर्माण को पूरा करने के बाद उत्पादकता भूमि बहाल की जाएगी	(एम क्षेत्र प्रभावित) भूमि की स्थिति की पुर्नस्थापना	निर्माण के बाद और पहली फसल के बाद दो बार प्रभावी दलों के साथ तुरंत परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
	सामाजिक अन्याय	यदि कोई है तो मुआवजा देकर	(राशि का भुगतान किया)पेड़/फसलों के	तीन महीने में एक बार प्रभावित दलों से परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

		उत्पादन के नुकसान का भुगतान किया जाएगा	मुआवजे का कार्यान्वयन				
स्वास्थ्य और सुरक्षा	श्रमिकों की बीमारी और चोट	निर्माण शिविरों के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट अनुबंध प्रावधानों की आवश्यकता	(चोटों और बीमारी के कारण कुल कार्य दिनों को खोना और घटनाओं के संख्या) अनुबंध खंड	प्रत्येक तीन महीने में एक बार अनुबंध खंडो को स्वीकृति	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
संचालन के दौरान कर्मचारी/श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अपर्याप्त प्रावधान	स्टॉफ श्रमिकों की बीमारी और चोट	खतरों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सावधानी से डिजाइन करना	(बीमारी और चोट के कारण कार्य के दिनों को खोना) उपयुक्त प्रोद्यौगिकियों का उपयोग	एक बार प्रत्येक वर्ष संकट में इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए तैयारी स्तर	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
		स्टॉफ में सुरक्षा जागरुकता पैदा करना	प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम और दिखावटी अभ्यास	एक बार प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों की संख्या और र्मचारी/श्रमिकों की प्रतिशत को पूरा करना			
		निर्माण के पश्चात कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त मेढ़ो की मरम्मत आदि को बहाल और आग आपातकालीन योजना की तैयारी तथा प्रशिक्षण					
बिजली के झटकों से	पब्लिक और स्टॉफ	खतरों को कम	(चोट की घटनाओं की	एक बार प्रत्येक वर्ष	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

खतरा	को चोट/नैतिकता	करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग के डिजाइन में सावधानी	संख्या, कार्य दिनों को खोना) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग	संकट में इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए तैयारी स्तर			
		सब–स्टेशनों के चारो ओर सुरक्षा घेरा	घेरे का रखरखाव	प्रत्येक दो सप्ताहों में रखरखाव पर रिपोर्ट			
		चढ़ाई की बाधाओं को रोकने के लिए/वितरण खंभो का निराकरण	बाधाओं का रखरखाव				
		उचित चेतावनी संकेतो की सुविधाएं	चेतावनी संकेतो का रखरखाव				
		परियोजना क्षेत्रों में बिजली सुरक्षा जागरुकता	सभी सम्बंधित दलों के लिए दिखावटी अभ्यास का प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम				
डिजाइन पैरामीटरों और उपकरण विर्निदेशों	रिसेप्टर्स में रसायनो और गैसों (हवा,पानी,भूमि) का जारी करना	क्लोरोफल्यूरो कार्बन (सी.एफ.सी. एस.) का उपयोग प्रक्रिया उपकरण और व्यवस्था में हैलोन सहित नहीं करना। यदि कोई	प्रक्रिया, उपकरण और प्रणाली डिजाइन	तीन महीने में एक बार प्रयोग में तैयार अनुसूची मामले में अभी भी चरण से बाहर	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

		इसका उपयोग बाहर करने के लिए चरणबद्ध किया जाना चाहिए और सरकार की आवश्यकता के अनुरुप एक तरीके से निपटारा किया जाना है।					
वितरण लाईन रखरखाव	विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप का प्रर्दशन	ऊपरी बिजली लाईनों में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप की सीमाओं के साथ वितरण लाईन डिजाइन करना	(मीटरों) भूमि क्लीयरेंस आवश्यकता	एक बार भूमि क्लीयरेंस	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	
शोर सम्बंधित	पड़ोसी सम्पत्तियों की बाधा	जहां शोर में बाधा न हो सब–स्टेशन की जगह और डिजाइन सुनिश्चित करना	(डी.बी.(ए.)) शोर स्तर	एक बार यदि कोई है, सम्पत्तियों के लिए चार दीवारी के पास शोर स्तर दलों के साथ परामर्श	द.ह.बि.वि.नि.	निर्माण अवधि	

सारणीः– ई.एड.एस. मूल्याकंन और प्रबन्धन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी आंबटन ढांचा

नींव का पत्थर	प्रक्रिया	निर्गम/संकेतक	उत्तरदायित्व			
			आंतरिक			बाहय
			तैयारी/निष्पादन	समीक्षा	समीक्षा पश्चात स्वीकृति	तैयारी
1. परियोजना विचारीकरण						
1. वितरण लाईनों के विस्तार के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक जांच	पर्यावरण तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य से वितरण लाईन की जांच और विस्तार	एफ आर के भाग के रुप में दस्तावोजों का विस्तार और ई.एण्ड. एस जांच	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	प्रारम्भिक पर्यावरण मूल्याकंन रिपोर्ट
2. पर्यावरण और सामाजिक स्वीकृति	आंतरिक प्रबन्धन स्वीकृति के लिए (ई. एण्ड.एस. जांच और विस्तार विवरण के साथ) एफ.आर. भेंजे	आंतरिक प्रबन्धन स्वीकृति	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	
	आंतरिक प्रबन्धन स्वीकृति के साथ (ई. एण्ड.एस. जांच और विस्तार विवरण के साथ) एफ.ए.द्वारा पूर्व मूल्याकंन के लिए एफ.आर. भेंजे	अनुदान एजेंसियों की सहमति			आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	एफ.ए.द्वारा पूर्व मूल्याकंन
2. परियोजना योजना						
1. सब–स्टेशनों के विस्तार के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक जांच	पर्यावरण तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य से सब–स्टेशनों की साइटों की जांच और	सब–स्टेशन साइटों के लिए ई.एण्ड.एस. जांच और विस्तार रिर्पोटें	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	सामाजिक जांच और विस्तार के लिए वर्तमान में जैसे राजस्व, वन विभाग

	विस्तार पब्लिक परामर्श					आदि
2. प्र्यावरण मूल्याकंन और प्रबन्धन योजना	पर्यावरण और सामाजिक प्रबन्धन योजना तैयार वितरण लाईनों सब–स्टेशनों पब्लिक परामर्श	पर्यावरण मूल्याकंन प्रबन्धन योजना	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	राज्य वन विभाग
3. वन क्लीयरेंस	राज्य सरकार को वन प्रस्ताव भेंजे सशर्त स्वीकृति के लिए वन प्रस्ताव एम. ओ.ई.एफ. को अंतिम वन क्लीयरेंस के लिए वन प्रस्ताव एफ.पी. से एम.ओ.ई. एफ. को भेंजे	एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अंतिम वन क्लीयरेंस	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	आर.एम.ओ.ई.एफ. एम.ओ.ई.एफ.
3. परियोजना स्वीकृति						
एफ.ए.स्वीकृति	अनुदान एजेंसियों को (पर्यावरण मूल्याकंन प्रबन्धन योजना और सामाजिक जांच और विस्तार विवरण के साथ) एफ.आर. भेंजे	एफ.ए.द्वारा (व्यवहार्यता रिर्पोट से सम्बधित भाग के रुप में) ई.ए. एम.पी. और सामाजिक जांच तथा विस्तार	ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	विस्तृत मूल्याकंन और सहमति
4. विस्तृत डिजाइन और पुरस्कार						
1. सामाजिक मूल्याकंन और प्रबन्ध योजना	वितरण लाईनों	सामाजिक मूल्याकंन और प्रबन्ध योजना	ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	बी.ओ.डी.	

	सब–स्टेशनों पब्लिक प्रकटीकरण के लिए पर्यावरण और सामाजिक मूल्याकंन और प्रबन्धन योजना तैयार					
2. ए.एस.एम.पी. के लिए एफ.ए. की सहमति	(बी.ओ.डी.अनुमोदन के साथ एफ.ए. की सहमति के लिए) एस.ए.एम.पी. भेंजे	एस.ए.एम.पी. के लिए एफ.ए. की सहमति	ई.एस.एम.यू. मुख्य अभियंता/प्लानिंग और डिजाइन	ई.आर.एण्ड.आर		
5. परियोजना कार्यान्वयन						
1. पर्यावरण प्रबन्धन कार्यों का सम्पादन	पर्यावरण प्रबन्धन कार्यों का सम्पादन	पर्यावरण प्रबन्धन मानकों का सम्पादन	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	
2. सामाजिक प्रबन्धन कार्यों का सम्पादन	सामाजिक कार्यों का सम्पादन वितरण लाईनों सब–स्टेशनों	सामाजिक प्रबन्धन मानकों का सम्पादन	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	एस.ए.एम.पी. कार्यान्वयन के लिए (यदि आवश्यकता हो) वर्तमान एजेंसी
6. संचालन और रख–रखाव						
पर्यावरण और सामाजिक निगरानी	पर्यावरण मूल्याकंन प्रबन्धन निगरानी की योजना मानक सामाजिक मूल्याकंन और प्रबन्धन योजना निगरानी मानक	आवधिक निगरानी रिर्पोट आवधिक निगरानी रिर्पोट	ई.एस.आई.सी. ई.एस.एम.यू.	ई.आर.एण्ड.आर	आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	
7. परियोजना समीक्षा						

वार्षिक पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा	निर्माण संचालन और रख–रखाव के दौरान परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक प्रर्दशन की समीक्षा तथा रिर्पोट	वार्षिक पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा रिर्पोट	ई.आर.एण्ड.आर		आन्तरिक प्रबन्धन स्वीकृति	

द.ह.बि.वि.नि. की प्रस्तावित संगठनात्मक आकृत्ति

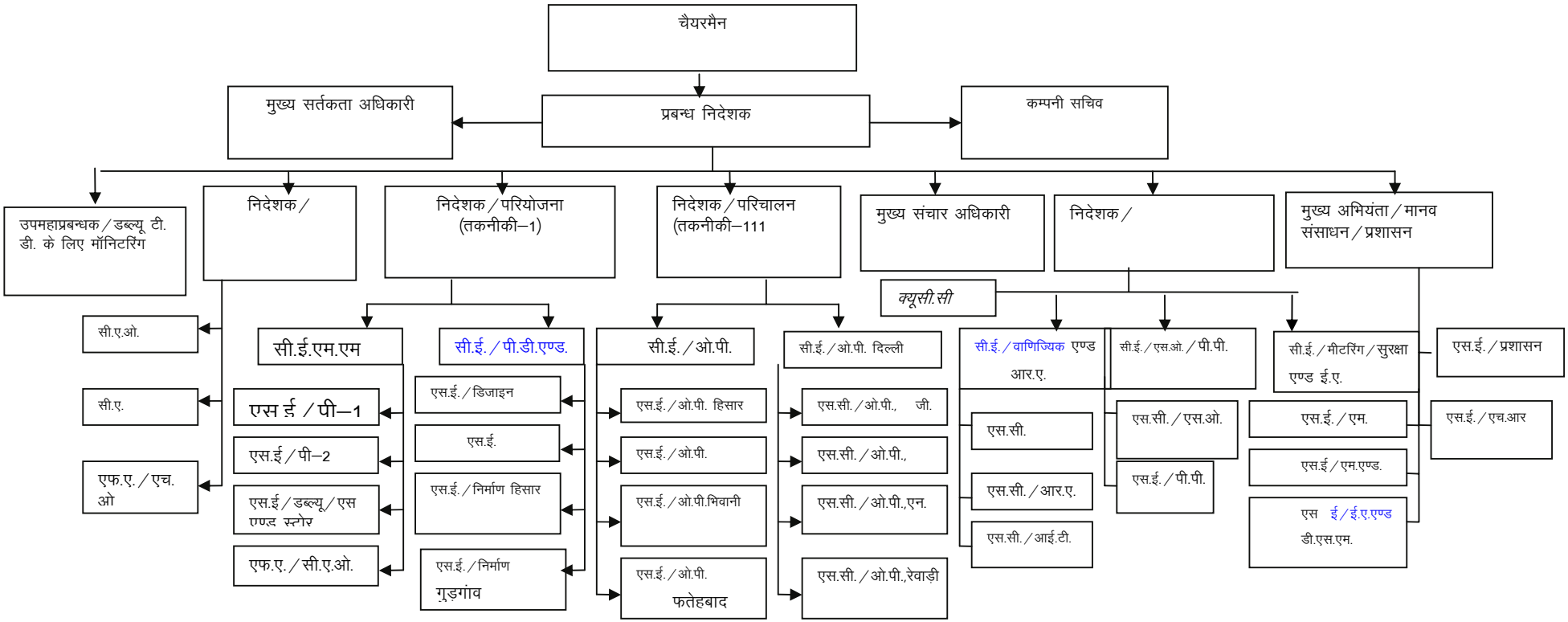

द.ह.बि.वि.नि.लि., में विभिन्न स्तर के संगठनात्मक ढांचे तथा जिम्मेदारियां

ए. द.ह.बि.वि.नि.लि. एक वितरण कम्पनी के रूप में दिनांक 1–07–99 को तत्कालीन ह.रा.बि. बोर्ड से बनाई गई जिनका मुख्यालय हिसार में है। उसने अपना वितरण कार्य करने के लिए एफ/ए के अनुसार संगठनात्मक ढांचा बना रखा है।

अध्यक्ष

बी. द.ह.बि.वि.नि.लि. समेत तीनों विद्युत निगमों का मुखिया अध्यक्ष (चेयर पर्सन) होता है।

प्रबन्ध निदेशक

सी. प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा कम्पनी के सभी अधिकारी/कर्मचारी उसकी पावर का पालन करते हैं। प्रबन्ध निदेशक के नियंत्रण एवं निरीक्षण के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निभाते हैं तथा प्रबन्ध निदेशक भी विद्युत निगमों के अध्यक्ष का सूचना देता है।

अन्य निदेशक

निदेशक/वि I

डी. वर्तमान में यह पद रिक्त है।

निदेशक/परियोजना

ई. निदेशक परियोजना को कम्पनी की योजनाओं को नियंत्रित, सामग्री प्रबन्धन और प्रशासनिक कार्य मुख्य महाप्रबन्धक/पी.एण्ड.डी., मुख्य महाप्रबन्धक एम.एम., मुख्य महाप्रबन्धक प्रशासन और मानव संसाधन, हिसार के साथ सौंपा गया है। यह इसकी रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक को भी करता है।

निदेशक/परिचालन

एफ. निदेशक/परिचालन को सी.जी.एम./वाणिज्यिक एवं मुख्य अभियंता (परिचालन), द.ह.बि. वि.नि.लि., हिसार और दिल्ली के माध्यम से वाणिज्यिक कार्य और परिचालन कार्य सौंपा गया है। वह भी प्रबन्ध निदेशक को सूचना देता है।

मुख्य अभियंता (परिचालन), द.ह.बि.वि.नि.लि., हिसार

जी. वह बिजली के वितरण कार्य और नियंत्रण कार्य के साथ (परिचालन) सिरसा, हिसार और भिवानी में स्थित 11/33 के.वी. सब–स्टेशनों और लाईनों के संचालन और रख–रखाव का कार्य भार सम्भालता है और इन सर्कलों में उनकी सहायता हेतु तीन अधीक्षक अभियंताओं को नियुक्त किया है। वह फील्ड संवर्ग के तकनीकी गैर–राजपत्रित कर्मचारियों का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी भी है। वह निदेशक/परिचालन को रिपोर्ट करता है।

मुख्य अभियंता (परिचालन), द.ह.बि.वि.नि.लि., दिल्ली

एच. वह गुडगांव, फरीदाबाद और नारनौल (परिचालन) सर्कलों में स्थित 11/33 के.वी. सब–स्टेशनों और लाईनों के बिजली वितरण (परिचालन) और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी तीन अधीक्षक अभियंताओं द्वारा सहायता की जाती है। वह लिपिक गैर–राजपत्रित कर्मचारियों के संवर्ग प्राधिकारी हैं। वह निदेशक परिचालन को रिपोर्ट करता है।

सी.जी.एम./पी.डी.एवं सी.

आई. उसको सी.जी.एम./पी.एण्ड डी. के माध्यम से नियंत्रण कार्य के साथ वृद्धि के लिए प्रस्तावों का विकास तथा सामान्य प्रबन्धक योजना तथा डिजाईन द्वारा वितरण प्रणाली का कार्य सौंपा गया है।

सी.जी.एम./एम.एम.

जे. उसको सामान बजट को अन्तिम रूप देने तथा संग्रह के कार्य के साथ, सामान का अभिग्रहण तथा इसका उचित भण्डारण, क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, मुद्रण तथा लेखन सामग्री तथा निगम के लिए दवाईयों का अभिग्रहण करने का कार्य सौंपा गया है। इसकी महाप्रबन्धक और सी.ओ.एस. हिसार द्वारा सहायता की जाती है।

मुख्य लेखा अधिकारी

के. यह कम्पनी के लेखों का प्रबन्ध करता है तथा कम्पनी के मासिक वार्षिक, लाभ तथा हानि के लिए जिम्मेदार है तथा सी. एण्ड ए.जी. से इसकी लेखा परीक्षा करवाता है। यह अनुभागीय अधिकारी तथा लेखों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। इसकी वरिष्ठ ए.ओ. तथा ए.ओ. सहायता करते हैं। यह निदेशक/वि ा को रिपोर्ट करता है।

मुख्य लेखा परीक्षक

एल. यह आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्यों तथा भारत के सी.एण्ड ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के कार्य के तालमेल तथा सी.ओ.व पी.यू. पैरों की देखभाल करता है। उपरोक्त कार्य करने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारी तथा दो लेखा अधिकारी उसकी सहायता करते हैं।

वि ीय सलाहकार/मुख्यालय

एम. यह वि ीय संस्थानों तथा बैंकों से निधि प्रबन्ध के कार्य की देखभाल करता है। इसके साथ–साथ यह कम्पनी के बजट तथा वि ा की देखभाल करता है तथा कम्पनी के राजस्व संचयन का संचालन करता है। एफ.ए./मुख्यालय की तीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा दो लेखा अधिकारी, निधि की पावती का प्रबन्ध करने, निधि को बांटने तथा अन्य सहायक बैकिंग तथा ऋण मामलों में सहायता करते हैं।

वि ीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी/एम.एम.

एन. एफ.ए. तथा सी.ए.ओ./एम.एम. सामग्री प्रबन्ध संगठन के केन्द्रीय अदायगी सैल अनुभाग तथा पूर्व लेखा परीक्षा तथा प्राप्त टैंडर के सम्बन्ध में अन्य वि ीय अनियिमिताओं, मुख्य

अभियंता/एम.एम. द्वारा जारी किए गए क्रय आदेशों की पूर्व लेखा परीक्षा, एफ.ए./मुख्यालय से जारी की गई सामप्ति की अदायगी तथा बैंक गारंटी/समझौते यदि कोई हैं, फर्म द्वारा भेजी गई निधि की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।

महाप्रबन्धक प्रशासन

ओ. महाप्रबन्धक प्रशासन के कार्य इस समय निगम के कम्पनी सचिव द्वारा किए जा रहे हैं। यह सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है जिसमें कर्मचारियों के सभी स्थापना मामलों का निपटाना अर्थात पदोन्नति, बदली, ए.सी.आर, आदि का नियमित करना शामिल है। पैंशन, पारिवारिक पैंशन, ई.बी. क्रासिंग, एस.सी.एन./सी.एस./स्पष्टीकरण दण्ड एवं जुर्माना तथा अन्य स्थापना, विधि मामलों से संबधित कार्य तथा इन कार्यों के लिए वह प्रबन्ध निदेशक एवं संबधित निदेशकों को अपने कार्यों तथा क र्व्यों के लिए रिपोर्ट करता है।

कम्पनी सचिव

पी. कम्पनी सचिव कम्पनी अधिनियम 1996 के विधी प्रावधानों के पालन के कार्य की देखभाल करता है। वह कम्पनी के रजिस्ट्रार, भारत के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक कम्पनी मामलों के विभाग तथा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार विभागों से सम्बन्धित है। यह विभिन्न बैठकों का प्रबन्ध करता है जैसे बोर्ड निदेशकों की बैठक पूर्ण कालिक निदेशकों लेखा परीक्षा समिति तथा कम्पनी के शेयर होल्डरों की बैठक। वह उपरोक्त बैठकों के कार्यवृ ा का अनुरक्षण तथा तैयारी भी करता है। वह समय–समय पर अन्य बोर्ड मामलों की भी देखभाल करता है।

क्यू. **मुख्य संचार अधिकारी**

सार्वजनिक सम्पर्क शाखा, विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने तथा संगठन की सुन्दर छवि का प्रबन्ध करने के लिए मीडिया से सम्पर्क करने के लिए जिम्मेदार है यह नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए उद्घाटन/नीवं पत्थर रखने के समारोह का प्रबन्ध करता है, इसके साथ ब्रोशर फोल्डर छपवाने तथा अन्य प्रसिद्धी सामग्री तथा सामग्री प्राप्ति के लिए समाचार–पत्रों में टैंडर आमंत्रित सूचना छपवाता है।

विधि शाखा

आर. द.ह.बि.वि.नि. के विधि मामलों की देखभाल एल.आर. ह.बि.वि.प्र.नि.लि. द्वारा की जा रही है जो सभी विद्युत निगमों के लिए संयुक्त है। वह सभी विधि मामलों में कम्पनी को सलाह देता है। एक अवर सचिव, द.ह.बि.वि.नि. की नियुक्त किए गए तीन विधि अधिकारियों द्वारा विधि मामलों में सलाह दे कर उनकी सहायता की जाती है।

चिकित्सा शाखा

एस. द.ह.बि.वि.नि.लि. में दो स्वास्थ्य केन्द्र है जोकि एक हिसार तथा दूसरा गुड़गांव में है। द. ह.बि.वि.नि.लि. की चिकित्सा शाखा की देखरेख सी.एम.ओ., ह.वि.प्र.नि.लि. द्वारा की

जाती है जो सभी विद्युत निगमों की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की देखभाल कर रहे हैं। ह.वि.प्र.नि.लि. के सी.एम.ओ. चिकित्सा शाखा के मुखिया होने के नाते सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यों के समन्वयक है। वे चिकित्सा शाखा के प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों की देखभाल करने के साथ–साथ दवाईयों का प्रबन्ध/क्रय कर रहे हैं।

चौकसी एवं सुरखा शाखा

टी. द.ह.बि.वि.नि.लि. की चौकसी एवं सुरक्षा की देखभाल डी.आई.जी./चौकसी एवं सुरक्षा, एच.वी.पी.एन. कर रहे हैं जो सभी विद्युत निगमों के लिए सांझे हैं।

डी.जी.एम. –आई.टी./एम.आई.एस. एवं मॉनिटरिंग

यू. डी.जी.एम. –आई.टी. ढांचा बनाने के लिए उ ारदायी है जो संगठन की आवश्कयताओं, विशेषतः वाणिज्यिक, वि ा, लेखे, परिचालन तथा परियोजना संबंधी क्षेत्रों के लिए निदेशक मण्डल को नियमित रूप से सूचना देने के लिए एम.आई.एस. के फोरमैट विकसित करने व उपभोक्ता के अनुस्थापन तथा वाणिज्यिक केन्द्र को बढ़ाने के लिए दिशा में पूरक है।

डी.जी.एम. मॉनिटरिंग

वी. उप–सचिव का पद कार्यकारी अभियंता के स्तर का है। यह सभी प्रकार के तकनीकी आंकड़ों का संकलन करके निदेशक/तकनीकी की सहायता करता है। यह मुख्यालय में अतिथ्यि संबंधी मामलों, मुख्यालय के वाहनों, अनुरक्षण से सम्बंधित कार्यो तथा विधान सभा के प्रश्नों के कार्यों की देखभाल करता है।

नोट :– पर्यावरण तथा सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाओं का हिंदी अनुवाद मात्र योजना तैयार करने वाले सभी अधिकारियों, कार्यकारी अधिकारियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे कर्मचारियों के अध्ययन, पूरी तरह समझने तथा इसके नियमों और विनियमों की अनुपालना के लिए है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिंदी संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।